खण्ड-212, अंक-7
मंगलवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1882
(12 अप्रैल, 1960 ई0)

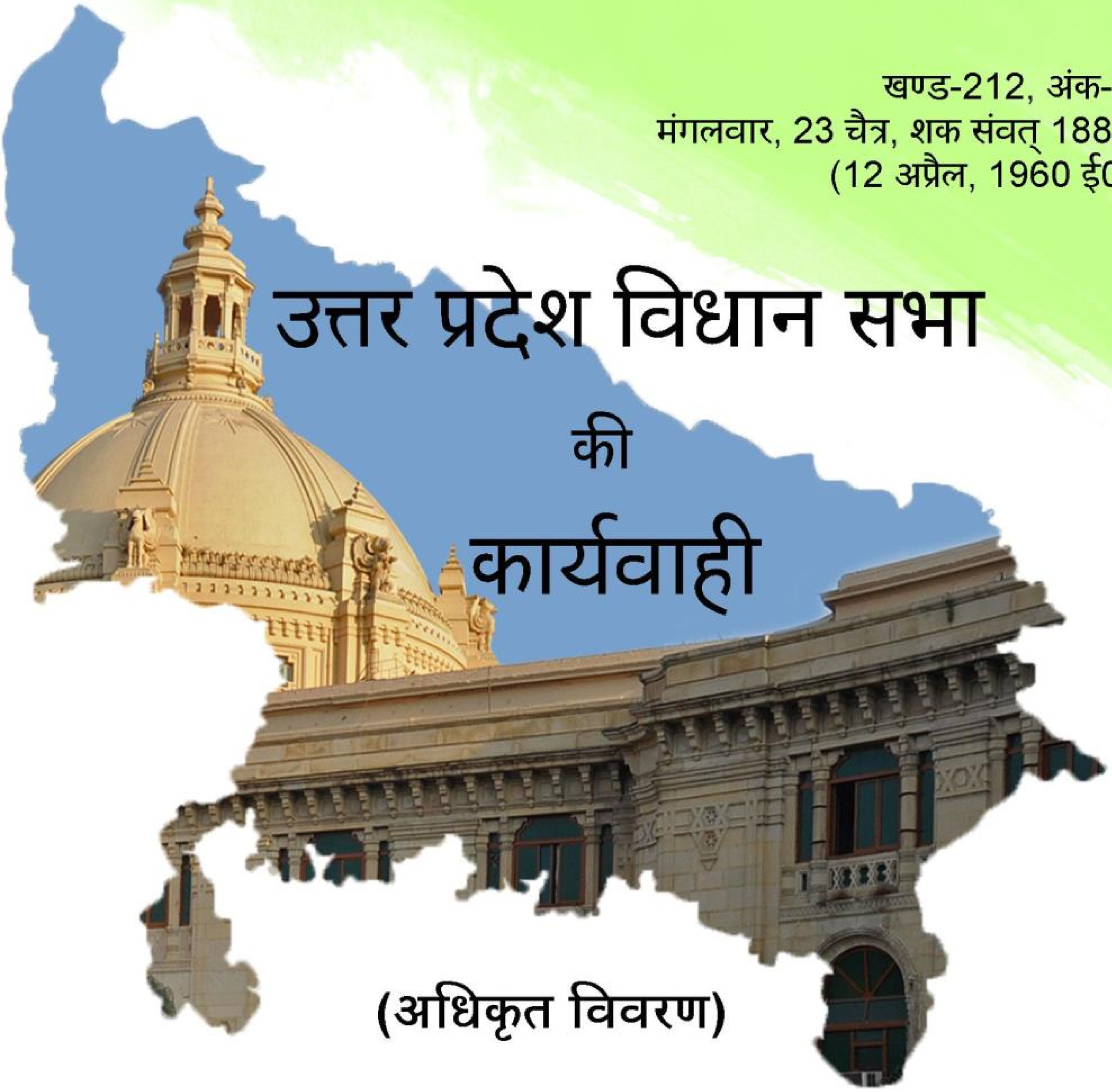

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी , श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद , श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर , श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
ताराबेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद , श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह , श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल , श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां , श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री

संसद सभा

रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर,
संग्रामसिंह श्री,
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री

सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल , श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री श्री महाबीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इन्टरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन योजना

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत प्रशासन योजना लागू करने के लिये प्रत्येक रीजन में कोई अफसर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूरा किया जा सकेगा ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां । उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार इस कार्य में अधिक से अधिक एक वर्ष लगना चाहिये । चूंकि यह कार्य १ नवम्बर, १९५९ को आरम्भ हुआ है, इसलिए आशा की जाती है कि ३१ अक्तूबर, १९६० तक समाप्त हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि पहले जो आदेश थे वह ३० जून तक पालन करने के आदेश थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहली नवम्बर से ६ महीने के अन्दर यह मांगा गया था कि जो विद्यालय हैं वह स्कीम भेजें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह प्रशासन योजना लागू करने के लिये प्रत्येक डिवीजन में कोई अफसर नियुक्त किया गया है या सूबे में एक नियुक्त है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेश के स्तर पर एक उप शिक्षा संचालक (विद्यालय प्रबन्ध) नियुक्त किये गये हैं, उनके एक सहायक नियुक्त किये गये हैं। ५ रीजन्स जहां पर इस्लामिया स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर हैं वह डिप्टी डायरेक्टर को सहायता देते हैं। ३ रीजन्स जहां इस्लामियां स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर नहीं हैं वहां सहायक सहायता के लिये नियुक्त किये गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह जो अधिक अधिकारी मुकर्रर हुए हैं क्या इन्हीं की अवधि ३१ अक्तूबर बताई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, ३१ अक्तूबर तक आशा की जाती है कि इस विषय में काम समाप्त हो जाएगा।

बागों से खाली किये गये क्षेत्रों का लगान

****२---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़), श्री मोतीलाल अवस्थी, तथा श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन रकबों का लगान जो पहले बाग खाने में दर्ज थे किन्तु अब खाली हो गये हैं और उन पर पिछले कई सालों का लगान वसूल हो चुका है, किन्तु अब सरकारी नीति के अनुसार केवल दो ही वर्ष की वसूलयाबी का आदेश दिया गया है उनका अधिक वसूल लगान वापस करने पर वह विचार कर रही है ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नन्दराम---श्रीमन्, कई बार सदन में यह कहा गया है कि १ इस साल का और १ साल का और २ साल का वसूल हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगह, जहां से मैं आता हूं, प्रतापगढ़ में ६-६ और ७-७ साल का वसूल हुआ है। २ साल की घोषणा होते हुए भी जो ज्यादा वसूल हुआ है उसको वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। जो घोषणा हुई उसकी मंशा यह है कि मान लीजिये किसी के जिम्मे ७ साल का बाकी है तो करेन्ट ईयर का और ७ साल में से १ साल की किस्त वसूल होगी। बकिया धीरे-धीरे सातों साल का देना होगा। वापसी का कोई सवाल नहीं होता।

श्री नन्दराम---जो मौके पर आज भी बाग मौजूद हैं उन पर भी ७ साल का वसूल हो गया है, क्या उसको वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरी नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं आया कि बाग लगा हो और लगान वसूल किया जा रहा हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये २२ मार्च, १९६० के स्थगित तारांकित प्रश्न]

गंगा ग्रिड से विद्युत वितरण व्यवस्था

***१---श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा ग्रिड में बिजली के कनेक्शन देने की क्या स्थिति है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---गंगा ग्रिड में विद्युत का अभाव है और उसकी मांग अधिक होने के कारण इस ग्रिड में विद्युत शक्ति के वितरण पर १५-८-५९ से नियंत्रण लगा दिया गया है। रोशनी, पंखे तथा घरेलू कार्यों के लिये २ किलोवाट तक बिजली राज्य विद्युत परिषद् अथवा ऐसे अधिकारी जिनको परिषद् ने इस कार्य के लिये अधिकार दिया हो, द्वारा दी जाती है। इस मात्रा से अधिक अथवा अन्य कार्यों के लिये बिजली के कनेक्शन सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

*२---**श्री कैलाशप्रकाश**---क्या उस ग्रिड में आजकल नये बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह---बिजली की कमी के कारण सभी प्रार्थियों को बिजली देना संभव नहीं है परन्तु बिजली की उपलब्धता के अनुसार तथा जिस कार्य के लिये बिजली की आवश्यकता है उसके महत्व को ध्यान में रखते हुये नये कनेक्शन अब भी दिये जाते हैं।

श्री कैलाशप्रकाश---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अभाव गंगा ग्रिड में विद्युत का कब से है और सरकार को कब इस बात का पता चला?

श्री धर्मसिंह---यह अभाव १५-८-५९ से जब से नियंत्रण लगाया गया है तब से है और उससे पहले १० हार्स पावर और १५ हार्स पावर तक कुछ मामलों में बिजली दी जाती थी?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नये कनेक्शंस दिये जाते हैं उनमें प्राथमिकता किसको देते हैं?

श्री धर्मसिंह---उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर ११ केटेगरीज हैं। ये ११ इस प्रकार हैं---सरकारी ट्रेनिंग स्कीम, सरकारी उद्योग धंधे, नलकूप इत्यादि, सरकारी सहायता प्राप्त उद्योग धन्धे, राज्य के लिये विशेष आवश्यक उद्योग धंधे जैसे गन्ने की खोई, कागज बनाना, इंजीनियरिंग उद्योग धंधे, बिजली के कारखाने, रसायनिक कारखाने, अन्य बड़े उद्योग धंधे, कोल्ड स्टोरेज तथा बर्फ के कारखाने, तथा अन्य छोटे उद्योग धंधे। इस प्रकार जो ये ११ प्रायरिटीज हैं उन पर बिजली दी जाती है।

श्री कैलाशप्रकाश---क्या यह सही है कि १५-८-५९ से पहले जिन लोगों को आश्वासन दिया गया था और उन्होंने उस आश्वासन पर अपने उद्योग धंधों में काफी रुपया लगा दिया था उनको भी अब तक कनेक्शंस नहीं दिये गये हैं?

श्री धर्मसिंह---उनको कनेक्शंस देने की कोशिश की जा रही है जिनको पूरे तौर से नियंत्रण होने के पूर्व आश्वासन दे दिया गया था या २५ पया फीस ली जाती थी वह उन्होंने दे दी थी।

सिंचाई विभाग में श्री जी० एस० माथुर की पुनर्नियुक्ति पर आपत्ति

*३---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या यह सत्य है कि श्री जी० एस० माथुर, चीफ इंजीनियर, विद्युत् विभाग को उनकी छुट्टी के बाद केन्द्रीय सरकार एवं प्रदेशीय सरकार के विद्युत् योजना के सम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है?

श्री धर्मसिंह---जी हां। श्री माथुर को विद्युत् तथा सिंचाई योजनाओं के लिये सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

*४---**श्री गौरीशंकर राय**---अगर हां, तो किस वेतन पर तथा किन शर्तों पर?

श्री धर्मसिंह---उनकी नियुक्ति चीफ इंजीनियर के वेतन क्रम अर्थात् १,८००---५०---२,००० रु० पर हुई है। कोई विशेष शर्तें नहीं हैं---जो रूल्स के मुताबिक आफिशियेटिंग नियुक्तियों की शर्तें होती हैं वह इन पर भी लागू होंगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि श्री माथुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे जिसके फलस्वरूप भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चरण सिंह ने उन्हें छुट्टी लेने के लिये मजबूर किया, यदि हां तो फिर इस व्यक्ति को फिर से सर्विस में क्यों लिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)---इसका जवाब कुछ ही दिन पूर्व मैंने सदन में दिया था। जो चार्जेज थे वे एनानिमस थे और डिडानिमस थे। फिर भी चूंकि वे मेरे चार्ज लेने से पहले छुट्टी पर गये हुए थे इसलिये जब मैंने इस महकमे का चार्ज लिया और उनके आने का प्रश्न हुआ तो उन पर लगे हुए चार्जेज की मैंने जांच कराई और जैसा मैं पहले बतला चुका हूं श्री के० पी० भार्गव तथा सतीशचन्द्र प्लानिंग कमिश्नर की एक कमेटी बनायी गयी और उसने इन चार्जेज को देखा और देख कर उनको इजाजत दी। मैंने पहले भी यह बतलाया था कि आदमी छुट्टी पर जा सकता है और अगर बीच में आना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। यह ठीक है कि छुट्टी लेने के समय उन्होंने यह कहा था कि जब तक वे रिटायर होंगे तब तक वे छुट्टी से वापस नहीं होंगे लेकिन उन्होंने आने की ख्वाहिश जाहिर की और जैसा मैंने कहा बीच में आने से हम उन्हें रोक नहीं सकते। यह जरूर था कि उन पर लगे चार्जेज को देख लिया जाय सो पूरे तौर पर उनको देखा गया और छानबीन की, लेकिन चार्जेज को निर्मूल पाया गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि मैं, रामस्वरूप वर्मा तथा महाराज सिंह, कौंसिल के मेम्बर, कुछ ऐसे कागजात को लेकर माननीय मंत्री महोदय के कमरे में हाजिर हुए थे जिनमें माथुर साहब के विरुद्ध गंभीरता से आरोप लगाये गये थे और वे कागजात माननीय मंत्री जी को दिखाये गये थे और कहा गया था कि उनको सर्विस में नहीं लेना चाहिये लेकिन उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसमें क्या हम लोगों से गवाही ली गयी या पूछा गया ?

श्री गिरधारीलाल---अव्वल तो उन चार्जेज का जहां तक सम्बन्ध है वह किसी कम्पनी का किस्सा था और आपके पास जो इत्तला थी वह अधूरी थी। मैंने शायद पहले भी अपने माननीय दोस्त को यह बात बतलायी थी कि उनके पास पूरी इत्तिला नहीं है और उसके बीच की जो इत्तला थी उससे पूरी गलतफहमी दूर हो जाती है। कोई चार्ज उनके खिलाफ सही नहीं था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री माथुर के खिलाफ जो आरोप लगाये गये थे उन आरोपों की कापी श्री माथुर को दी गयी और उनसे कोई जवाब तलब किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---अव्वल तो इस बात की कोई नौबत नहीं आयी (हंसी)। अव्वल तो इससे पहले ही, यानी मेरे से पूर्व जो मंत्री यहां पर थे उन्होंने सब चीजें दीं और उनसे तमाम बातों की सफाई भी ली थी।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पद जिस पर वे नियुक्त किये गये हैं बिलकुल नया है ? यदि हां, तो इस नये पद के बनाने की क्या जरूरत पड़ गयी ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां, यह पद इस वक्त नया है। इसकी जरूरत इसलिये पड़ गयी क्योंकि केन्द्रीय सरकार से पावर और इरीगेशन महकमों का जहां तक सम्बन्ध है हमेशा सम्पर्क रहता है। कहीं फारेन एक्सचेन्ज का सवाल है, कहीं डीजल सेट्स खरीदने हैं, कहीं रिहन्द के गेट्स वगैरह का सवाल है ? तो ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हम किसी और अफसर को नहीं भेज सकते। ऐसी हालत में जरूरत थी कि एक अफसर को वहां पर रखें जो जल्दी से जल्दी इन कामों को कराये। और यह मैं बतला दूं कि इनके वहां पर रखने से हमारा काम बहुत सहूलियत से और बहुत थोड़े टाइम में हो रहा है जबकि वैसे उसमें बहुत अधिक समय लगता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जब उनके एक प्रेडिसेसर ने जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अपनी आनेस्टी के लिये प्रसिद्ध हैं इन अफसर के वि द्ध डेफिनिट चार्जेज लगाये थे तो उन मंत्री के हटते ही दूसरे मंत्री ने उन चार्जेज के बारे में उनसे पूछना तक क्यों नहीं उचित समझा ?

श्री गिरधारीलाल---मेरा खयाल है कि आनेस्टी के लिये तो सभी प्रसिद्ध हैं और जो चार्जेज थे वे सब के सामने बिलकुल साफ थे । मैंने जैसा बतलाया, उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया संक्षेप में बतायेंगे कि उनके विरुद्ध क्या क्या चार्जेज थे ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं काफी लम्बे चार्जेज होंगे, उन सब के बताने में कठिनाई होगी । संक्षेप में थोड़ा बहुत बतला दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । इस वक्त तो मेरे पास वह चार्जेज हैं नहीं । (हंसी)

अयोध्या घाट लकड़मन्डी, पर पुल-निर्माण

*५---**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती) तथा **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या घाट, लकड़ मंडी, पर जो ुल बन रहा है क्या इसका कार्य स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री महावीरसिंह)---प्रथम भाग--अभी तक पुल निर्माण का कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है ।

द्वितीय भाग---प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६---**श्री रणबहादुरसिंह तथा श्री बलदेवसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में जो किनारे पर बांध बनाया गया है उसके फलस्वरूप क्या गोंडा और बस्ती जिले में कटान अधिक हो रही है ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं ।

श्री बलदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उस पुल के बनने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह---सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत ।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, उत्तर में बताया गया है कि कोई कटाव नहीं हुआ लेकिन मेरी जानकारी है कि गोंडा जिले में स्टेशन के पास का गांव बिलकुल साफ हो गया है । तो यह किस अधिकारी की जांच के आधार पर मंत्री जी ने बताया है कि बस्ती और गोंडा में कटाव नहीं हो रहा है ?

श्री महावीरसिंह---अपने अधिकारियों की जांच के आधार पर ।

श्री उपाध्यक्ष---वह कौन से अधिकारी थे, यह भी तो बताइये ।

श्री महावीरसिंह---एक्जीक्युटिव इंजीनियर वगैरह ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पुल को बन जाना चाहिये था ? यदि हां, तो वह क्यों नहीं बना ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं ऐसा नहीं था। यह ९७.२५ लाख रुपये की लागत पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित था और निर्माण के लिये १०४.०२ लाख रुपये की लागत का ऐस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को १९५६ में भेजा गया था। उन्होंने विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण संशोधन हेतु इसको फिर लौटा दिया। अभियन्ता ने इस पुल के लिये दो आल्टरनेटिव स्कीमें बनाई थीं। एक १४५ लाख रुपये की और दूसरी १७० लाख रुपये की। १४५ लाख रुपये वाली सीमेंट कंक्रीट की थी और १७० लाख रुपये वाली आर० सी० सी० की थी। केन्द्रीय सरकार ने अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन उन्होंने अपने तार द्वारा "in anticipation of their approval" टेंडर मांगने की स्वीकृति दे दी है।

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा २२-३-६० के स्थगित प्रश्न]

मझवारा-परशुपुर सड़क के जंघई बांध पर पुल की आवश्यकता

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा-परशुपुर रोड, जिला अजमगढ़ में जंघई बांध पर पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह सूचना है कि बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष पुल के न होने के कारण उक्त मार्ग पर आना-जाना प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों का बन्द हो जाता है ?

श्री धर्मसिंह—वर्षा काल में इस मार्ग पर आने जाने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि अंबर ताल की खुदाई हो जाने के कारण रास्ता दुर्गम हो गया है और हजारों लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है ?

श्री धर्मसिंह—तकलीफ तो अवश्य होती है। इस पर पुल बनाने का विचार कर रहे हैं।

चकरा अव्वल व हांसूपुर ग्राम के किसानों का मुआवजा के लिये प्रार्थना-पत्र

*३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर में राप्ती पुल निर्माण के सम्बन्ध में हांसूपुर तथा चकरा अव्वल के निवासियों के प्रार्थना-पत्र दिनांक ९-१-५९ व २०-३-५९ को जिलाधीश, गोरखपुर को इस आशय के प्राप्त हुये थे कि उपरोक्त पुल निर्माण से सम्बन्धित भूमि तथा काटे गये पेड़ों का उचित तखमीना (मुआवजा) लगाया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—काश्तकारान के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है तथा ग्राम चकरा अव्वल व हांसूपुर में कटे तथा खड़े खेतों का उचित मुआवजा काश्तकारों को देने की कार्यवाही हो रही है।

*४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २३-३-५९ को भी चकरा अव्वल के कुछ निवासियों की ओर से राप्ती पुल निर्माण हेतु अधिकारियों द्वारा ली गई भूमि तथा उसमें कटे तथा बिला कटे पेड़ों की संख्या बतलाते हुये अनुरोध किया गया था कि कटे पेड़ों की रसीद दिला दी जाय ?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन काश्तकारों की एकमात्र जीविका अमरूद और बेर के पेड़ हैं जिसको बच्चे खाते थे ? अब वह भूखों मर रहे हैं। इसको देखते हुये मंत्री जी उनको मुआवजा जल्द दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---जी हां, भूखों नहीं मर रहे हैं लेकिन कोशिश हो रही है कि उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाय।

सिंचाई विभाग में क्लर्कों की पदोन्नति

*५---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियन्ताओं के कार्यालयों में कुछ ऐसे लोगों को जूनियर नोटर ऐन्ड ड्राफ्टर के पद पर उन्नति दी है जिन्होंने कि १९५६ में विभागीय परीक्षा पास की थी जब कि १९५५ में पास होने वाले व्यक्तियों को उस से वंचित रखा गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। यह ठीक है।

*६---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री धर्मसिंह---हर सर्किल का काडर (Cadre) अलग अलग है और एक सर्किल में काम करने वाले क्लर्क अपने ही सर्किल में तरक्की पाने के हकदार हैं। इस कारण किसी किसी सर्किल में १९५५ की परीक्षा पास किये क्लर्कों को तरक्की नहीं मिल सकी है यद्यपि दूसरे किसी सर्किल में १९५६ के पास शुदा क्लर्कों को तरक्की मिल गयी है। एक केस ऐसा भी है कि परीक्षा पास किये रहने पर भी वह व्यक्ति नोटर तथा ड्राफ्टर के पद के लिए अयोग्य पाया गया और उस ने स्वयं भी प्रार्थना की कि उसे और अनुभव प्राप्त करने के लिए टाइपिस्ट के ही पद पर रखा जाय।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसे कौन-कौन सर्किल हैं जिनमें १९५६ की परीक्षा पास व्यक्ति पड़े हैं और १९५७ की परीक्षा पास वाले लोग ले लिये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह तो किस किस सर्किल में है इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि जिस क्लर्क को उसकी प्रार्थना पर रोक दिया गया है कि अनुभव की कमी है जो पास हो गया था तो वह कितने दिनों के लिए रोक दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो ब्योरे का सवाल है। इस के लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---श्रीमन्, इस में लिखा है कि उस की प्रार्थना पर रोक दिया गया है तो कितने दिन के लिए रोक दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---उन्होंने स्वयं प्रार्थना की थी और उन की प्रार्थना के आधार पर उनको रोक लिया गया है।

* * * * *

माता टीला बांध जांच कमेटी

*११---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध के व्यय के सम्बन्ध में जांच करनेहेतु कोई कमेटी सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उस के कौन-कौन से सदस्य हैं तथा कमटी की अब तक की प्रगति क्या है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, माताटीला बांध जांच कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे :---

(क) श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस० .. चेयरमैन ।

(ख) श्री ए० सी० मित्रा, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश .. .. मेम्बर।

(ग) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश .. .. .. मेम्बर ।

उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को २७-१०-५९ को प्रस्तुत कर दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानित तखमीने में कितने रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री धर्मसिंह---कुछ बढ़ोत्तरी तो हुई है। शुरूआत में एक्जीक्युटिव इन्जीनियर द्वारा जो एस्टिमेट था वह ३.८९ करोड़ का था। बाद को ७.९९ करोड़ का दिया गया। इस समय जो पेश किया गया है वह ११.३९ करोड़ के करीब है जिस के लिए कमेटी इत्यादि बिठायी गयी है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)----माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कमेटी की जो रिपोर्ट है उस में वर्तमान योजना में हेरफेर करने का भी सुझाव दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---मैं इसका मतलब यह समझा हूं कि आगे के लिए जितनी योजनाएं हों, इस से सबक लिया जाय। इस प्रकार के सुझाव आये हैं। अभी कमेटी की रिपोर्ट की पूरी तरह से परीक्षा नहीं हो पायी है। लेकिन इस प्रकार के सुझाव शायद उसमें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उस रिपोर्ट में, जो व्यय किया गया है, उस व्यय के सिलसिले में कुछ आलोचना की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल---व्यय के सिलसिले में जरूर कुछ आलोचना की गयी है। मैंने अभी कहा कि वह रिपोर्ट गवर्नमेंट में आयी है। उसकी परीक्षा हो रही है लेकिन यह जरूर है कि उस में काफी देखने के बाद मालूम होता है कि जो उस में खर्चा हुआ है, अनअवायडेबिल सा था। फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा मालूम होता है कि अगर ज्यादा होशियारी से काम करते तो खर्च को कंट्रोल किया जा सकता था।

बागेश्वर-कपकोट मोटर सड़क में खराबी की शिकायत

*१२---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर--कपकोट मोटर रोड के तेरहवें मील पर हैमलटन ब्रिज कब से बन रहा है और कब तक उसके पूरे होने की आशा है ?

श्री महावीरसिंह---यह ब्रिज जनवरी सन् १९५८ में बनना आरम्भ हुआ था और अब बन कर पूरा हो चुका है।

*१३---श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि इस पुल पर बगेली गधेरे पर पिछले तीन सालों से सड़क खराब होने से कई ऐक्सीडेंट हो चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार ने आज तक सड़क को ठीक करने के लिए कौन-कौन से कार्य किये ?

श्री महावीरसिंह---सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस पुल पर बगली गधेरे पर कोई दुर्घटना हुई है। इस सड़क की दशा सन्तोषजनक है और रखरखाव के लिए नियुक्त गैंगों द्वारा इस का बराबर सुधार किया जाता रहा है।

*१४---श्री प्रतापसिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपकोट-बागेश्वर रोड के बनते समय उस क्षेत्र की जनता का कोई आवेदन-पत्र उस के बारे में सरकार तक पहुंचा? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---जी नहीं, ऐसा कोई आवेदन पत्र सरकार को नहीं मिला।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वह पुल सन् १९५८ में लोहे का बन गया था लेकिन जो भरान, तख्ते वगैरह थे, वह हटा लिये गये हैं, और उस पुल से आ जा नहीं सकते हैं, इस की छान बीन करने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरसिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है। वह पुल चालू है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन लोगों की जमीन ली गयी सड़क के बनाने के लिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरसिंह---इस प्रश्न से यह उठता नहीं है। फिर भी मुआवजे का कोई प्रश्न आया नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कपकोट वाली सड़क मंसियारी तक जायगी और वह बार्डर एरिया है, अपने विभाग को यह आदेश देंगे कि ऐसी सड़क बनायी जाय जिस पर जनता ठीक से जा सके और मिलिटरी का सामान भी जा सके?

श्री महावीरसिंह---जनता जाती है। मैं खुद हो आया हूं। आप चलें तो आप को भी ले चल सकता हूं।

रिहन्द तथा माताटीला बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*१५---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध तथा माताटीला बांध की डूब में आने वाले गांवों का अलग अलग क्षेत्रफल क्या है?

श्री धर्मसिंह---रिहन्द सागर की डूब में पूर्णतया तथा आंशिक रूप में आने वाले १०८ ग्रामों में १९ गांवों का क्षेत्रफल संलग्न सूची में दिया गया है। शेष ग्रामों का क्षेत्रफल भूमि प्राप्ति की कार्यवाही (Land acquisition proceedings) के उपरान्त ही बताया जा सकेगा क्योंकि मिर्जापुर जिले के इस इलाके का सर्वे नहीं किया गया है।

माताटीला बांध की डूब में आने वाले गांवों के क्षेत्रफल की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १९ गांवों की जमीन रिहन्द बांध में आ गयी है, १०,३०९ एकड़ और माताटीला बांध में १२,७४२ एकड़ जमीन आ गयी है, इसका मुआवजा किसानों को दे देंगे या नहीं और देंगे तो किस रेट से?

श्री धर्मसिंह---जहां तक रिहन्द बांध में डूब जाने वाले गांवों की जमीन का सम्बन्ध है, उनको ९,२७,६६६.३९ रु० मुआवजा दिया जा चुका है। जहां तक माताटीला बांध का सम्बन्ध है इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जो ९ लाख कई हजार की फीगर बतायी गयी यह रिहन्द डैम में जितनी जमीन ली गयी थी उस सब जमीन का पूरा मुआवजा है ?

श्री गिरधारीलाल—यह अभी तक जितनी जमीन ली गयी है उसका मुआवजा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जमीन में से जितनी जमीन उत्तर प्रदेश में पड़ती है और जो डूब जायगी तो उस में बसने वाले किसानों को अन्यत्र बसाने के लिए कोई भूमि उन को देने की व्यवस्था पर विचार किया है ?

श्री गिरधारीलाल—हां, इस बात पर विचार किया है और कोशिश की जा रही है। हमारे साथी सैयद अली जहीर साहब बैठे हैं, जो फारेस्ट के इन्चार्ज हैं, उनसे दरख्वास्त की है और जंगलात मुहकमे के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन को कहीं बसाया जाय ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष गांवों का जो सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, वह कब तक हो जायगा ? और क्या मुआवजे की दर में कोई तरमीम सरकार ने की है ?

श्री धर्मसिंह—जी, वह तो जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती रहेगी उसी के हिसाब से करते रहेंगे ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि रिहन्द डैम के लिए कितनी जमीन ली जा चुकी है और कितनी जमीन और बाकी ली जाने वाली है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल जैसा कि सूची में दिया है १०,३०९ एकड़ ली जा चुकी है। कितनी और ली जायगी, उसका तो सर्वे इत्यादि करना पड़ेगा और जैसे-जैसे आवश्यकता होगी उसके ऊपर विचार होता रहेगा ।

खीरी-ईसानगर सड़क पर नौरंगपुर का पुल निर्माण

*१६—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी-ईसानगर रोड, जिला खीरी पर नौरंगपुर पुल के निर्माणार्थ कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

श्री महावीरसिंह—४०,००० रुपये ।

*१७—**श्री जगन्नाथप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह—इस पुल के मार्च, १९६१ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

श्री जगन्नाथप्रसाद—यह ४० हजार रुपया जो स्वीकृत है यह सरकार का ही है या इस में गन्ने के किसानों का भी कुछ हिस्सा है ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं, ऐसी तो कोई इत्तला नहीं है कि गन्ने का है ।

नैपाल बांध के निर्माण की जानकारी

*१८—**श्री उग्रसेन**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गंडक की बाढ़ रोकने के लिए नैपाल बांध, देवरिया, गोरखपुर सीमा पर कब तक बनाया जावेगा ?

श्री धर्मसिंह—क्योंकि इस बांध के निर्माण के लिए नैपाल राज्य की अनुमति आवश्यक है और वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है, कोई निश्चित समय कि कब तक बांध बन जावेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

*१९—श्री उग्रसेन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले में घाघरा नदी में उत्तरी किनारे पर बाढ़ रक्षार्थ बांध बनाने की योजना चालू करेंगे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने छोटी गंडक की बाढ़ को रोकने के लिए नैपाल बांध बनाने के लिए जब नैपाल में वर्षों से जनतंत्र सरकार स्थापित हो चुकी है, तो उस सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह—उनको पत्र इत्यादि लिखे गये हैं, रिमाइन्डर्स दिये गये हैं और उनसे प्रार्थना की गयी है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जब यहां के प्रधान मन्त्री नैपाल गये हुये थे तो क्या उस समय यहां के सिंचाई विभाग के भी कुछ अफसर वहां गये हुये थे, जिन के सामने यह बात आयी थी और अखबारों में भी प्रसारित हुई थी कि अनुमति मिल गयी है बनाने के लिए ?

श्री धर्मसिंह—अब इसकी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(अगला प्रश्न पुकारा गया।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा १९ नम्बर का सवाल रह गया। उस पर मैंने एक भी सप्लीमेंटरी सवाल नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब एक दूसरा नाम बुला लिया गया है। दूसरा शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर लीजियेगा।

सीतापुर विद्युत् विभाग में नियुक्तियां

*२०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग में चपरासियों तथा इसी प्रकार के समान पदों पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता रक्खी गयी है ?

श्री धर्मसिंह—कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है, परन्तु शिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

*२१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने चपरासी एवं इसी प्रकार के समान पद के लिए सीतापुर विद्युत् विभाग में गत तीन वर्षों में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भर्ती किये और किस-किस योग्यता के ?

श्री धर्मसिंह—सीतापुर विद्युत् विभाग में गत तीन वर्षों में कुल तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी, उनमें से एक वाटरमैन और एक रनर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भरती किये गये। ये जूनियर हाई स्कूल पास हैं।

*२२—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर विद्युत विभाग के चपरासी विद्युत विभाग के अधिकारियों का निजी काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

* * *

जहानागंज-मुबारकपुर सड़क को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

*२६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज रोड स्टेशन से मुबारकपुर जाने वाली सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन लेने का प्रस्ताव मुबारकपुर टाउन एरिया की जनता की ओर से आया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपा कर इस रोड की उपयोगिता को देखते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लेने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरसिंह—तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तरिम जिला परिषद् की सिफारिश के ऊपर निर्भर है और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस सड़क पर विचार किया जाय।

* * *

विद्युत् यन्त्रों के लिये विनिमय की स्वीकृति

*२८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए विनिमय और इम्पोर्ट लाइसेंस की कठिनाइयों को दूर करने में अब तक क्या सफलता मिली है?

श्री धर्मसिंह—पहले विदेशी विनिमय के अभाव के कारण हरदुआगंज वाष्प विद्युत गृह तथा माताटीला जल विद्युत योजना के कार्य में बड़ी असुविधायें रहीं, परन्तु अब हरदुआगंज वाष्प विद्युत गृह के लिए खरीदे जाने वाले उत्पादक यन्त्रों के लिए विनिमय की स्वीकृति तथा माताटीला जल विद्युत योजना के लिए विदेशी विनिमय देने की सहमति भारत सरकार ने दे दी है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इन योजनाओं के लिए विनिमय को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने पहले भी आग्रह किया था?

श्री धर्मसिंह—जी हां, हमेशा से प्रार्थना करते आ रहे हैं।

बौठा माइनर में पानी की कमी की शिकायत

*२९—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में बौठा माइनर पिछले ६ महीनों में ३८ दिन चला था? १ फरवरी सन् १९६० ई० से ३० जून सन् १९६० ई० तक वह कितने दिन और चलेगा?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—सारदा नदी में पानी की अत्यधिक कमी के कारण इसका अन्दाजा नहीं दिया जा सकता।

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी राज्य की बनी हुई नहर सन् १९५५ तक कभी हफ्तेवार नहीं चली और अब शारदा सागर के बनने के बाद भी पानी की कमी क्यों है और हफ्तेवार क्यों चलती है?

श्री धर्मसिंह—इस दौरान में पानी की कमी नहीं रही। निवेदन के रूप में मैं कहूं कि दिसम्बर में १३ दिन चली, जनवरी में ७ दिन चली, सितम्बर में केवल ३ दिन चली। जहां तक अगस्त, अक्तूबर और नवम्बर में न चलने का कारण है, वह यह है कि १५ इन्च वर्षा अगस्त में हो गई। सितम्बर में २.९ इंच वर्षा हो गई। अक्तूबर में ३ इंच वर्षा हो गई। पानी की आवश्यकता नहीं थी, किसानों ने आवश्यकता महसूस नहीं की इसलिये जरूरत नहीं पड़ी।

सासनी से सासनी स्टेशन तक सड़क में खराबी की शिकायत

*३०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सासनी से सासनी स्टेशन तक सड़क के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ था और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--१९५८-५९ में ।

द्वितीय भाग--नवम्बर, १९६० तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

*३१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी मार्ग के आगे सासनी-बिजैगढ़ मार्ग को जो अब कंकड़ का बनने जा रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अन्तर्गत कब से लेने जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह--इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मन्त्री जी को मालूम है कि वह पुरानी सड़क उखाड़ दी गई थी और उस सड़क पर दो-दो फुट के गड्ढे हो गये हैं और २, ४ गाड़ी रोज उलट जाती है जिसके कारण लोगों को अस्पताल में भरती होना पड़ता है ?

श्री महावीरसिंह--अस्पताल जाने का पता नहीं है कि भरती हुई या नहीं किन्तु जब भी कोई सड़क बनायी जाती है तो खोदी तो जाती ही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--जब तक सड़क पक्की न हो जाय तब तक के लिये आने जाने के लिये मिट्टी का लेविल बनाने की सरकार कृपा करेगी जिससे गाड़ियां आसानी से निकल जायं ?

श्री महावीरसिंह--जब रोड बनायी जाती है तो उसके अगल-बगल में रास्ता बना दिया जाता है। उसके बारे में अगर उनको कोई शिकायत हो तो वे मुझे लिख कर दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

गौला नहर से सिंचाई न किये जाने वाले गांव

*३२--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी भूमि की सिंचाई गौला नहर से नहीं होती है ?

श्री धर्मसिंह--१२ गांव हैं।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १२ गांव किस-किस नाम के हैं और कहां-कहां पर हैं ?

श्री धर्म सिंह--ये १२ गांव इस प्रकार हैं-- काठगोदाम, कोना, ब्यूरा, हीरागण दिलोपसिंह, पनियला, निवाड़ सैलानी, फतेहपुर, बसानी, मीठा आंवला, चौसला, बिजपुर, हिम्मतपुर नरायण।

श्री ऊदल--क्या इन गांवों में सिंचाई की कोई व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह---इन गांवों में किसी न किसी रूप में सिंचाई की व्यवस्था है। जैसे वर्षा ऋतु में कलसी नाले से ४ स्थानों पर सिंचाई होती है। एक स्थान पर पनियाली स्रोत से सिंचाई होती है और उसके बाद कुमायूं इरीगेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिंचाई होती है। जो एक दो गांव बच जाते हैं उन में भी किसी न किसी तरह से सिंचाई की व्यवस्था है।

बेतवा नहर से दौलतपुर माइनर तथा ओधा क्षेत्र माधौगढ़ से पानी निकालने की योजना

*३३---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला जालौन में बेतवा नहर (कुठौंद शाखा) में दौलतपुर माइनर बढ़ाने की योजना है? यदि हां, तो कब इस कार्य को शुरू किया जावेगा?

श्री धर्मसिंह---जी हां, योजना के एस्टीमेट (estimate) बनाने तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही के उपरान्त कार्य शुरू किया जावेगा।

*३४---राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त दौलतपुर माइनर बढ़ाने से कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी?

श्री धर्मसिंह---लगभग १,६०० एकड़।

*३५---राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन में ओधा क्षेत्र माधौगढ़ से पानी निकालने की कोई योजना सरकार ने बनायी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही १९५९ तक हुई है?

श्री धर्मसिंह---जी हां, दिसम्बर, १९५९ तक ५ मील ४ फर्लांग नालों पर काम पूरा हो गया था।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक यह रिपोर्ट आ जायगी और यह कार्य कब शुरू किया जायगा?

श्री धर्मसिंह---समय बतलाना तो मुश्किल है। जमीन के लिये कोशिश की जा रही है और जमीन प्राप्त होने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार को मालूम है कि माधवगढ़ पर जो यह ५ मील ४ फर्लांग बनी है इसके अलावा भी बहुत से नाले ऐसे पड़े हैं कि जिनको बनवाने की जरूरत है और इस पर काम नहीं शुरू हुआ है?

श्री धर्मसिंह---एक आध नाले इस प्रकार के हैं जो इस स्कीम के अन्तर्गत आयेंगे और उनपर विचार किया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैंने स्वयं माधवगढ़ के सम्बन्ध में एक काफी विस्तृत योजना भेजी थी कि किस प्रकार वह ठीक हो? क्या उन्होंने उस योजना को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है?

श्री धर्मसिंह---क्या योजना आपने भेजी है उसे तो देखना पड़ेगा। फिलहाल उसकी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है।

आगरा तहसील में गांवों को बिजली देने की प्रार्थना

*३६---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तहसील के किन-किन गांवों में जल विद्युत के तार जाते हैं और किन-किन ग्रामों को कृषि और उद्योग के लिये विद्युत दी जाती है?

श्री धर्मसिंह---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ७१९ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मन्त्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जिन-जिन गांवों में इस विद्युत के तार जाते हैं वहां कृषि और उद्योग के लिये सर्वसाधारण को बिजली का कनेक्शन मिल जाय?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तो बिजली की कमी है, लेकिन जैसे-जैसे वह उपलब्ध होती जायगी सरकार उसके लिये प्रयास करती है।

दोहरी घाट पम्प नहर शाखाओं का टूट जाना

*३७---श्री झारखण्डेराय---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या दोहरी घाट पम्प नहर के घोसी-भाग में कई स्थानों पर नहर शाखाओं के टूट जाने के कारण आस-पास की रबी की फसल को अत्यधिक हानि हुई है?

श्री धर्मसिंह---जी हां। दो स्थानों पर नहर शाखाओं के टूट जाने के कारण आस-पास की रबी की फसल को कुछ हानि हुई है।

*३८---श्री झारखण्डेराय---यदि हां, तो सरकार ने उन नहर ब्रांचों के किनारों को मजबूत करने तथा क्षतिग्रस्त किसानों की राहत के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मसिंह---किनारों को मजबूत करा दिया गया है और क्षतिग्रस्त किसानों की राहत के लिये मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री झारखण्डेराय---क्या माननीय मन्त्री जी के पास इसकी सूचना है कि यह पानी बह कर कितने एकड़ जमीन पर फैला था और कितनी खेती को इसने डुबाया?

श्री धर्मसिंह---जहां तक रजबहे इन्दारा का ताल्लुक है, उसमें मटर और लतरी की फसल का ३ बीघा १३ बिस्वा पानी में डूब गया और उसके बाद दूसरे स्थान पर २ मील २ फर्लांग पर पटरी में कुछ खांदी हुई, जिसके कारण कुछ स्थान पर पानी भर गया लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। तीसरे सूरजपुर माइनर में ३ फर्लांग ६ के दाहिनी पटरी में कुछ खांदी हो गई थी और उसमें १५ बिस्वा का रकबा किसानों का डूब गया।

नहर विभाग की इटावा शाखा के अधिकारियों के विरुद्ध चिरखारी गांव से शिकायत

*३९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास कानपुर जिले के नहर विभाग की इटावा शाखा के अधिकारियों के विरुद्ध गांव चिरखारी, डाक मंगलपुर, जिला कानपुर के पंचों की तरफ से कोई शिकायत आई है? अगर हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मसिंह---जी हां। इस पर जांच कराने के बाद पंचों को सूचित कर दिया गया कि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रार्थियों की शिकायत क्या थी और वह क्यों नहीं स्वीकार की जा सकीं?

श्री धर्मसिंह---शिकायत का जहां तक सम्बन्ध है, किसानों ने जो प्रार्थना-पत्र आदि दिये थे उनमें यह लिखा हुआ था कि जो उस क्षेत्र में कुलाबा नं० ३ है वहां पर पानी की कमी है और एक माइनर वहां पर निकाल दी जाय। इसके अलावा कुलाबा नम्बर २ के कमान्ड को भी शामिल करने की प्रार्थना थी। इन सब बातों की तहकीकात की गयी और उसके बाद उनकी मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---इसका कारण क्या था?

श्री धर्मसिंह---कारण सिर्फ यह था कि पानी की कमी थी।

पवई-मित्तपुर सड़क को सुरहुरपुर तक बढ़ाने की प्रार्थना

*४०---श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् ने सन १९५९ और १९६० में कोई प्रस्ताव पास कर कानपुर सरकार के पास तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सिफारिश की है कि फूलपुर तहसील में ग्राम पहाड़पुर या उसके आस-पास मझुई नदी पर एक पुल निर्माण किया जाय जिससे कि श्रमदान और भूदान द्वारा बनायी गई पवई-मित्तपुर रोड को सुरहुरपुर तक बना कर उसे पी० डब्ल्यू० डी० की रोड से मिला दिया जाय और उससे आवागमन और गन्ने को मिल तक ले जाने की सुविधा हो जाय? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

गोकनी नाला निर्माण योजना

*४१---श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, परगना मारहरा में गोकनी ड्रेनेज बनाने के लिये सर्वे किया गया है? यदि हां, तो ग्राम गोकनी के तालाब का कुल कितना क्षेत्रफल है? उसमें से कितने क्षेत्रफल में इस साल धान की फसल हुई, कितने क्षेत्रफल में रबी की फसल बोई गई और कितना क्षेत्रफल खाली पड़ा रहा?

श्री धर्मसिंह---जी हां, ग्राम गोकनी के तालाब का क्षेत्रफल (क्षेत्र जो वर्षा के पानी से डूब जाता है) ११५ एकड़ है। इस में से इस वर्ष सन् १३६७ फसली में लगभग १०० एकड़ भूमि में धान की काश्त हुई और लगभग ८० एकड़ भूमि में रबी बोई गई। फसल खरीफ में १५ एकड़ और रबी में ३५ एकड़ भूमि खाली पड़ी रही।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाले के निर्माण में कितनी भूमि नष्ट होगी और उसका कितना मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा?

श्री धर्मसिंह---नाले के बनाने में ३३ एकड़ के करीब जमीन ली जायगी। जो मुआवजा वगैरह का रेट है वह बाद में तय होगा।

राजपुर का नलकूप खराब हो जाना

*४२---श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि गत चार महीने से कोई राजपुर, वाराणसी सिंचाई नलकूप बन्द है जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही है?

श्री धर्मसिंह---जी हां, इस नलकूप के पाइप बजरी व रेत से बिल्कुल भर गया है जिसके कारण वह गत माह दिसम्बर से कार्य में नहीं लाया जा सका।

श्री राजनारायण---क्या सरकार उन कारणों को स्पष्ट करेगी कि क्यों राजपुर नलकूप का पाइप बजरी और रेत से भर गया?

श्री धर्मसिंह--उसका कारण यह था कि सिलैटेन्ट पाइप में एक चीज होती है उस नलकूप में उसमें रेत इत्यादि भर गया और उससे वह खराब हो गया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि इस नलकूप के अलावा भी और ऐसे नलकूप हैं जिसमें सूत जो जाली का होता है, वह जितना मोटा होना चाहिये था वह उसका आधा मोटा भी नहीं था जिससे वह जाली टूट गयी और उसमें रेत भर गयी जिससे नल-कूप टूट गया ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल, जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तो यही है जैसा कि प्रश्न में निवेदन किया था।

अतरसन नाले पर पुलों की निर्माण योजना

*४३--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ तहसील पट्टी में अतरसन ड्रेन पर खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो आज तक कितनी लम्बी खुदाई हो चुकी ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। लगभग ५ मील लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है।

*४४--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास यह सिफारिश आयी है कि उपरोक्त ड्रेन को कम गहरा और कम चौड़ा खुदवाया जाय ? यदि हां, तो अब तक उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। जांच-पड़ताल हो रही है।

*४५--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--उपरोक्त ड्रेन पर कुल कितना खर्च लगेगा और क्या सरकार इस ड्रेन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण देने की कृपा करेगी:--

(क) ड्रेन की लम्बाई,

(ख) कितने पुल और किन-किन स्थानों पर ?

श्री गिरधारी लाल--लगभग ७५ हजार (पचहत्तर हजार) रुपये।

(क) १३ मील १ फर्लांग,

(ख) अतरसन ड्रेन पर चार पुल प्रस्तावित हैं। जिन स्थानों पर यह पुल बनेंगे उसके विवरण की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२० पर)

बडनपुर वोरहार, महू, दिवरोली माइनर शाखाओं में पानी की कमी

*४६--श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर गंग डिवीजन, कानपुर के खेर नगर रजबहा से माइनर बडनपुर वोरहार में पानी बढ़ाने व माइनर बढ़ाने के लिये सरकार के पास आवेदन-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--सरकार के पास ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं आया।

*४७--श्री मलिखानसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर गंग इटावा डिवीजन, इटावा में नहर शाख इटावा से जवापुर दिवरोली माइनर निकालने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह प्रस्ताव विचाराधीन है। पूर्ण होने के बारे में अभी कुछ कहने का प्रश्न नहीं उठता।

*४८---श्री मलिखानसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर गंग डिवीजन, कानपुर खेर नगर रजबहा से माइनर महू, स्योरा में पानी बढ़ाने व माइनर बढ़ाने के लिये सरकार के पास आवेदन-पत्र आये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री धर्मसिंह---अधिशासी अभियन्ता, कानपुर डिवीजन को इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र मिला था। उक्त अधिकारी ने प्रार्थियों को सूचित कर दिया था कि माइनर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह योजना कब से विचाराधीन है और कब तक पूरी होगी?

श्री धर्मसिंह---इसका तो सर्वे इत्यादि किया जायेगा। अब कितना समय लगेगा, यह बताना कठिन है इस समय।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किस आधार पर यह आंका है कि वहां माइनर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है?

श्री धर्मसिंह---जहां तक माइनर का सम्बन्ध है वहां पर एक मील की दूरी पर एक बांदी नदी बहती है। इस कारण अगर इसको बढ़ाते हैं तो इससे लाभ होने की सम्भावना नहीं है, इसलिये वहां माइनर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ललितपुर सब-डिवीजन में तालाबों की सुधार योजना

*४९---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार ११-३-५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में उखन, नत्थो खेरा और जमालपुर तालाबों में योजना के अनुसार क्या-क्या सुधार किये गये और उन पर कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री धर्मसिंह---विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२१ पर)

*५०---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार ११-३-५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन में जिन १० योजनाओं का सर्वे कराया गया था, उनमें से सरकार द्वारा कौन-कौन-सी योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं और उनका काम कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री धर्मसिंह---निम्नलिखित ३ योजनाओं की स्वीकृति हो गई है:

१---पठा बन्धी।

२---डुलावन रजबहा।

३---बुचेरा ताल।

उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को अधिगृहीत करने की कार्यवाही की जा रही है तथा भूमि प्राप्त होते ही निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

*५१---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन, जिला झांसी में जामनी नदी पर बांध बांधने और ताल बेहट से ११ मील यूराकलां के पास बरुआ नाले पर बांध बांधने के लिये सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उक्त बांध कब तक बनाये जायेंगे?

श्री धर्मसिंह---जामनी नदी पर ग्राम देवरी के पास बांध बनाने के लिए सर्वे हो रहा है। यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा स्वीकृत हो जाने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि इस योजना पर कार्य होगा या नहीं।

बरुआ नाले पर बांध बांधने के लिए कोई सर्वे नहीं कराया जा रहा है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---जो बाकी ७ योजनायें सर्वे हो चुकी हैं उनको कब तक स्वीकार कर लिया जायगा?

श्री धर्मसिंह---धन उपलब्ध होगा तभी स्वीकार किया जा सकेगा।

सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का खयाल रखते हुये कि बरवा नाला बांध बांधने की मांग उस क्षेत्र के निवासियों की है उसका सर्वे कराने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह---जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका सर्वे करा लिया जायगा।

लोकोमोटिव कम्पोनेन्ट वर्कशाप, मड़ुहाडीह को मिलाने वाली सड़कों की निर्माण योजना

*५२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक ९-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि १ अक्तूबर, १९५८ को प्रस्तुत की गयी योजना की जांच किसके द्वारा कब कराई गयी और अन्तिम रूप से योजना सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुई?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---योजना की जांच रेलवे के प्रधान अभियन्ता, जिलाधीश, वाराणसी तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्काल ही आरम्भ कर दी गई थी।

द्वितीय भाग---वर्कशाप को जाने वाली दो सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिये जाने की योजना सरकार को अन्तिम रूप से दिनांक १९ फरवरी, १९५९ को प्राप्त हुई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---अन्तिम रूप से प्राप्त योजना और भावी प्रस्तुत योजना में क्या-क्या परिवर्तन हुये हैं?

श्री महावीरसिंह---छोटे-मोटे बहुत थोड़े से हुये हैं।

* * * * *

गाजीपुर जिले के कुछ स्थानों को बिजली देने की प्रार्थना

*५८---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गाजीपुर जिले में जमानिया, दिलदार नगर, मुहम्मदाबाद, बहादुरगंज, मरदह, जंगीपुर, थाना विरनों, दुल्लहपुर, शादियाबाद सादात, भीमापार, सैदपुर, नन्दगंज, ग्राम विरनों आदि स्थानों में बिजली देने की कोई योजना सरकार के समक्ष है? यदि हां तो कब से?

श्री धर्मसिंह---इन स्थानों में बिजली देने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे प्रगति के युग में भी इन कथित स्थानों में बिजली न देने के क्या कारण हो सकते हैं ?

श्री धर्मसिंह---धनाभाव।

फर्रुखाबाद जिले की नलकूप योजना

*५९---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में इस वर्ष कितने नलकूप बन रहे हैं और किन-किन ग्रामों में ?

श्री धर्मसिंह---फर्रुखाबाद जिले में १९५९-६० में ८ नलकूप बनने के लिए स्वीकृत हुए थे। किन ग्रामों में यह नलकूप लगेंगे, यह अभी निश्चित नहीं हुआ है।

*६०---श्री राजेन्द्रसिंह यादव---यह नलकूप कब तक बन जायेंगे और इन को बनाने में सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा ?

श्री धर्मसिंह---आशा की जाती है कि यह नलकूप इस वर्ष (१९६०-६१) में बन जायेंगे। इन नलकूपों की अनुमानित लागत लगभग चार लाख रुपये है।

*६१---श्री राजेन्द्रसिंह यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने नलकूप हैं जिन पर अब तक पक्की नालियों का निर्माण नहीं हो सका है ?

श्री धर्मसिंह---फर्रुखाबाद जिले में कुल ३ नलकूप ऐसे हैं जिन पर अब तक पक्की गूलों का निर्माण नहीं हो सका है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---इन ग्रामों को निश्चित करने में सरकार को क्या कठिनाई है और ये कब तक निश्चित हो जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---कठिनाई तो कोई नहीं है। अस्थायी रूप से थोड़े बहुत तो हो भी चुके हैं। अगर उनमें तब्दीली आवश्यक हुई तो वे १० स्थान हैं, उनमें से ८ छांट लिये जायेंगे। वैसे दिक्कत कोई नहीं है।

कोंच को बिजली देने की प्रार्थना

*६२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के किन-किन नगरों व कस्बों में बिजली का प्रसार हो गया है ?

श्री धर्मसिंह---जालौन जिले के कालपी, उरई तथा जालौन नगरों का विद्युतीकरण हो गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करते हुये कि कोंच उस जिले की विख्यात अनाज की मंडी है, वहां भी बिजली की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल जांच इत्यादि की जा रही है। उस पर विचार किया जायगा यदि खर्चा अधिक नहीं पड़ा तो।

* * *

विद्युत विभाग का पुनः संगठन

*६५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने अक्तूबर, १९५९ में या उसके आस-पास विद्युत् विभाग का कोई पुनः संगठन किया था ?

श्री धर्मसिंह---विद्युत् विभाग का पुनः संगठन सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किया गया था।

*६६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उस पुनः संगठन के फलस्वरूप विभाग के स्टाफ और खर्च में कितनी-कितनी कमी हुई ?

श्री धर्मसिंह—पुनः संगठन के फलस्वरूप २ सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तथा २ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद कम किये गये। इससे लगभग ४,००० रुपये मासिक की खर्च में कमी हुई है। निकट भविष्य में ३ एग्जीक्यूटिव तथा ७ असिस्टेंट इंजीनियरों के पद तथा ३ डिवीजन और कम हो जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि जिन दो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पद कम किये गये उनका क्या हुआ ? वे अधिकारी क्या अलग कर दिये गये या कहीं दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—एस० ई० की पोस्ट पर नीचे से प्रमोशन होते हैं इसलिये उनको अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह अपनी पुरानी पोस्टों पर काम कर रहे हैं।

बस्ती जिले में बिजली देने के सम्बन्ध में जानकारी

*६७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० और १९६०-६१ के आर्थिक वर्ष में बस्ती जिले के किन-किन कस्बों में वह बिजली देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार इस पिछड़े और बड़े जिले को देखते हुये वहां पर बिजली लगाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न यहां पर कई दफे आ चुका है, इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इतना बतला देना चाहता हूं . . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जो प्रश्न विचाराधीन हैं उनका भी रेफ़्रेन्स मंत्री जी कर दें।

श्री गिरधारीलाल—तो यह सब काम एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुपुर्द कर दिये गये हैं। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूरी तौर पर तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन सेमी कमर्शियल लाइन पर वह चलता है। जिन गांवों या कस्बों में बिजली लगाने की बात है वहां वह देखेगा कि वहां से उसका उतना रिटर्न भी होता है या नहीं। इसके अलावा आज के युग में फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कतें हैं और इसी प्रकार की बहुत सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से, जैसा कि प्रश्नों के जवाब में बतलाया गया, हर एक स्थान पर एलेक्ट्रीफाई करना मुश्किल है। दो एक स्थानों पर, एक तो शायद फैजाबाद में और दूसरे गोरखपुर (फरेंदा) में बिजली दी गई है। इसके अलावा और किसी जगह अभी बिजली नहीं दी गई है।

* * *

घाघरा नहर घाटी योजना

*६९—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घाघरा नहर घाटी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*७०—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रूपरेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना को चालू करने का कोई सुझाव सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो सरकार योजना को कब तक चालू करेगी ?

श्री धर्मसिंह—सुझाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन धन की कमी के कारण सबको नहीं लिया जा सकता।

राजपुर का नलकूप खराब हो जाना

*७१—श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत कोई राजपुर का नलकूप गत कई महीनों से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। इस नलकूप के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि वह बहुत शीघ्र ही तैयार हो जायेगा।

श्री राजनारायण—क्या आवश्यक कार्यवाही के अन्तर्गत वहां पुनः नलकूप गाड़ा जा रहा है, उस जगह पर या उसके अतिरिक्त दूसरी जगह पर ? और अगर कार्यवाही शुरू हो गई है तो कब से ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल सर्वे इत्यादि किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोशिश की जायगी कि जहां भी उपयुक्त स्थान हो, ट्यूबवेल जहां पर कामयाब हो सके, वहां पर बना दिया जायगा।

सारदा कैनाल ब्रांच, शाहजहांपुर की झालों को नीचा करने से सिंचाई में असुविधा

*७२—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह मालूम है कि सारदा कैनाल ब्रांच शाहजहांपुर व उसके रजबाहों की झालों की १ या २ ईंटें उतार कर नीचा कर दिया गया है और कुलाबों पर पानी पूरी तरह नहीं चढ़ता है तथा आबपाशी पहले के मुकाबले में कम होती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, १२ साल पहले कुछ झालों की क्रेस्ट एक-एक ईंट नीची कर दी गई क्योंकि इस ब्रांच में रेत काफी मात्रा में जमा होने लगी थी और यह ब्रांच पानी नहीं ले पाती थी और उससे सिंचाई में हानि होती थी। उक्त कार्यवाही से सिंचाई में कोई बाधा नहीं हुई।

*७३—श्री बालकराम—यदि हां, तो क्या सरकार उन झालों को पहले की भांति बराबर कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—सिंचाई में कमी न होने के कारण इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री बालकराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब झाल की एक-दो ईंटें उतार दी जायंगी तो नहर का पानी नीचा हो जायगा और कुलाबे पर पानी कैसे चढ़ेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि किस सिद्धान्त के अनुसार यह किया गया।

श्री धर्मसिंह—यह सिद्धान्त के रूप में ही किया गया। रेत इत्यादि अधिक इकट्ठा हो जाती थी इसलिये आवश्यकता पड़ी कि एक-दो ईंटें निकाल दी जायं। पानी नीचा रहने के बाद टेल तक पहुंच जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह इसलिये किया गया है कि ऊंचे जिलों में टेल तक पानी पहुंच सके चाहे शाहजहांपुर जिले को पानी मिले या न मिले ?

श्री धर्मसिंह---आंकड़ों को देखें तो आबपाशी में कमी नहीं हुई है।

खीरी-लघुचा सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*७४---**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी से लघुवा जाने वाली सड़क का जिस पर रोडवेज की बस चलती है जीर्णोद्धार व पुनः निर्माण करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह सड़क इस समय किसके आधीन है और इसकी मेन्टीनेंस कौन करता है ?

श्री महावीरसिंह---सार्वजनिक निर्माण विभाग।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस सड़क के महत्व को देखते हुये कि यह इन्टर-डिस्ट्रिक्ट सड़क है और इस पर रोडवेज की बस चलती है और सड़क बहुत खराब हालत में है, तो क्या सड़क न बना कर बस को रोकने का विचार है या सड़क बनवाने का विचार है ?

श्री महावीरसिंह---अगर नागर साहेब चाहेंगे तो इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिल जायगी।

* * *

जामनी नदी पर बांध निर्माणार्थ सर्वे

*७६---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जामनी भोटा, तहसील महरौली, नारायणी पिपरमी तहसील ललितपुर, झांसी की नदियों का बांध बनाने के लिये कोई सर्वे कराया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---जामनी नदी पर ग्राम देवरी के पास बांध बनाने की उपयोगिता के हेतु सर्वे किया जा रहा है।

*७७---**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बन्धों पर कितना-कितना धन व्यय होगा और कितनी-कितनी जमीन सींची जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---चूंकि अभी सर्वेक्षण ही हो रहा है इसलिये उसके बनाने में कितना व्यय होगा, यह कहा नहीं जा सकता।

रिठौली और बढ़ौरी में नलकूप लगाने की जानकारी

*७८---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला इटावा के पार पट्टी के ग्राम रिठौली और बढ़ौरी में ट्यूबवेल लगाने जा रही है ?

*७९---यदि हां, तो ट्यूबवेल कब तक लग जावेंगे और उनमें कितना-कितना धन व्यय होगा ?

*८०---इस ट्यूबवेल योजना में कितना रुपया सरकार सहायता के रूप में देने जा रही है और कितना ग्रामवासी लगायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री भजनलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक सूचना एकत्र न होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---सूचना मंगाने में समय लगता ही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब उसका सर्वे करा लिया गया है और इंजीनियर्स ने भी देख लिया है तो सूचना एकत्र करने में क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह---सर्वे से ही काम नहीं बनता है, इंटीरियर से सूचना आनी है और इसलिये समय लगेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेटों का कार्य

*८१---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० में काम करने वाले मेट और कलेक्शन मेटों से क्या-क्या काम लिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल---इसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ ७२२ पर)

*८२---श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० के वर्क-चार्ज्ड इम्प्लाईज से एपाइन्टमेन्ट का फार्म भराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---इस विभाग के वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों से एपाइन्टमेन्ट का कोई फार्म नहीं भराया जाता है ।

ओवरसियरों को मुलाजमत देना

*८३---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ओवरसियर (सिविल इंजीनियरिंग) प्रति वर्ष पिछले दो वर्षों में ओवरसियर परीक्षा में सफल हुए हैं ?

श्री धर्मसिंह---१९५८ में २,०१७ और १९५९ में १,९१८ ।

*८४---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सफल हुये परीक्षार्थियों में से २० प्रतिशत से अधिक के लिये इस प्रदेश में काम में लगाने की गुंजाइश नहीं है ? यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औसतन साल में वह कितने ओवरसीयरों को एम्पलायमेंन्ट देती है और उसने इन सालों में कितने आदमियों को एम्पलायमेन्ट दिया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके आंकड़े तो नहीं है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नौकरी दे । स्कूलों के रिजल्ट के आधार पर कुछ परसेंटेज के द्वारा लड़के लिये जाते हैं ।

श्री जरगाम हैदर--क्या सरकार ने एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से जांच कराई कि साल भर में कितने लड़कों को नौकरी दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार बाकी ८० प्रति शत लड़कों को काम दिलाने की कोई योजना निकालेगी ?

श्री गिरधारीलाल--इस पूरे सवाल के पीछे एक कहानी सी है। जिस समय हमारे प्लान शुरु हुए उस समय पूरे प्रान्त में बहुत से स्कूल खुल गये और जरूरत से ज्यादा ओवरसीयर आने लगे। सरकार ने इस पर बिचार करके एक एडहाक कमेटी बनाई जिसमें रुड़की यूनिवर्सिटी के तथा दो एक और भी विशेषज्ञ रखे। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे जब तक उन तमाम स्कूलों को मान्यता नहीं देंगे तब तक वहां के लड़कों को मान्यता नहीं मिलेगी और वहां के लड़कों को नहीं रखा जायगा। अभी तक जो लड़के वहां से निकले उनको काम में लगाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार २००, ३०० ओवरसीयर काम में लगाये भी गये। आगे के लिये २ साल के बजाय ३ साल का कोर्स कर दिया है और हर व्यक्ति को ओवरसीयरी पास करने का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। यह कोशिश है कि केवल डिजर्विन्ग लोग ही आवें और दिल्ली तथा दूसरी जगहों, ४, ५ स्टेट्स हैं वहां यहां के लड़कों को भेजने की कोशिश की जा रही है।

कादीपुर तहसील में नदियों से कटाव

*८५--**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील का अधिक भू-भाग गोमती व मझुई नदी तथा इनके सहायक नालों के कारण कटता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कटाव के रोकने के लिये कौन-सा प्रयास किया ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, परन्तु इस कटाव को रोकने के लिये कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

मैनपुरी डिवीजन के नलकूप तथा नहर विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*८६--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी के ट्यूबवेल विभाग डिवीजन, मैनपुरी, में जनवरी, १९६० में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे ?

श्री गिरधारीलाल--ट्यूबवेल डिवीजन, मैनपुरी, में जनवरी १९६० में ७५१ कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें ६९४ रेगुलर इस्टेब्लिशमेन्ट तथा ५७ वर्क-चार्ज्ड में थे। संलग्न तालिका में उन पदों के नाम दिए हैं, जिन पर ये कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से रेगुलर इस्टेब्लिशमेन्ट में ५१ तथा वर्क-चार्ज्ड में ६ कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ ७२३ पर)

*८७--**श्री रामदीन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी डिवीजन के कैनाल विभाग में जनवरी, १९६० में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे ? उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल--मैनपुरी डिवीजन, लोवर गंगा कैनाल में जनवरी, १९६० में ३३९ कर्मचारी कार्य कर रहे थे। संलग्न तालिका में उन पदों के नाम दिये हैं जिन पर ये कर्मचारी काम कर रहे थे। उनमें से २० कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे।

(देखिये नत्थी 'छ', आगे पृष्ठ ७२४ पर)

देवरिया में हाइडल विभाग द्वारा प्राप्त भूमि का मूल्य न मिलना

*८८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका के अन्तर्गत देवरिया में हाईडल विभाग द्वारा जो भूमि प्राप्त की गयी थी उसका मूल्य उसने अब तक किसानों को क्यों नहीं दिया है और इसमें ५ वर्ष से ऊपर की देर क्यों हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है।

बरसाती पानी निकालने के नाले

*८९--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने १ जनवरी सन् ५९ से ३१ दिसम्बर, ५९ तक प्रान्त में वाटर लागिंग निवारण के लिये कुल कितने मील नाले खुदाये और कितने मील नाले गहरे या चौड़े किये गये और उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें नाले खुदवाये गये ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है।

भैंसरई के पास नहर की पटरी फटने की शिकायत

*९०--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा भैंसरई मील नं० ५३, जिला इटावा, पर नहर की पटरी फटी है और आस-पास काफी गड्ढे हो गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*९१--श्री अभयराम यादव--क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर ने उसका निरीक्षण १२-१२-५९ को किया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

उन्नाव जिले के लिए सिंचाई योजनायें

*९२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के सिंचाई अभियन्ता (सारदा कैनाल) ने तृतीय पंचवर्षीय योजना हेतु उन्नाव जिले की कोई सिंचाई योजना भेजी है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*९३--श्री भगवतीसिंह विशारद--यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--प्रस्तावित योजनाओं के विवरण की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज', आगे पृष्ठ ७२५ पर)

* * * *

बाराबंकी जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*९५---**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में बाराबंकी जिले में कौन-कौन-सी सड़कें निर्मित होना है ?

श्री गिरधारीलाल---बाराबंकी जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में संलग्न सूची में दिखाई गई सड़कों पर निर्माण-कार्य करने का विचार है।

(देखिए नत्थी 'ज-१', आगे पृष्ठ ७२६ पर)

कसया-पिपराघाट सड़क को नेशनल हाईवे बनाने का सुझाव

*९६---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्न कर्ता द्वारा १९५९ में भेजा गया इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि कसया पिपराघाट रोड, जिला देवरिया, को नेशनल हाई वे के लिये निर्धारित किया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---उस पर विचार कर लिया गया है परन्तु उसमें दिये गये सुझाव को मानने में सरकार असमर्थ है।

फर्रुखाबाद जिले में ग्राण्ड ट्रंक रोड से बाई-पास बनाने की आवश्यकता

*९७---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि फर्रुखाबाद जिले में ग्रान्ड ट्रंक रोड किन-किन ग्रामों के मध्य से होकर निकलती है?

श्री गिरधारीलाल---फर्रुखाबाद जिले में ग्रान्ड ट्रंक रोड जिन ग्रामों के मध्य से होकर निकलती है उनके नाम सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'झ', आगे पृष्ठ ७२७ पर)

*९८---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार ग्रान्ड ट्रंक रोड पर बढ़ते हुए यातायात तथा सराय मीरा में मोड़ पर रोडवेज की बस तथा प्राइवेट कार के एकाएक लड़ जाने से होने वाली घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए उपरोक्त ग्रामों में बाई-पास बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---छिबरामऊ ग्राम में बाई-पास बना हुआ है और अन्य ग्रामों में बाई-पास बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्नाव जिले में सड़कों व पुलों की निर्माण योजना

*९९---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले से तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु अन्तरिम परिषद् व उच्च अधिकारियों ने सिफारिश की है ?

श्री गिरधारीलाल---यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची संख्या १ व २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ', आगे पृष्ठ ७२८-७३० पर)

*१००—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में द्वितीय योजना के निर्धारित निर्माण कार्य कितने पूरे हो गये हैं और कितने अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची संख्या ३ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७२८–७३० पर)

*१०१–१०२—**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला वाराणसी)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

बरेली में रामगंगा के पुल का निर्माण

*१०३—**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में रामगंगा का जो पुल बन रहा था उसका बनाना स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब यह पुल किस सन् में बन कर तैयार होगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—पुल के दिसम्बर, १९६१ तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है।

* * * *

सिंचाई विभाग, मेरठ डिवीजन, के चीफ इंजीनियर की कार की मरम्मत तथा जामों नाला से मुरसान गांव को क्षति

*१०७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सिंचाई वर्कशाप, मेरठ, के ट्यूबवेल डिवीजन में सिंचाई विभाग के किसी चीफ इंजीनियर की कार की मरम्मत जून, १९५७ से जून, १९५९ के बीच की गयी और उसके संबंध में लगभग पौने दो सौ रुपये का चेक वहां के ट्यूबवेल डिवीजन के किसी अधिकारी को दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—इस विषय में छानबीन की जा रही है।

*१०८—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जी० के० अग्रवाल, चीफ इंजीनियर वेस्ट, जब सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर अलीगढ़ थे तब उन्होंने मुरसान ड्रेनेज के नाम से एक नाला खुदाया था जिससे मुरसान के आस पास का पानी नदी में बह जाय किन्तु बजाय नदी में पानी जाने के नदी का पानी नाले से आकर मुरसान स्टेशन व गांव को डुबो गया ? यदि हां, तो इस डिजाइन के दोषी उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिसके कारण सरकार व जनता को इतना बड़ी हानि उठानी पड़ी और अब दूसरा प्रोजेक्ट उक्त कार्य के लिये बनाना पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल—मुरसान ड्रेन के नाम का कोई नाला सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाया गया। अलबत्ता १९५७–५८ में जामो ड्रेन के नाम का एक नाला बनाया गया था जिसका स्तर करबन नदी के उस समय तक ज्ञात उच्च बाढ़ स्तर से ऊंचा बनाया गया था, जिससे कि नदी से नाले में पानी वापस आने की कोई संभावना नहीं थी किन्तु १९५८ में अप्रत्याशित वर्षा के कारण नदी का उच्च बाढ़ स्तर काफी बढ़ गया। इससे ग्रामों ड्रेन से पानी निकलने में अड़चन हुई। अतः उस इलाके का जमा हुआ पानी एक

प्राकृतिक नाले द्वारा मुरसान गांव की तरफ से निकल गया, जिससे पानी के उल्टे बहाव की गलत धारणा पैदा हो गई।

चूंकि नाले के निर्माण में कोई खराबी न थी इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले में नलकूप तथा नहरें

*१०९--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में इस वक्त कुल कितने सरकारी टयूबवेल्स हैं ?

श्री गिरधारीलाल--१३३ ।

*११०--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त जिले में तहसीलवार कुल कितने मील लम्बी नहरें हैं ।

श्री गिरधारी लाल--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट', आगे पृष्ठ ७३१ पर)

*१११--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, में वायांगरेम, नहर से निकलने वाली बीजामऊ जदीद माइनर कब तक बनना आरम्भ हो जायगी ?

श्री गिधारीलाल--भूमि प्राप्त होने पर निर्माणकार्य आरम्भ किया जायगा।

आगरा क्षेत्र मे बिजली देने की व्यवस्था

*११२--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा के उद्योग धन्धों को बिजली देने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री गिरधारीलाल--आगरा क्षेत्र में विद्युत की कमी होने के कारण राज्य सरकार ने उसके वितरण करने पर विज्ञप्ति संख्या ७६२ ई० एल० सी०-५९/२३ पी० बी०-१०६ सी० ई० एल०-५८, दिनांक फरवरी २८, १९५९ तथा विज्ञप्ति संख्या १०५१ (डी०-५९/२३ पी० बी०-३८८ एच०-५९, दिनांक अगस्त ८, १९५९, द्वारा नियंत्रण लगा दिया है। इन विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रख दी है। इन विज्ञप्तियों के अनुसार बिजली दी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ठ', आगे पृष्ठ ७३२-७३६ पर)

करनैलगंज को बाढ़ से बचाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*११३--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि करनैलगंज, जिला गोंडा, की बाढ़ से रक्षा हेतु कोई प्रार्थना-पत्र अगस्त, ५८ में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ। जांच के फल स्वरूप पता चला कि इस कस्बे को नदी के बहाव बदलने के कारण कोई खतरा नहीं था।

*११४--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित ग्यारहवें बुधवार के लिए प्रश्न ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नारायणी नहर के हैड को नारायणी नदी से खतरा

*११५—श्री अमरनाथ—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर के हैड को नारायणी नदी काट रही है? यदि हां, तो कटाव से हैड का क्या फासला रह गया है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। ८० फीट।

आजमगढ़ जिले के लिए नलकूप योजना

*११६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अन्तरिम परिषद् ने नवम्बर, १९५९ में कोई प्रस्ताव पास करके सरकार से अनुरोध किया था कि आजमगढ़ जिले में दो सौ नलकूपों के निर्माण की योजना सरकार स्वीकृत करे?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*११७—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—आजमगढ़ जिले में अब तक १८४ नलकूप बनाये जा चुके हैं तथा ५ और बनाये जा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले के लिए ५० नलकूप प्रस्तावित हैं। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त तक २०० से भी अधिक नलकूप इस जिले में हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त इस जिले का अधिकांश क्षेत्र टांडा, दोहरी घाट पम्प नहर और शारदा नहर द्वारा सिंचित होगा। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये जितने नलकूप बन चुके हैं और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाने का विचार है उनके अलावा और नलकूपों का इस जिले के क्षेत्र में निर्माण भी व्यवहार्य नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण

*११८—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से कितनी मील नयी सड़कें किन-किन जिलों में बनायी गयीं?

श्री गिरधारीलाल—१९५९ में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा लगभग ४२७ मील पक्की तथा ३३ मील कच्ची सड़कें बनायी गयीं। बनायी गयी सड़कों का जिलेवार विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७३७-७३८ पर)

उतरठिया ग्राम के किसानों को नहरी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*११९—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास यह शिकायत आयी है कि ग्राम उतरठिया, परगना बिजनौर, जिला लखनऊ, के अनेक काश्तकारों को ६ वर्ष पूर्व सारदा नहर प्रसार-योजना के अन्तर्गत एक्वायर की गयी भूमि का पूरा मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो सरकार ऐसे काश्तकारों को पूरा मुआवजा दिये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—केवल एक शिकायत आयी थी जिसकी जांच करने पर पता चला कि प्रार्थी की जितनी जमीन ली गयी थी उसका मुआवजा दे दिया गया है।

*१२०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास यह भी शिकायत आयी है कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित उक्त एक्वायर्ड भूमि की मालगुजारी अभी तक सम्बन्धित काश्तकारों से वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अनियमित मालगुजारी वसूली रोकने व रिफन्ड करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

श्री गिरधारीलाल--जैसा कि प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर में कहा गया है कि केवल एक ही शिकायत आयी थी जिस की जांच करने पर पता चला कि जितनी जमीन ली गयी थी उस पर मालगुजारी नहीं ली जाती इसलिए आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

हाइडिल विभाग में आपरेटिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर्स

*१२१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हाइडिल यूनियन ने सन् १९५८ और १९५९ में सरकार से जो प्रार्थना की है कि सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स बनाये जायें, उसमें क्या हो रहा है?

श्री गिरधारीलाल--सन् १९५८ और १९५९ में आपरेटिंग स्टाफ के लिए १४२ क्वार्टर्स बनाये गये।

कटिया भिखारपुर के पास सारदा नहर कटने से क्षति

*१२२--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सारदा नहर (उन्नाव डिवीजन) कोठी-कटिया-भिखारपुर के पास कट जाने से किसानों का कितना नुकसान हुआ?

श्री गिरधारीलाल--वास्तव में नुकसान हुआ है या नहीं और हुआ है तो कितना, इसका अनुमान लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस काम में कुछ समय लगेगा।

*१२३--**श्री मोहनलाल वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह नहर कटने का क्या कारण था और क्या सरकार जिन व्यक्तियों को इससे हानि पहुंची है उन्हें सहायता देने का विचार कर रही है तथा क्या सरकार ने उन लोगों के सिंचाई तथा जमीन दोनों प्रकार के लगान माफ करने का आदेश जारी किया है?

श्री गिरधारीलाल--नहर क्यों कट गयी, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अनुमान है कि नहर में ज्यादा पानी आ जाने से चूहे के छेदों से पानी गुजर कर खाली हो गयी।

लगान माफ करने अथवा सहायता देने का प्रश्न तो तभी उठेगा जब यह मालूम हो जाय कि किसी को हानि पहुंची भी है या नहीं और पहुंची है तो कितनी।

* * *

माताटीला बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*१२५--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ७ अगस्त, १९५८ को सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा माता टीला बांध पर गांव वालों की सभा में की गयी घोषणा के अनुसार मुआवजे की दरें बढ़ा दी गयी हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

श्री गिरधारीलाल--मुआवजा Land Acquisition Act के अनुसार liberal market rates) को ध्यान में रखते हुये दिया जा रहा है।

दोहरीघाट का पुल, पम्प नहर से सिंचाई तथा नहरी जमीन का मुआवजा

*१२६--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट (आजमगढ़) का पुल कब तक बनना शुरू हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल--सार्वजनिक निर्माण विभाग से सूचना प्राप्त होने पर इसका उत्तर दिया जायगा।

*१२७--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प कैनाल से इस वर्ष कितने रकबे क्षेत्र की सिंचाई हुई ?

श्री गिरधारीलाल--दोहरीघाट पम्प कैनाल से खरीफ १३६७ फसली में ५७६२ एकड़ व रबी १३६७ फसली में ९१२५ एकड़ की सिंचाई हुई।

*१२८--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प कैनाल में जो भूमि किसानों की ली गयी है उसका मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--मुआवजा बांटा जा रहा है। कुछ देना शेष है।

बेहटा कलां-बक्सर सड़क पक्की करने की आवश्यकता

*१२९--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद राय बरेली के अन्तर्गत बेहटा कलां से जिला उन्नाव के बक्सर तक पक्की सड़क बनाने की योजना वह सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

* * *

रुड़की तहसील में बरसाती पानी रुकने से क्षति

*१३२--श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर, में किन-किन क्षेत्रों में वाटर लागिंग से पिछले वर्ष नुकसान पहुंचा है और इन क्षेत्रों को कौन सी सहूलियतें सरकार ने दी हैं ?

श्री गिरधारीलाल--तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर, में वाटर लागिंग से पिछले वर्ष जिन गांवों को नुकसान पहुंचा उन की सूची और उन को सरकार द्वारा दी गयी सहूलियतों की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७३९ पर)

बहराइच जिले में भकला नदी के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१३३--श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में गत ५ वर्षों में कौन-कौन से गांव भकला नदी के बहाव बदलने के कारण पानी में डूबकर समाप्त हो गये हैं तथा कौन-कौन से गांवों को इस समय इस प्रकार का खतरा है ?

श्री गिरधारीलाल--जो गांव कट गये हैं तथा जिन गांवों को कटने का खतरा है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७४० पर)

*१३४--श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव--क्या सरकार इन गांवों को बचाने तथा नदी के बहाव के बदलने से रोकथाम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--नदी का बहाव अनिश्चित होने के कारण ग्रामों को बचाने तथा बहाव को बदलने के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी।

छिबरामऊ तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*१३५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में कुछ पूर्वी इलाका तथा जी० टी० रोड को छोड़कर बाकी क्षेत्र में सिंचाई का कोई सधान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में सिंचाई की कोई व्यवस्था करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील के उस भाग में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, २० नलकूप निर्माण किये गये हैं और विद्युत द्वारा चल रहे हैं। उक्त क्षेत्र में अब राम गंगा प्रोजेक्ट की शाखायें बढ़ाने का विचार है।

जाल्हूपुर परगने में गंगा का कटाव रोकने की प्रार्थना

*१३६—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि गोबरहा रामचंडीपुर परगना जाल्हूपुर, जिला वाराणसी का किनारा गंगाजी से निकलने वाले सोते से तेजी से कटता जा रहा है जिस से वहां की जनता काफी चिन्तित है? यदि हां, तो सरकार उस के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न में कथित ग्रामों की आबादी नदी से दूर है और बाढ़ से क्षति ग्रस्त नहीं होती है। आबादी के पूर्व व पश्चिम की ओर से खेतिहर भूमि जरूर कट रही है किन्तु सरकार द्वारा इस कटाव को रोकने के लिए धनाभाव के कारण अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिकन्दरपुर तथा मनियार टाउन एरियाओं को बिजली की आवश्यकता

*१३७—श्री जगन्नाथचौधरी (जिला बलिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत टाउन एरिया सिकन्दरपुर तथा टाउन एरिया मनियार में बिजली पहुंचाने का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कौन-सी कार्यवाही की है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। आवश्यक जांच के बाद यह पता लगा कि इन जगहों में बिजली लगाने में घाटा होगा। इसलिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्राइवेट बिजली कम्पनियों को ऋण

*१३८—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में किन प्राइवेट बिजली कम्पनियों को सरकार ने कितना-कितना कर्जा कितने प्रति शत ब्याज पर दिया है? क्या उन कम्पनियों से कर्जा देते वक्त कोई समझौता बिजली के रेट के सम्बन्ध में तथा और किसी तरह का हुआ है?

श्री गिरधारीलाल—कर्जा सम्बन्धी सूचना संलग्न है। कर्जे की अदायगी तथा इस्तेमाल के सम्बन्ध में हर एक कम्पनी से समझौता किया गया है।

१९५७–५८ में सिंचाई विभाग ने बनारस बिजली कम्पनी को ४ लाख रुपये का कर्जा राजकीय नलकूपों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में लाइन बनाने के लिए दिया था। इस कर्जे के सम्बन्ध में बिजली के रेट के बारे में भी समझौता हुआ था।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ७४१ पर)

* * * *

मारहरा पावर हाउस से कुटीर उद्योग के लिए बिजली देने की प्रार्थना

*१४०---श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा मारहरा, जिला एटा, के पावर हाउस से कांच आदि के कुटीर उद्योग और प्रकाश के लिए कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---कस्बा मारहरा सम्मिलित गंगा सारदा ग्रिड क्षेत्र में आता है, जहां बिजली की अत्यन्त कमी के कारण उसके वितरण पर नियंत्रण है। परन्तु प्रकाश एवं पंखों तथा घरेलू कार्यों के लिए २ किलोवाट तक बिजली देने पर कोई नियंत्रण नहीं है और प्रकाश के लिए कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जहां तक सरकार को ज्ञात है, उक्त कस्बे से कांच आदि के कुटीर उद्योग के लिए पिछले २ वर्ष में कोई मांग नहीं आयी ।

बरसाती पानी निकालने के लिए पुरवा ब्रांच में साइफन बनाने की योजना

*१४१---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के पुरवा कस्बे के बरसाती पानी को निकालने के लिये पुरवा ब्रांच में साइफन बनाने की योजना स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो कितने रुपये की योजना है और वह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। यह योजना ४५,००० रुपये की है। धन उपलब्ध हो जाने पर यह योजना कार्यान्वित की जावेगी।

घोसी-भीमपुरा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१४२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी, जिला आजमगढ़, से भीमपुरा, जिला बलिया, जाने वाली पक्की सड़क का कुछ भाग अब तक पक्का नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---कथित सड़क का दस मील का भाग घोसी मझवारा सड़क श्रमदान द्वारा तथा ब्लाक फण्ड से बनाई गई थी। इस भाग के ९ मील की सड़क पक्की है तथा शेष १ मील कच्ची सड़क को पक्की करने के लिये कंकड़ इकट्ठा कर लिया गया है जिसे इस बरसात में कूट कर पक्का कर दिया जायगा ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

* * *

रिहन्द बांध की डूब में आने वाले गांवों का मुआवजा

*१४४---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द डैम में कितने गांव जल खाते में आ रहे हैं, उन गांवों के नाम क्या-क्या हैं और कितने एकड़ जमीन डूबेगी ?

श्री गिरधारी लाल---उत्तर प्रदेश के १०८ गांव जलमग्न हो रहे हैं, जिनकी †सूची संलग्न है। उनका क्षेत्रफल ८५,००० एकड़ है ।

*१४५---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन गांवों के किसानों को पेड़, घर, कुआं, जमीन का अलग-अलग किस रेट से मुआवजा दिया जा रहा है ? क्या मुआवजे की दर में कोई परिवर्तन किया गया है ?

---

† सूची छापी नहीं गयी।

श्री गिरधारीलाल--मुआवजे के दरों की †सूची नत्थी किये हुए ब्योरे में दी हुई है। केवल जमीन के मुआवजे की दर में कुछ परिवर्तन हुआ है, जो नत्थी किये हुए ब्योरे में दिया हुआ है।

*१४६--**श्री ऊदल**--क्या सरकार उपर्युक्त गांवों के किसानों को कहीं बसाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां?

श्री गिरधारीलाल--इन किसानों को निकटवर्ती क्षेत्र में बसाया जा रहा है।

सिंचाई कर्मशाला मण्डल मध्य क्षेत्र कानपुर, में पाइप का गबन

*१४७--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत थ्रेडिंग कम्पनी, कानपुर को सन् १९५१ में कटिंग व थ्रेडिंग के लिये सिंचाई कर्मशाला मण्डल मध्य क्षेत्र, कानपुर, द्वारा दिये गये १६ हजार फीट ६ इंची पाइप की वापसी में लगभग ६ हजार फीट का गोलमाल है?

श्री गिरधारीलाल--इस मामले में फिर से जांच हो रही है।

*१४८--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--यदि हां, तो सरकार ने किन अधिकारियों को गबन का दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल--अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में मैकेनिक

*१४९--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितनी पोस्टें रेगुलर मेकेनिक की हैं जो लोक सेवा आयोग से स्वीकृत हैं?

श्री गिरधारीलाल--सिंचाई विभाग में १७ पोस्ट मिकेनिक की हैं जिनमें से इस समय ६ पोस्ट पर लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत आदमी काम कर रहे हैं।

*१५०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या यह सही है कि एप्रूव्ड अभ्यर्थी से रेगुलर मेकेनिक का काम न करा कर वर्क चार्ज का काम कराया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं।

* * *

भदवां व भिदूर नालों को नियन्त्रित करने की प्रार्थना

*१५२--**श्री लोकनाथसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि परगना सुलतानपुर, जिला वाराणसी, में भदवां व भिदूर के नाले से हर साल गरीब किसानों को काफी क्षति हो रही है? यदि हां, तो सरकार उसकी क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, परन्तु इस समय इस समस्या के निवारण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

---

† सूची छापी नहीं गई।

कटेहर परगने में नलकूप लगाने की योजना

*१५३--श्री लोकनाथसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० में परगना-जाल्हूपुर व कटेहर, जिला वाराणसी, में कितने व कहां-कहां ट्यूबवेल लगाने का सरकार का विचार है ?

श्री गिरधारीलाल--सन् १९६० में परगना जाल्हूपुर में कोई नया नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है और परगना कटेहर में ५ नलकूप निम्नलिखित ग्रामों के पास लगाने का विचार है :--

१--तेवर
२--राजापुर
३--रामगांव
४--गोसाईंपुर
५--भोपापुर

इनमें से राजापुर व रामगांव के पास नलकूप लग चुके हैं और शेष तीन जगहों पर एक-एक करके लगाये जा रहे हैं।

विभिन्न नगरों से विद्युत की मांग

*१५४--श्री उग्रसेन--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५९-६० में प्रदेश के किन-किन नगरों में बिजली लगाने के लिये आवेदन-पत्र विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश के पास आये ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ७४२ पर)

*१५५--श्री उग्रसेन--क्या उक्त नगरों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली लगा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक फैजाबाद जिले में टांडा और गोरखपुर जिले में फरेंदा में बिजली लग सकेगी।

बलिया जिले के सिंचाई विभाग में कथित गबन तथा शाहगंज तहसील में नहरी भूमि का मुआवजा न मिलना

*१५६--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि नवम्बर, १९५९ में बलिया जिले के सिंचाई विभाग के रुपयों में पचास हजार रुपयों के गोलमाल का पता चला है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१५७--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के कितने ऐसे गांव हैं जिनमें आज से तीन वर्ष से भी पहले नहर निकालने के लिये किसानों की भूमि ली गई तथा भूमि के मालिक किसानों को अब तक भी न तो उस ली गई भूमि का मुआवजा ही मिला, न उसका लगान ही खारिज किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--ऐसे ७८ ग्राम हैं। इन ग्रामों की भूमि लगभग अप्रैल तथा मई, १९५७ में ली गई थी।

* * *

सिंचाई कार्यशाला, कानपुर में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की अपीलें

*१६०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई कार्यशाला, कानपुर में वरिष्ठता (सीनियारिटी) सम्बन्धी किन-किन श्रेणी के कर्मचारियों की कितनी अपीलें और कितने समय से अभी अनिर्णीत पड़ी हैं और उनके ऊपर निर्णय न किये जा सकने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल--सिंचाई कार्यशाला, कानपुर में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की ७ अपीलें अभी अनिर्णीत हैं। इनमें से ३ तीन वर्ष, १ दो वर्ष, २ एक वर्ष तथा १ लगभग ३ मास पुरानी हैं। विलम्ब होने का कारण यह है कि वरिष्ठता के नियम अभी विचाराधीन हैं।

*१६१--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या यह सच है कि सिंचाई कार्यशाला वृत्त में अनेकों नान-गजटेड स्थान स्थायी घोषित हो जाने के बाद भी अभी तक रिक्त हैं?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

बरहज नगर में बिजली लगाने की योजना

*१६२--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष देवरिया जिले के किन-किन नगरों में बिजली लगाने की योजना है, और कब से है?

श्री गिरधारीलाल--इस वर्ष (१९६०-६१) में देवरिया जिले के बरहज नगर में बिजली लगाने की योजना राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है। वहां बिजली कब तक पहुंच सकेगी, इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है।

*१६३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जिले के नगर गौरा-बरहज नगरपालिका में बिजली के खम्भे पिछले साल गिर चुके थे, और अब भी कुछ खम्भे मौजूद हैं? यदि हां, तो अब तक बिजली न लगाने में देर का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, गौरा-बरहज नगरपालिका में बिजली के कुछ खम्भे अब भी मौजूद हैं। इस नगर में बिजली लगाने का मामला अभी राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

* * * *

चकला अव्वल तथा हांसूपुर के किसानों को राप्ती पुल में ली गयी जमीन का मुआवजा देने की राजाज्ञा

*१६६--श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि जी० ओ० नं० २७००-सी० डब्लू०/२३ पी० डब्लू० ए०, दिनांक १८ सितम्बर, १९५९, के अनुसार बोर्ड आफ रेवेन्यू ने जिलाधीश, गोरखपुर, को १ दिसम्बर, १९५९, तक आदेश नहीं दिया है कि ग्राम चकला अव्वल तथा हांसूपुर के किसानों को राप्ती-पुल निर्माण सम्बन्धी मुआवजा देकर भूमि का हस्तान्तरण करें? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कथित आदेश जिलाधीश गोरखपुर को लिखा गया था, बोर्ड आफ रेवेन्यू को नहीं।

कोलतार के ड्रम

*१६७--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ और १९५९ में कितने कोलतार के ड्रम पूरे प्रदेश में मंगाये गये और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ और खाली कोलतार के ड्रम कितने किस भाव बेचे गये?

श्री गिरधारीलाल--उत्तर विवरण सहित सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ७४३ पर)

रिहन्द क्षेत्र में हस्तगत भूमि

*१६८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द क्षेत्र के निर्माणार्थ उस क्षेत्र के किसानों की हस्तगत (acquire) की गई भूमि में कितनी जमीन में नियमित कृषि (जोत में) की जाती थी, कितनी जमीन से केवल साल में एक फसल होती थी और कितनी जमीन बंजर या चरागाह थी?

श्री गिरधारीलाल--भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :--

(१) नियमित कृषि की जाने वाली भूमि (जोत) में--१,९५२ एकड़।

(२) भूमि जिससे साल में केवल एक फसल होती थी--३,१०५ एकड़।

(३) बंजर या चरागाह वाली भूमि--७,५३१ एकड़।

धीरजलाल शाह ऐण्ड कम्पनी, बम्बई, को सिंचाई विभाग से कथित ठेका

*१६९--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि धीरजलाल शाह ऐण्ड कम्पनी, बम्बई, को सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक ३ मार्च, १९५७ से ३ मार्च, १९५९ तक कितने ठेके किन-किन तिथियों में कितने कीमत के दिये गये?

श्री गिरधारीलाल--एक भी नहीं।

बिक्रम जोत-शाहगंज सड़क में ली गयी जमीन का मुआवजा

*१७०--श्री रणबहादुरसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्रम जोत से जो हरैया तहसील, जिला बस्ती, में है एक नई सड़क शाहगंज बनायी गयी है? क्या उस जमीन का मुआवजा किसानों को मिल गया है? क्या यह सही है कि किसान सात साल से उस भूमि का लगान देता आ रहा है?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--प्रतिकर की अधिकांश धनराशि वितरित की जा चुकी है। उन किसानों का प्रतिकर जो उसे लेने के लिये उपस्थित नहीं हुये अमानत माल में जमा है।

द्वितीय भाग--शासन को ऐसी सूचना मिली है कि १३६२ फसली (१९५४ ई०) से इस सड़क से सम्बन्धित खेतों के लगान की वसूली स्थगित है। जिन किसानों ने स्वतः लगान जमा किया है उनका इस वर्ष की देय धनराशि में समायोजन कर दिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

सरकारी इमारतों पर व्यय के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का पत्र

*१--श्री देवकीनन्दन विभव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री को हाल में प्रधान मंत्री का कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह आग्रह किया है कि सरकारी योजनाओं में इमारतों पर होने वाले ऊंचे व्यय को कम किया जाय, इमारत बनाने की टैकनीक और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाय तथा आधुनिकी-करण किया जाय? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। प्रधान मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पट्टी तहसील में नहरी महसूल की वसूली

*२--**श्री हरकेशबहादुर तथा श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नहर मंत्री ने पिछले एक साल के अन्दर यह घोषणा की थी कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सरकार बिला महसूल नहर का पानी सिंचाई हेतु देगी ? यदि हां, तो किन क्षेत्रों में यह आदेश लागू हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*३--**श्री हरकेशबहादुर तथा श्री रामकिंकर**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील में नहर का कितना महसूल १ मार्च, १९६० तक जुलाई, १९५९ के पश्चात् वसूल किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--७६,९७६ रुपया ८० नये पैसे।

[१२ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बसनही नाले की खुदाई

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसनही नाले की खुदाई (जो बलिया तथा आजमगढ़ में पड़ता है) कब से प्रारम्भ हुई और कब तक होगी ?

श्री गिरधारी लाल--बसनही नाले की खुदाई २६ अप्रैल, १९५५ से आरम्भ हुई थी और मार्च, १९६१ के अन्त तक समाप्त होने की आशा है।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसनही नाले की खुदाई में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा कितना व्यय करना बाकी है ?

श्री गिरधारीलाल--मार्च, १९५९ तक ५३,१५३ रुपया व्यय हो चुका था और ४३,३४७ रुपया व्यय करने के लिये शेष है।

चकरा ग्राम के काश्तकारों का ओवरसियरों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*३--**श्री अब्दुल रऊफलारी**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि ग्राम चकरा अव्वल तथा हांसूपुर शहर गोरखपुर में राप्ती-पुल निर्माण हेतु अस्थायी रूप से ली गई है उसमें कितनी गहराई तक मिट्टी खोदी जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल--ग्राम हांसूपुर में कहीं भी मिट्टी नहीं खोदी गई है। ग्राम चकरा में कहीं-कहीं पर मिट्टी ३ से ४ फुट तक खोदी गई है।

*४--**अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्राम में स्थायी तथा अस्थायी रूप में ली गई भूमि पर कब्जा होने के पहले क्या जिलाधीश, गोरखपुर, ने पी० डब्ल्यू० डी०, टेम्पोरेरी डिवीजन को किसी किस्म का कब्जा दिया था ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--जिलाधीश गोरखपुर ने किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं दिया था।

*५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्राम के काश्तकारान ने प्रार्थना पत्र श्री राधेश्याम शर्मा तथा सूर्यपाल गुप्ता, ओवरसियर, पी० डब्ल्यू० डी०, टेम्पोरेरी डिवीजन, के विरुद्ध १८ अप्रैल, १९५९ को जिलाधीश, गोरखपुर, आदि को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और किन-किन सम्बन्धित काश्तकारान का बयान लिया गया?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच जिलाधीश तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई। किसी भी सम्बन्धित काश्तकार का बयान नहीं लिया गया।

सारदा नहर में ब्रीचेज

*६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार Sarda Canal System में १९५९ में हुई माइनर ब्रीचेज (breaches) का विवरण सदन की मेज पर रखेगी?

श्री गिरधारीलाल—माइनर ब्रीचेज का विवरण संलग्न तालिक में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ७४४–७४५ पर)

*७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके कारण कितनी धन, जान, पशुओं की क्षति हुई?

श्री गिरधारीलाल—माइनर ब्रीचेज के कारण जन तथा पशुओं की कोई क्षति नहीं हुई। कुछ ब्रीचेज से खेतों की पैदावार को क्षति हुई, जिसका मुआवजा दिया गया।

*८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ब्रीचेज को ठीक कराये जाने में कितना व्यय हुआ और कितना मुआवजा क्षतिग्रस्त लोगों को देना पड़ा?

श्री गिरधारीलाल—इन ब्रीचेज को ठीक कराने में कुल ४,३२१ रुपये व्यय हुए और खेती की पैदावार की क्षति के लिए ८,०१४ रुपये मुआवजा दिया गया।

लीपूलेक–कालापानी तथा गरब्यांग–धारचूला मार्गों पर व्यय

*९—श्री प्रतापसिंह तथा श्री जरगाम हैदर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ९–१० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि लीपूलेक से कालापानी तक निर्मित मार्ग की चौड़ाई कितने फीट है?

श्री गिरधारीलाल—सीधी जगहों में ६ फीट से ८ फीट और घुमाव पर ८ से १० फीट तक।

*१०—श्री प्रतापसिंह तथा श्री जरगाम हैदर—गरब्यांग-धारचूला मार्ग कब बना और उसकी लम्बाई-चौड़ाई क्या है?

श्री गिरधारीलाल—यह जिला बोर्ड की पुरानी सड़क है। सन् १९५४ से यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई है। इसकी लम्बाई ४६ मील तथा चौड़ाई ६ फीट से ८ फीट है।

*११—श्री प्रतापसिंह तथा श्री जरगाम हैदर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़कों के निर्माण पर कितना खर्चा हुआ?

श्री गिरधारीलाल—कालापानी-लीपूलेक ९३,८७२ रुपया; धारचूला-गरब्यांग २,४२,४५६ रुपया।

सीतापुर में बिजली की दर

*१२—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सीतापुर शहर में ए० सी० व डी० सी० दोनों प्रकार की बिजली काम में लाई जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो दोनों प्रकार की बिजली के उपभोग में दरों का अन्तर क्यों है ?

श्री गिरधारी लाल—सीतापुर में २३ अप्रैल १९५५ से पहले सेन एन्ड सान्याल कम्पनी द्वारा डी० सी० बिजली सप्लाई की जाती थी । २३ अप्रैल, १९५५ से यह कार्य विद्युत् विभाग को दे दिया गया और इस शहर को सारदा ग्रिड से सम्बन्धित कर दिया गया जहां ए० सी० विद्युत् उत्पादित की जाती है । पुराने उपभोक्ताओं को डी० सी० वितरण के लिये ए० सी० सप्लाई को डी० सी० में परिवर्तित करना पड़ता है, जिसमें अतिरिक्त व्यय होता है और इसी कारण डी० सी० सप्लाई की दरें ए० सी० सप्लाई की दरों से अधिक हैं ।

रोहिन नदी के मानीराम पुल पर-पथ कर न लेने तथा रेलवे स्टेशनों के नलकूपों से सिंचाई के लिए पानी देने की प्रार्थना

*१४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में रोहिन नदी के पी० डब्ल्यू० डी० के मानीराम पुल पर कोई टोल-टैक्स लगता है ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—पथकर दरों की †अनुसूची संलग्न है ।

*१५—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों पर टोल-टैक्स के रूप में जो भार पड़ रहा है उसे हटाने के लिये विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—नियम के अनुसार अधिक से अधिक २० वर्ष तक अथवा उससे पहले पुल की लागत वसूल हो जाने पर टैक्स हटा लिया जायगा ।

*१६—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि रेलवे स्टेशनों पर जहां नल-कूप लगे हुये हैं उनसे सिंचाई के लिये किसानों को भी पानी देने की व्यवस्था की जाय ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी सिफारिश करना व्यवहार्य न होगा ।

*१७-१९—श्री जगन्नाथप्रसाद—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०—राजा वीरेन्द्र शाह—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१—श्री देवकीनन्दन विभव—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२३—श्री उग्रसेन—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

---

†अनुसूची छापी नहीं गई ।

*२४--राजा वीरेन्द्रशाह--[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२५--श्री रामसुन्दर पांडेय--[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित अठारहवें बुधवार के लिय प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बिक्री-कर से आय

*२६--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस विभिन्न मदों में गत तीन वर्ष में बिक्री-कर से कितनी आय हुई ? क्या सरकार उन मदों पर स बिक्री-कर हटाने का विचार कर रहेहैं जनकी वसूलयाबी कठिनाई से होती है और उनसे को विशेष आय नहीं होती

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--१९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ के दौरान में सरकार को बिक्री-कर से, जिसमें केन्द्रीय बिक्री-कर भी सम्मिलित है, क्रमशः ९,१९,९०,५४२, ९,९९,६१,४७५ और ८,२५,८८,४८८ रुपये की आय हुई थी । जहां तक उन मदों पर से बिक्री कर हटाने का प्रश्न है, जिनसे बहुत कम राजस्व प्राप्त होता है या जिनकी वसूलयाबी में कठिनाई होती है,सरकार के विचाराधीन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

झांसी जिले में सड़कों, पुलों तथा खिरिया घाट का रपटा बनाने के लिए सुझाव

*२७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी, तहसील मोठ, में बेतवा नदी के ऊपर खिरिया घाट का रपटा बनाने के सम्बन्ध में १७ मार्च, १९५८ को एक पत्र टाउन एरिया कमेटी, मोठ, के प्रस्ताव सहित श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, एम० एल० ए० ने सरकार के पास भेजा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रस्तावित रपटे का निर्माण कराना सम्भव नहीं है ।

*२८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक प्रार्थना-पत्र झांसी जिले में सड़कें व पुल बनाने के सुझावों के सम्बन्ध में अगस्त, १९५९ में सरकारके पास आया था ? यदि हां, तो सुझाव क्या थे ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--वह पत्र आपका ही था इसलिये आपको तो मालूम ही होगा कि उसमें क्या सुझाव थे । फिर भी उस पत्र की एक† प्रतिलिपि आपकी मेज पर रख दी गई है ।

*२९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९५९ में अन्तरिम जिला परिषद्, झांसी ने झांसी जिले में सड़कों व पुलों के बनाने के सम्बन्ध में तथा कमिश्नर, झांसी ने इसी सम्बन्ध में कोई सुझाव भेजे थे ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

श्री गिरधारीलाल--ऐसे कोई सुझाव यहां तो नहीं आये परन्तु अगस्त, १९५९ में परिषद् की एक बैठक झांसी में हुई थी जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचारार्थ परिषद् ने कुछ सुझाव दिये थे। उन सुझावों की एक † प्रतिलिपि आपकी मेज पर रखी गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का विस्तार निश्चित हो जाने के बाद जब झांसी जिले की योजना बनाई जावेगी तब उन सुझावों पर विचार किया जायेगा।

*३०-३१--**श्री चन्द्रजीत यादव**--[२६ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १२५-१२६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

टेटी गांव का कुलाबा बन्द होने की शिकायत

*३२--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की मांट ब्रांच नहर गंग के रजबहा जरारा के टेटीगांव (अकबरपुर) पर कुलाबा नम्बर ५५ कब से बन्द करा दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--कुलाबा नहीं बन्द किया गया है।

*३३--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या यह सच है कि जब से यह कुलाबा बन्द कर दिया गया है उस गांव के खेत सूख गये हैं और फसल नहीं होती क्योंकि जहां कुलाबा दिया गया है खेत का धरातल उससे ऊंचा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता है।

*३४--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब नम्बर ५५ पर १२ इंच का कुलाबा, जैसा कि पहले लगा हुआ था, कब तक पुनः लग जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल--उक्त कुलाबों के दहन बढ़ाने का न तो कोई प्रस्ताव है और न इसकी जरूरत ही है।

माताटीला बांध में रिपेयर वर्क की बरबादी की जांच

*३५--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि माताटीला बांध में डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन के नाम से जो मई-जून, १९५९ में १० लाख रुपये का रिपेयर वर्क हुआ वह जुलाई, १९५९ में बह गया ? यदि हां, तो क्या यह कार्य इसलिये नष्ट हुआ कि इसमें डिजाइन की गलती थी ?

*३६--सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने घनफुट आर० सी० स्लेब डाला गया और इसमें से कितने घनफुट जुलाई, १९५९ में बह गया ?

*३७--क्या यह सही है कि उपर्युक्त रिपेयर वर्क के कार्य का एस्टीमेट स्वीकृत किये बिना ही उक्त कार्य कर डाला गया जो नष्ट भी हो गया और अब उसके लिये पया मंजूर किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितता और इतनी बड़ी हानि के जिम्मेदार इंचार्ज बांध के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी जांच कराई जा रही है। जांच हो जाने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

इकौना को बिजली देने की प्रार्थना

*३८—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मालूम है कि जिला बहराइच में इकौना कस्बे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा बिजली की रोशनी फैलाने की व्यवस्था की गयी थी जिसको वह किसी कारण न कर सकी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग द्वारा इकौना के विद्युतीकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

*३९—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—क्या सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के इस अंतिम वर्ष में अपने पावर स्टेशन, बहराइच, द्वारा उस कस्बे में बिजली की रोशनी फैलाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग इस बात के लिये राजी नहीं थी कि इकौना का विद्युतीकरण सरकार का विद्युत विभाग कर दे। परन्तु उपरोक्त कम्पनी स्वयं कस्बे में बिजली देने का प्रयत्न कर रही है।

बरेली जिले में अल्प बचत योजनान्तर्गत धन

*४०—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५९ से जनवरी, १९६० तक बरेली जिले में बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी रकम जमा हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—१ जनवरी, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक बरेली जिले में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल १,२०,४३,१९१ रुपया जमा हुआ, जिसमें से ९६,८५,६०५ रुपया निकाला गया। इस प्रकार २३,५७,५८६ रुपया शुद्ध जमा के रूप में प्राप्त हुआ।

*४१—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में उपरोक्त अवधि में हर एक तहसील से बचत योजना में कितनी रकम जमा हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—डाकखानों से तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। इसलिये तहसीलवार सूचना देना सम्भव नहीं है।

बरेली जिले में विद्युतीकरण की योजना

*४२—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में टाउन एरिया, रिछा तक बिजली की लाइन पहुंच गई है ? यदि हां, तो कस्बे में बिजली कब तक लग जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

रिछा नगर के विद्युतीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*४३—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दूसरी योजना में किन-किन गांवों में जिला बरेली में बिजली पहुंचने की योजना थी ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नत्थी की गई सूची में दिये गये गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना थी और वह पूरी भी हो चुकी है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ७४६ पर)

*४४—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार जिला बरेली के उन गांवों की तालिका देने की कृपा करेगी जिनमें बिजली की लाइन पहुंच गई है किन्तु बिजली इस्तेमाल को नहीं दी जा रही है? इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—बरेली जिले के रिछा, बदोली, डुनका और शेरगढ़ में बिजली की लाइनें हैं जिनका विद्युतीकरण विद्युत शक्ति के अभाव के कारण नहीं हो सका।

लाख-ताल का पानी निकालने की प्रार्थना

*४५—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे मौजा लाख, जिला फर्रुखाबाद, के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र लाख-ताल का पानी निकालने हेतु नाला बनाने के सम्बन्ध में गत वर्ष प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इस नाले के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् ज्ञात हुआ कि यह योजना अत्यधिक व्यय के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकेगी।

*४६—श्री बंशीधर शुक्ल—[सहकारिता मन्त्री से सम्बन्धित नवें सोमवार के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चीनी मिलों पर बिक्री-कर का बकाया

*४७—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वक्त जितनी चीनी की मिलें चल रही हैं। उनके ऊपर सन् १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ का कितना रुपया अलग-अलग किन-किन मिलों पर बिक्री-कर का बकाया है?

श्री सैयद अली जहीर—प्रदेश की चीनी मिलों के ऊपर १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० के बिक्री-कर की बकाया का ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ७४७–७४८ पर)

इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का आश्वासन

*४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को टेक्निकल कालेज खोलने के आदेश भेजे हैं? यदि हां, तो वह कालेज कहां खोला जायगा?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इलाहाबाद में एक इन्जीनियरिंग कालेज खोला जायगा।

*४९—कुंवर श्रीपालसिंह—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पेन्शनर्स की मांगें

*५०—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या वित्त मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी पेन्शन पाने वालों का ऐसोसिएशन मुख्य मन्त्री से तारीख ३ मार्च, १९६०, को मिला था?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि प्रदेश के यू० पी० गवर्नमेन्ट पेंशनर्स ऐसोसिएशन ने कोई मेमोरेन्डम अपनी मांगों का दिया था? यदि हां, तो उनकी खास-खास मांगे क्या थीं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसोसिएशन ने बाद में एक मांग-पत्र भेजा था। मांगे तथा उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

*५२-५३—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किय गये।]

*५४—**श्री राजनारायण**—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६—**श्री बलदेव सिंह**—[स्थगित किये गये।]

श्री धर्मनारायण भटनागर, एकान्उट्स आफिसर सिंचाई, कार्यशाला वृत्त, के विरुद्ध अभियोग

*५७—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तारांकित प्रश्न संख्या ५६ दिनांक ८ मार्च १९६० के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मनारायण भटनागर, एकाउन्ट्स आफिसर, के विरुद्ध किन दफाओं के अन्तर्गत अदालत में मुकदमा चलाने की स्वीकृति सी० आई० डी० को सरकार ने दी है?

श्री गिरधारीलाल—यह सही है कि मुकदमा दायर करने के आदेश सी० आई० डी० को दिये गये हैं। परन्तु मुकदमा अभी अदालत में दायर नहीं हुआ है। इसलिये दफाओं का विवरण करना अभी उचित न होगा।

सहसवान को बिजली देने की प्रार्थना

*५८—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा सहसवान, जिला बदायूं, में रोशनी के लिये बिजली देने का वह विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

*५९-६०—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६१—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया।]

*६२—**श्री भोखालाल**—[हटा दिया गया।]

*६३—**श्री बलदेवसिंह**—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५—**श्री भजनलाल**—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६७—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६८—**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६९—**श्री रामलाल**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मछली शहर तहसील में नलकूप लगाने तथा कुछ तालाबों से पानी निकालने की योजना

*७०—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील के सातों तलिया, बड़ेला (मछली शहर कस्बे के पास) दूसरे बड़ेला (चौकी खुर्द, रामपुर खुर्द, के पास) चितांव, बगदहा और कुडेला तालों से जल निकासी की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। प्रश्न में कथित चितांवा बगदहा तथा दूसरे बड़ेला को छोड़कर बाकी तालों से जल निकासी की योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

*७१—**श्री माताप्रसाद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील के बर्ना नदी और बसही नदी के बीच के क्षेत्र में जो नलकूप क्षेत्र है, कहां-कहां पर नल कूप लगाने की योजना थी और अभी तक नलकूप कहां-कहां लग सके ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त क्षेत्र में अब तक निम्नलिखित १२ स्थानों पर नलकूप लगाये जा चुके हैं :—

१—नरायन डीह	७—सुइरी
२—खुदावन	८—औंगी
३—बीरननियान	९—मोलनापुर
४—बादशाहपुर	१०—रामगढ़
५—जौंध	११—लासा
६—भीखापुर	१२—नीबापुर

इस क्षेत्र में और कोई नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

खीरी जिले के लिए सिंचाई योजना

*७२—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६० ई० में जिला खीरी में सिंचाई की क्या योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—सन् १९६०–६१ में खीरी जिले में दो नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस जिले में नहरों की लम्बाई भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रथम योजना के अन्त तक इस जिले की नहरों की लम्बाई १८८ मील थी। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के अन्त तक नहरों की लम्बाई बढ़ाकर लगभग २९० मील कर दी जायेगी।

*७३—**श्री जगवीर सिंह** (जिला बुलन्दशहर)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*७४–७६—**श्री राजदेव उपाध्याय** (जिला देवरिया)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*७७–७९—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

मुद्रण मशीनों का क्रय

*८०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—आठ मुद्रण मशीनों के क्रय के संबंध में दिनांक १६-२-१९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९-१० के उत्तर के क्रम में क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अनुपूरक अनुदानों में दो मशीनों की खरीदारी हेतु लगभग २२,७०० रुपये व्यय की योजना प्रस्तुत की गई थी लेकिन उत्तर में इन दोनों मशीनों का मूल्य २९,४९० रुपये बताया गया है ? यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल दो मशीनों के तखमीने में ३० प्रति शत वृद्धि का कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, मशीनों के मूल्य में ३० प्रति शत का अन्तर होने का कारण यह था कि २२,७०० रुपये की व्यवस्था सप्लाई करने वालों के कोटेशन्स के आधार पर जो उन्होंने प्रायः दो वर्ष पूर्व भेजे थे, १९५९-६० के अनुपूरक अनुदानों से प्राप्त हुई। परन्तु मशीनों को खरीदने के समय उनका मूल्य बढ़कर २९,४९० रुपये हो गया था।

*८१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मशीनों पर स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के बिना किस प्रकार कार्य किया जावेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—मशीनों के सप्लाई करने वालों के द्वारा प्रिन्टर्स हाउस, देहली, में १५ दिन के लिये अरण्यपाल, कार्य योजना वृत के कार्यालय के एक टाइपिस्ट को इस मशीन को ठीक रखने तथा चलाने के लिये निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है। यही टाइपिस्ट इस मशीन को चलायेगा।

*८२—श्री झारखंडेराय—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जैथरी ग्राम को नहरी पानी से कथित क्षति तथा ऊंचा खेड़ा माइनर से सिंचाई

*८३—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली स्कीम की टेल पर सन् १३६६ फसली की रबी में अनावश्यक पानी छोड़ देने से जैथरी ग्राम की फसल बरबाद हो गई ? यदि हां, तो कितने एकड़ और उसके लिये कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

*८४—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत तहसील सिधौली खीरी नहर बांच के मील ११२ की बाईं पटरी से ऊंचा खेड़ा माइनर निकलती है ? यदि हां, तो १३६४, १३६५, १३६६ फसली खरीफ व रबी में उससे कितने एकड़ सिंचाई हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, खरीफ तथा रबी १३६४, १३६५ और १३६६ फसली के सिंचाई के आंकड़े संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ७५० पर)

*८५—श्री जंगबहादुर वर्मा—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*८६-८८—श्री सईद अहमद अन्सारी—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सगड़ी तहसील से बिजली के लिए आवेदन-पत्र

*८९—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के किन-किन स्थानों पर बिजली देने के निमित्त १९५८–१९५९ में आवेदन-पत्र दिये गये थे ?

श्री गिरधारीलाल—१९५८ व १९५९ में तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ से बिजली प्राप्त करने के निमित्त संलग्न सूची में दिया गये ग्रामों से २१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

*९०—श्री मुक्तिनाथराय—सरकार उक्त स्थानों पर बिजली देने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—आवेदन-पत्र दाताओं को बिजली दी जा चुकी है तथा दो अन्य आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही हो रही है। शेष ११ आवेदन पत्र दाताओं को बिजली की दर तथा अन्य शर्तें सूचित कर दी गई थीं परन्तु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कनेक्शन प्राप्त करने के लिये आजमगढ़ कार्यालय में नहीं आये।

बेसो नदी के फरीदचक ग्राम पुल पर पथ-कर लेना

*९१—श्री यमुनासिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिला, ग्राम फरीदचक के पास बेसो नदी पर जो पुल नया बना है, उसको पार करने वाली सवारियों से सरकार कोई टैक्स ले रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—सूचना †मेज पर रखी हुई है।

*९२–९४—श्री जगन्नाथ चौधरी—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*९५—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*९६–९८—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जज रिवीजन सेल्स टैक्स के विचाराधीन मुकदमें

*९९—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ जनवरी, ६० को जज रिवीजन सेल्स टैक्स के पास कुल कितने रिवीजन्स (Revisions) विचाराधीन थे तथा उनमें से कितने एक साल से ज्यादा और कितने दो साल से ज्यादा पुराने हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—दिनांक ३१–१–१९६० को जज (रिवीजन्स) सेल्स टैक्स के न्यायालय में १०,४३७ रिवीजन्स के मामले विचाराधीन थे जिनमें से ४,७९७ एक साल से ज्यादा और १,१८५ दो साल से ज्यादा पुराने थे। शेष ४,४५५ मामले एक साल से कम अर्से से विचाराधीन थे।

*१००—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले २ वर्षों में रिवीजन्स (Revisions) के दायरों (Institutions) और निर्णयों (Disposal) की क्या संख्या रही है ?

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री सैयद अली जहीर—पिछले दो वर्षों में कुछ रिवीजन्स के इंस्टीट्यूशन्स तथा निर्णयों की संख्या क्रमशः १०, ३१२ तथा ४,७९१ रही है।

*१०१–१०२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज अधिष्ठान के कुछ कर्मचारियों की छटनी

*१०३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने एक वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक निरन्तर काम करने वाले वर्क चार्ज के कर्मचारियों को एजेन्ट, मेट तथा चौकीदार एवं स्थाई गैंग के लोगों को पृथक करने की नोटिस दे दी है? यदि हां, तो क्यों और इस नोटिस का कितने लोगों पर असर पड़ा?

श्री गिरधारीलाल—गोरखपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज अधिष्ठान के कुछ कर्मचारियों की छटनी के कारण नौकरी से पृथक किया गया है।

छटनी का कारण निर्माण कार्यों का समाप्त हो जाना अथवा धन की कमी के कारण कार्यों की गति में कमी कर देना है।

इनका प्रभाव जिन जिन लोगों पर पड़ा था वह सब नये वित्तीय वर्ष में पुनः रख लिये गये हैं।

*१०४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१०५–१०७—श्री भगवतीसिंह विशारद—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सिरसा सेंगर दोआब के नलकूप

*१०८—श्री अभयराम यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के सिरसा सेंगर दोआब में इस वर्ष प्रस्तावित २४ नलकूपों में से केवल ६ बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो शेष १८ कब तक बनाये जाने की आशा है?

श्री गिरधारीलाल—इस क्षेत्र में २४ नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तीय योजना काल में इटावा जिले में कुल ५ राजकीय नलकूप बने हैं। इनमें से तीन नलकूपों पर कार्य सिरसा सेंगर दोआब में आरम्भ किया गया।

*१०९—श्री अभयराम यादव—क्या यह सही है कि उपरोक्त ६ नलकूपों में से जो तीन बनाये जा रहे हैं उनके पाइप खींच लिये गये हैं और सामान उठा लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—इटावा जिले के सिरसा सेंगर दोआब में जिन तीन नलकूपों पर कार्य प्रारम्भ किया गया उनमें से एक नलकूप सफल हो गया है। दूसरे पर बोरिंग असफल रहने के कारण सामान उठा लिया गया। तीसरा नलकूप सफलता की आशा न होने के कारण छोड़ दिया गया। इनमें से किसी भी नलकूप पर से पाइप नहीं खींचे गये।

*११०—श्री अभयराम यादव—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१११—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पीपलशाह माइनर नहर न बन सकना

*११२—श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम बिरालसी के पास नहरी कल्लरपुर से "पीपलशाह माइनर" निकालने की कभी कोई योजना थी जिसकी खुदाई के लिए दागबेल भी लग चुकी थी? यदि हां, तो वह माइनर अभी तक क्यों नहीं बनी?

श्री गिरधारीलाल—पीपलशाह माइनर बनाने की प्रस्तावित योजना पानी की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं हो सकी।

*११३—श्री गयूर अली खां—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिरालसी गांव के पास नहरी कल्लरपुर से 'माइनर' निकालने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, बिरालसी ने कोई प्रस्ताव किया था? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या था?

श्री गिरधारीलाल—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*११४—श्री गयूर अली खां—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बिरालसी गांव के पास 'पीपलशाह माइनर' निकाल कर जिस क्षेत्र के सिंचन की योजना थी उसके लिए सिंचाई का कोई प्रबन्ध किया गया है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

मेंहदावल को बिजली न देना

*११५—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या टाउन एरिया, मेंहदावल, बस्ती, की बिजली वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। इस नगर का विद्युतीकरण लाभप्रद नहीं समझा गया।

*११६—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[२६ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

*११७—श्री विश्रामराय—[सहकारिता मन्त्री से सम्बन्धित ९वें सोमवार के लिए स्थानान्तरित किया गया।]

*११८—१२०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२६ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*१२१—श्री मदन पांडेय—[२६ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिल्हौर तहसील में बिजली देने, बानामऊ-बेला सड़क तथा रूरा-झींझक नहरी पटरी पक्की करने की प्रार्थना

*१२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के बिल्हौर, झींझक, रूरा, देशपुर तथा घाटमपुर कस्बों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली देने पर वह विचार करेगी? यदि हां, तो योजना के किस वर्ष तक?

श्री गिरधारी लाल—राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किया जाने वाला धन केन्द्रीय सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के ज्ञात होने पर निश्चित किया जायगा।

योजना पर धन निर्धारित होने पर प्राथमिकता का निर्णय हो सकेगा।

*१२३---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह कानपुर जिले की बानामऊ से बिल्हौर होकर असालतगंज बेला रोड तक तथा रूरा कस्बे से झींझक टाउन एरिया तक नहर की पटरी को पक्की सड़क बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय।

*१२४-१२५---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---[मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित ११वें बुधवार के प्रश्न ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बड़का हिलबाड़ी नाला निकालने की योजना

*१२६---आचार्य दीपंकर---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलाबलपुर नाला (मेरठ) में बड़का-हिलबाड़ी नाला निकलवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

*१२७---आचार्य दीपंकर---यदि हां, तो क्या इस वर्ष की वर्षा से पहले यह नाला खुदकर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---इस नाले के लिए भूमि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिस के कारण अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि यह नाला अगली वर्षा से पहले तैयार हो सकेगा या नहीं। भूमि प्राप्त होने पर इस नाले को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा।

मिर्जापुर जिले में जंगल विभाग के मुकदमें

*१२८---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि मिर्जापुर जिले में जंगल विभाग के फौजदारी व माल के मुकदमे दीवानी के सरकारी वकील करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मिर्जापुर जिले में दो वन खंड हैं---सोन तथा दूधी। दूधी खंड का कोई मुकदमा जिले की अदालतों में नहीं है। सोन वन खंड के लगभग ४०० मुकदमे फारेस्ट सेटिलमेंट अधिकारी के मिर्जापुर की अदालत में हैं। फरवरी, १९६० तक इन सभी मुकदमों की पैरवी जिला सरकारी वकील (दीवानी) करते थे, लेकिन १ मार्च, १९६० से दूसरा वकील तैनात कर दिया गया है।

बेला पहाड़ा व हरैया के जंगल

*१२९---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना अटवा बियरिया, जिला खीरी के मियापुर के प्राइवेट जंगल को सरकार ने छोड़ दिया है और बेला पहाड़ा व हरैया के प्राइवेट जंगल को सरकार ने गजट कर के ले लिया है ? यदि हां, तो उस में कितने पेड़ कारामद होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---जमींदारी उन्मूलन के बाद मियांपुर, बेला पहाड़ा और हरैया के निजी जंगल सरकार में निहित हो गये परन्तु वन बन्दोबस्त कार्यवाही के सिलसिले में मियांपुर जंगल पर सरकार का दावा अस्वीकृत कर दिया गया। बेला पहाड़ा और हरैया जंगल अभी सरकार के अधिकार में हैं और उन के विषय में वन बन्दोबस्त कार्यवाही जारी है। इन जंगलों में छिटके पुटके पेड़ हैं। कारामद पेड़ों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

फागपुर जंगल की भूमि का वितरण

*१३०—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर बनबसा के पास फागपुर नामक जगह वन विहीन कर के किस हेतु साफ की गयी है ? क्या यह हरिजन भूमिहीनों को दी जायगी ? यदि हां, तो किस प्रतिबन्ध के साथ ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—फागपुर की भूमि नानक सागर व शारदा सागर योजनाओं से बेघर हुये लोगों को बसाने के लिए वन विहीन की गयी है।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारतों का निरीक्षण

*१३१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों ने जनवरी, सन् १९५७ से दिसम्बर, सन् १९५८ तक प्रदेश के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की बनी हुई कहां-कहां की इमारतों का निरीक्षण किया ?

*१३२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन इमारतों का निरीक्षण किया गया उनमें किस राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारत के लिये उनका निरीक्षण नोट बहुत अच्छा और किस इमारत के लिये बहुत खराब है ?

*१३३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारत के लिये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का नोट अच्छा नहीं है उसके बनाने वाले कन्ट्रेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां तो वह कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना† सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

श्री अमरनाथ—मैं प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिखकर अपनी कठिनाइयों को भेज दें।

उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड डिवीजन (विधिप्रवृत्ति) विधेयक, १९६०

सचिव विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ७५२-७५३ पर)

प्रश्नों के क्रम पर आपत्ति

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं नियम ४८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है "ऐसे प्रश्न जो अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य न किये गये हों किसी दिन के प्रश्नों की सूची में साधारणतया प्राप्ति के क्रमानुसार रखे जावेंगे और उस उपवेशन में अन्य किसी कार्य के लेने से पहले प्रश्नों के लिये उपलब्ध समय के भीतर उस क्रम से पुकारे जावेंगे जिस प्रकार वे सूची में दिये हों। क्रमानुसार रखने की बात इसमें है। मेरा प्रश्न २९ फरवरी को सरकार को भेजा गया और हमने उसे दिया था....

---

†सूचना छापी नहीं गयी।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास इस समय रेफ्रेंस नहीं है कि कौन प्रश्न किस तारीख को दिये गये। आप लिखकर भेज दें तो आपको सन्तोषजनक उत्तर मिल जायगा और अगर कोई असुविधा होगी तो वह भी दूर की जावेगी ।

११ अप्रैल को सदन में रामायण फाड़ने के कारण श्री भूपकिशोर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल सदन म श्री रामवचन यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जिस समय विवाद चल रहा था, श्री भूपकिशोर ने अपने भाषण के मध्य बड़े जोर से हिन्दू समाज को धार्मिक पुस्तक रामायण के कुछ पृष्ठों को सदन के समक्ष फाड़ दिया जिससे सदन के सदस्यों को ही नहीं वरन् हिन्दू जनता को ठेस पहुंची और माननीय सदस्य का आचरण असंसदीय, अनुशासनहीनता तथा अनियमितता का द्योतक है। इससे इस सदन का मान तथा प्रतिष्ठा घटती है और मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह व्यवहार इस सदन का अवमान है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से श्री भूपकिशोर के विरुद्ध इस सदन के अवमान तथा सदन की प्रतिष्ठा कम करने तथा हिन्दू जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाता हूं और आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष---आप यह बताइये कि किस नियम के मुताबिक और परम्परा के आधार पर यह प्रश्न आपने उठाया है?

श्री लालबहादुर---मान्यवर, अगर आप भारतीय संविधान की धारा ४९ को देखें तो उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है---

"संसद से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज का यथास्थिति लुंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा"

श्री उपाध्यक्ष---इसमें किसी पुस्तक का भी जिक्र है?

श्री लालबहादुर---'चीज' में पुस्तक आ जाती है।

यह सदन भारतीय संविधान के अन्तर्गत बना हुआ है। संविधान के अन्तर्गत ही उसमें निष्ठा रखने के लिये हमने शपथ खायी है और कहा है कि उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। मान्यवर, रामायण ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उससे लाखों ही नहीं करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का संबंध है ....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, अब आप बैठें। अब माननीय भूपकिशोर बतायें कि उन्हें इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल रामायण का अपमान करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और न किसी के धर्म को मैंने ठेस पहुंचाई है, न अपमान किया है। मुझे आपत्ति रामायण की केवल ३-४- चौपाईयों पर थी जो इस प्रकार है---

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,

जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा

पूजिय विप्र शील गुणहीना, शुद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीना

मैं इनके विरुद्ध कह रहा था। मेरा कहना यह था कि ऐसी चौपाइयों को इस ग्रन्थ में से निकाल दिया जाय, जिससे न केवल ग्रंथ की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि ग्रन्थकार की भी बढ़ेगी। यह सारी दुनिया की मांग है, सारे धर्मों और जातियों की मांग है कि इस ऊंचे नीच और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया जाय और ऐसी चीज बनायी जाय जिससे सब लोग मिल कर रहें और जातिपांत न पनपने पाये। इस प्रकार मैंने न तो सदन का अपमान किया, न सदन के डिप्टी स्पीकर का, न सदन का, न माननीय सदस्यों और न माननीय मिनिस्टरों का ही अपमान किया है। मैंने सदन की व्यवस्था के अन्दर भाषण दिया है और उसमें बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि रामायण में जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं उनके ऊपर अपने विचार रखे और कहा कि उसमें सुधार होना चाहिये।

इसी तरह से ४ मार्च, १९६० को पार्लियामेंट में रिपब्लिक पार्टी के नेता श्री गायकवाड़ ने मनुस्मृति को फाड़ा था और इसी प्रकार से प्रदर्शन किया था।

श्री उपाध्यक्ष---क्या उसको आप उचित समझ कर ऐसा करना मुनासिब समझते हैं?

श्री भूपकिशोर---वहां पर ऐसा प्रदर्शन हुआ, मैं तो यह कह रहा था और कुछ नहीं। इसके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसके द्वारा मैंने हिन्दू धर्म और रामायण का अपमान नहीं किया है बल्कि मैं रामायण की इज्जत करता हूं, मैं केवल इस चौपाई पर मुझे आपत्ति है जो शूद्र और स्त्रियों के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष---आपने कहा कि श्री गायकवाड़ ने वहां इस प्रकार प्रदर्शन किया तो क्या उसको बता कर आप यह बताना चाहते हैं इस प्रकार प्रदर्शन आप अपना अधिकार समझते थे?

श्री भूपकिशोर---मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं यह कह रहा था कि जब वहां यह किया गया तो कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठाया गया या किसी प्रिविलेज का सवाल नहीं उठाया गया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जिस समय कल सदन में यह घटना घटी, मैं उपस्थित नहीं था लेकिन मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्य के विरुद्ध यह दरख्वास्त पेश की गयी है इस सदन के अवमान की, मेरी राय में उसका अवमान नहीं बनता। बहुत मामूली बात है कि सदन के अवमान के कुछ बने हुए नियम हैं। किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना इस सदन का अवमान नहीं है। इतना निवेदन कर यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

भी मैं निवेदन करना अपना फर्ज समझता हूं और आप की आज्ञा से अर्ज करूंगा कि जो कुछ यहां किया गया, वह बड़ी दुःखद बात थी। उससे इस सदन का अवमान न हुआ हो लेकिन सदन के सदस्यों की भावनाओं को जरूर ठेस लगी होगी। मैंने सुना ही है फिर भी मुझे ठेस लगी। तो जो यहां मौजूद थे उनका हाल बयान करना मेरी शक्ति के बाहर है, किन्तु चूंकि जिन माननीय सदस्य के खिलाफ यह दरख्वास्त शिकायत की पेश की गयी है उन्होंने स्वयं अभी इस बात को कहा कि किसी प्रकार से उनका यह इरादा नहीं था कि किसी की भावना को ठेस लगावें, इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अभी यहां सदन में अपनी राय व्यक्त की, मुझे दुख है कि मैं उस राय से सहमत नहीं हूं। यह तो जरूर सही है कि एक दुःखद घटना हुई और उस दुःखद घटना को यदि माननीय सदस्य उचित समझते हैं और यहां सदन के सामने एक कवि की कृति के पन्ने को फाड़ने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं कि यह एक संसदीय और वैधानिकता का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं आपक द्वारा इस सदन का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (१६वां संस्करण) के १९५७ के पृष्ठ १०९ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है---

"Any disorderly, contumatious or disrespectful conduct in the presence of either House or any committre thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties, or witnesses, will constitute a contempt."

अब देखना यह है कि यह डिसरेस्पेक्टफुल कंडक्ट है या नहीं और इससे सदन के अवमान का प्रश्न बनता है तथा माननीय सदस्य का यह कार्य अप्रतिष्ठाजनक था या नहीं, इसको सदन के सदस्य निर्णय करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर देखने से स्पष्ट है कि इससे ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल कंडक्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता कि माननीय सदस्य ने जानते हुए कि जब एक पुस्तक जो धार्मिक पुस्तक का स्थान रखती है उसको इस तरह से फाड़ना कितना डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है किसी के लिये, ऐसा कृत्य किया। खासकर एक ऐसी पुस्तक जो ऐतिहासिक रूप से सचमुच में धार्मिक पुस्तक है और जिसका मान इस देश के प्रत्येक कोने-कोने में व्याप्त है उस पुस्तक को यहां फाड़ देना इस सदन का अवमान है।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ दिलाने की चेष्टा करूंगा और यह पृष्ठ १२५ का अन्तिम पैराग्राफ है---

"Both Houses will punish not only contempts arising out of facts of' which the ordinary courts will take cognizance but those of which they cannot'

इसके द्वारा जिन कार्यों से कोई भी शिकायत अदालत में जाने पर काग्निजेबिल आफेंस समझा जाता है, उसी दृष्टि से सदन के अवमान की बात भी देखें तो माननीय सदस्य का यह कार्य सचमुच ही ऐसा है जिसे कोई भी कोर्ट काग्निजेबिल के तौर पर ले सकता है और वह एक अपराध कहा जा सकता है। मैं केवल मनुस्मृति की बात नहीं करता, उसकी कोई धार्मिक स्थिति नहीं है, वह तो एक कोड है, वह एक कोडिफिकेशन है पुराने लाज का और यह जो रामायण है उसका तो एक धर्म ग्रन्थ का स्थान है और उसके पन्नों को सदन में फाड़ना एक अपराध की स्थिति है जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। इस सम्बन्ध में मैं संविधान की धारा २९८ सदन के सामने रखूंगा। उसमें लिखा है कि

"Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gestures in the sight of that pers on or places any

object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine or with both."

इसमें जो यह शब्दावली है कि "or places any object in the sight of that person." मैं इस के सम्बन्ध में स्वयं बहुत निश्चित नहीं था लेकिन जब मैंने केस-ला को देखा तो वह तो इस सम्बन्ध में और भी अधिक आगे पहुंचता है और कभी-कभी ऐसे केस हुए हैं कि गाय को सरेआम मारने का प्रयास किया गया है तो गाय का सरेआम मारना, या मरी हुई गाय के चमड़े का प्रदर्शन ऐसे केस इसमें हैं कि जो "Killing cow or exhibiting co'w flesh—killing of a cow in the presence of Hindus or exhibiting cow's flessh by carrying it in an uncovered state round a village, with the deliberate intention of wounding the religious feeling of Hindus, is an offence under this section."

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप जरूरत से ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं, संक्षेप में बता कर आप समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं यह बता रहा था कि जिस प्रकार गौ को मारकर उसका प्रदर्शन किया जाय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाय उसी प्रकार सदन में रामायण जैसे ग्रंथ को फाड़ना भी एक वर्ग विशेष की भावनाओं को डेलीबरेटली हर्ट करना है। इसके अलावा मैं भारतीय दंड विधान की धारा २९५ (ए) की तरफ भी आप का ध्यान दिलाऊंगा जिसमें लिखा है कि—"Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words, either spoken or written, or by visible representations insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class....."

यह चीज इस परिधि में आ गई "विजिबिल रिप्रिन्टेशन्स" की। ऐसा कार्य यहां किया गया, इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि सदन के अवमान का यह प्रश्न बनता है और आप कृपा कर इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो अपना मत व्यक्त किया है, उसका तहेदिल से समर्थक हूं। मुझे श्री लक्ष्मीरमण जी के तर्क को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अन्ततोगत्वा अपने तर्क को उपस्थित करने में उनको उसी अंग्रेजी साम्राज्यशाही जमाने का रटा हुआ भारतीय दंड विधान संहिता की शरण में जाना पड़ा। संविधान जिसके मातहत हमारा यह सदन चल रहा है उसका अनुच्छेद १५ देखा जाय। उस अनुच्छेद १५ (१) में लिखा है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। "यानी हमारे भारतीय संविधान में इस बात की मर्यादा रखी गयी है कि धर्म, मूलवंश जाति लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद न किया जायगा। मैं श्रीमन्, उन व्यक्तियों में से हूं जो कुछ समय पूर्व बिना रामायण की पांच चौपाई के पढ़े पानी नहीं पीता था.....

श्री उपाध्यक्ष—मैरिट्स पर मत जाइए।

श्री राजनारायण—मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तारीफ करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि जिस चौपाई को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनकी निन्दा और आलोचना तथा भर्त्सना होती है और जातपांत की गंध आती है उस ओर उन्होंने इंगित किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से क्या कोई भी सदस्य ऐसा है जो इस बात को मानता है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी?

श्री उपाध्यक्ष---यह बताइए कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं।

श्री राजनारायण---श्री लालबहादुर सिंह ने लिखा है कि हिन्दू धर्म की भावना को ठेस लगी। इस सदन के सदस्यों को ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को.....

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप कांस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट रखें।

श्री राजनारायण---संविधान की बात तो कांस्टीट्यूशनल है कि हमारे संविधान में इस बात को मान्यता मिली है और उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश के १४वें अध्याय में कुछ मुसलमानों के विरुद्ध लिखा गया था, लोगों ने अपील की और सरकार ने उस अध्याय को प्रकाशन से रोक दिया। हमारे इसी सदन की बात है, मुस्लिम धर्म के ऊपर किसी प्रकाशित पुस्तक में कुछ अनुचित बातें लिखी थीं। यहां पर कहा गया कि वह बातें लिखी गई हैं, उनको निकलवाने की व्यवस्था सरकार ने की। तो क्या शूद्रों के दिल पर, हरिजनों के दिल पर ठेस नहीं पहुंचती कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी बात क्यों लिखी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी?.....

श्री उपाध्यक्ष---शूद्र कोई जाति नहीं है।

श्री राजनारायण---अगर शूद्र कोई जाति नहीं है तो वर्णों के अन्दर एक वर्ण तो माना गया था।

श्री उपाध्यक्ष---हर बात का जवाब देंगे तो.....

श्री राजनारायण---मैं यह कहना चाहता हूं कि भावना में सदस्य न बहें। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में ऐसा हिस्सा एक कलंकित हिस्सा है। अगर कोई सदस्य अपनी भावना में उस कलंकित हिस्से को देखते हुए बिना किसी माननीय सदस्य को मारे हुए गाली दिये हुए या अपशब्द कहे हुए, यह कहता है कि उस पन्ने को निकाल दिया जाना चाहिये तो तुलसीदास जी की मर्यादा बढ़ेगी ही, उस हिस्से को निकाल कर वह गौरवान्वित होंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

अब मैं नियमावली पर आता हूं। हमारी नियमावली में जो विशेषाधिकार दिए हुए हैं, या यह है कि सदन के सदस्यों के क्या आचरण होने चाहिए---उन सबको पढ़ लिया जाय, कहीं यह नहीं लिखा है कि अगर सदन का कोई सदस्य किसी बात को इस ढंग से प्रदर्शित करदे तो सदन का अवमान होता है। लोकसभा में कई बार इस तरह की स्थिति आई है। अभी श्री जगदीश अवस्थी ने १४४ सी० आर० पी० सी० के बारे में कहा था कि यह संविधान का अवमान है, यह पन्ना हट जाना चाहिये और उसे फाड़ा था। उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वाराणसी से आने वाले लालबहादुर सिंह, जो वाराणसी संस्कृति का केन्द्र है उसको कलंकित करते हैं---मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, वह श्लोक . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अब आप गैर जरूरी बात न कहें।

श्री राजनारायण---१२५ पेज पर आचार्य जी ने जो कोट किया उसको देखा जाय। मुझे हैरत है कि कैसे वह कहते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। यह लिखा है :—

"Both Houses will punish not only contempts arising out of facts of which the ordinary courts will take cognizance but those of which they cannot...."

मैं मानता हूं कि जिसका कोर्ट काग्नीजेंस न ले वह भी सदन की सीमा के अन्दर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन सकता है। इसकी सीमा में माननीय सदस्य का वह कलंकित चौपाई का पन्ना फाड़ना नहीं आता है बल्कि वह पन्ना फाड़कर भारतीय संविधान की मर्यादा को गौरवान्वित करना होता है।

श्री उपाध्यक्ष—राजनारायण जी, काफी विस्तृत आपने बता दिया।

श्री राजनारायण—दूसरे ५३ जो हैं उसको देखा जाय। उसको लेकर लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने पढ़ दिया। अगर इस तरह से चीजों को लेकर सदन का अवमान का प्रश्न बन गया तो किसी सदस्य की धार्मिक भावना को किसी बात से ठेस पहुंचती है और किसी दूसरे की धार्मिक भावना को किसी दूसरे की बात से ठेस पहुंचती है। मैं लाल बहादुर जी की जानकारी के लिये जानना चाहता हूं। क्या गोसाईं तुलसीदास की रामायण धर्म का मूल स्रोत है, अगर है ? तो यह भी मूल स्रोत है।

श्री लालबहादुर—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य संविधान ही समझायेंगे या लेक्चर भी देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—चेयर का काम आप शुरू न करें।

श्री राजनारायण—इतनी बात जरूर मैं कहूंगा कि किसी को किसी का आदर करन का हक है तो दूसरे को उसकी निन्दा करने का भी हक है। हम किसी की प्रतिष्ठा करते हैं तो इस संविधान के मातहत हमें यह भी हक है कि हम उसकी निन्दा भी करना चाहें तो करें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा कोट की गयी है वह असामयिक है, अनर्गल ह, अप्रजातांत्रिक है, संविधान के विरुद्ध है और हर दृष्टि से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह सदन का अवमान नहीं करता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का जो यह प्रश्न उठाया गया है उसका जो वैधानिक पहलू है उसका निर्णय तो आपके हाथ में है और अन्तिम निर्णय आप करेंगे ही। आपके सामने इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों से अपने विचारों को अच्छी तरह रखा जा चुका है, इसलिये इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर यह मान लिया जाय कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और उठता है तो मैं यदि आप आज्ञा दें तो एक ऐसी बात सुझाना चाहता हूं जिससे कि प्रश्न का निबटारा यहीं बिना विशेषाधिकार समिति के सामने इस मामले को जाये हुए हो सकता है। आप आज्ञा करें तो मैं निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष—अगर मेरे निर्णय के बाद कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी तो देखा जायगा।

मेरे सामने माननीय लाल बहादुर जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह विषय महत्वपूर्ण अवश्य है और मैं देख रहा हूं कि कल से आज तक सदन के काफी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है और कहा है कि इससे ठेस लगी है। आज माननीय भूप किशोर जी ने जो अपना बयान दिया, उसमें उनका यह कथन है कि उनका कतई इरादा रामायण के अवमान करने का नहीं था और न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का था। बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो चन्द चौपाइयां उसमें आपत्तिजनक हैं उनको उन्होंने कहा कि इसमें से निकाल देना चाहिये। मगर यह तो निर्विवाद बात है कि किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य की किसी बात से ठेस पहुंचे तो वह बात अनुचित है और माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में हमेशा सावधानी बरतना चाहिये कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। लेकिन यह विषय विशेषाधिकार का नहीं है। मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से सहमत हूं कि यह विषय विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता। ऐसे विषय लोक सभा में उठाये गये हैं और वहां माननीय उपाध्यक्ष, श्री हुकुम सिंह ने जो व्यवस्था दी श्री जगदीश अवस्थी द्वारा सी० पी० सी० की धारा १४४ का पन्ना फाड़ देने के सम्बन्ध में, उसे मैं आपके सामने रख देता हूं—

[श्री उपाध्यक्ष]

"Order, order I will have to take action if he does not listen to me. It is only speeches that are to be made, not demonstrations. These demonstrations cannot be held inside the House. There ought to be some dignity inside the House. At least, we have to maintain that. I could not quite appreciate what the hon'ble Member meant when he said that he would disobey this section even inside the House. This is not becoming of an hon'ble Member to make such demonstrations inside the House. He is complaining against Government that they resort to bullets and other things. He has not done anything less so far as words were concerned."

माननीय उपाध्यक्ष ने वहां भी यही होल्ड किया कि जिस काम के लिये सदन बना है उसके अलावा एक डिमान्स्ट्रेशन या प्रदर्शन किया गया है तो यह ब्रीच आफ आर्डर हो सकता है जो कि माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं था ऐसा करना। और इसी किस्म का आब्जर्वेशन उन्होंने-इत्तफाक से माननीय हुकुम सिंह जो उस दिन भी चेयर पर थे—जब मनुस्मृति के पन्ने फाड़े गये थे, ४ मार्च, १९६० को तो अपनी यही बात दोहराई थी और इसलिये मैं इस प्रश्न को न तो विशेषाधिकार का प्रश्न समझता हूं और न इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करूंगा। लेकिन मैं भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह से सभी माननीय सदस्यों से अपील अवश्य करूंगा कि सदन में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिये जिससे दूसरे सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। मैं समझता हूं कि उस स्थिति को माननीय भूपकिशोर जी भी समझ गये हैं। उन्होंने यह कहा कि उनका कतई ऐसा कोई इरादा नहीं था और विशेषाधिकार के या और प्रश्नों में अगर माननीय सदस्य यह कह दें कि उनका कोई इरादा नहीं था तो वह प्रायः समाप्त हो जाता है लेकिन यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता भी नहीं है और मैं इसको विशेषाधिकार का प्रश्न मान कर विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात अस्वीकार करता हूं।

श्री लालबहादुर—मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था के प्रोटेस्ट में सदन के बाहर जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। आप अपने इस शब्द को वापस लें जो मेरी व्यवस्था के लिये आपने कहा है।

श्री लालबहादुर—वापस लिया।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं इतना और अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी कल कहा गया है यदि उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय तो मेरे विचार में सदन की शोभा बढ़ेगी। हमारा नियम भी ऐसा है कि कोई अनपार्लियामेंटरी एक्सप्रेशन, डिफेमेटरी, मान हानिकारक शब्द या कोई व्यक्तिगत आरोप जिससे ठेस पहुंचे और यह एक ऐसी चीज है। आप इस पर विचार कर लें, मैं यह नहीं अर्ज कर रहा हूं कि फौरन कोई व्यवस्था दें। अगर ये शब्द निकाल दिये जायं तो मेरा ऐसा खयाल है कि उससे सदन के मान में वृद्धि होगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जो सुझाव हमारे मित्र त्रिलोकी सिंह जी ने दिया है उस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि अगर यह तय करना है कि प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय जिससे यहां का वायुमंडल ठीक हो जाय तो मैं समझता हूं कि भूपकिशोर जी को ओपेन अपोलोजी मांगनी चाहिये कि आइन्दा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, उसके बाद निकाल दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निकालने का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये, मैं भी वही कह रहा हूं।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक तो मेरे पास कोई डेफिनिट प्रस्ताव नहीं भेजा कि क्या शब्दावली निकाल दी जाय। दूसरे कल जो बातें कही गयी थीं उनको ले कर एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया गया। उस पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने भाग लिया। तो पूरी पिक्चर तभी कम्प्लीट होती है जब इसका भी कार्यवाही में समावेश हो। तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी मेरे पास इस सिलसिले में लिखित भेज दें।

श्री त्रिलोकी सिंह—मुझे उसकी एक नकल दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, नकल आपको दे दी जायगी।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उस बारे में अब कोई बात नहीं हो सकती। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा का आया है और उसका विषय ऐसा नहीं है कि जो कामरोको प्रस्ताव की परिधि में आता हो। मैं समझता हूं कि माननीय रामस्वरूप वर्मा को उस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछना चाहिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास कई प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत भी आये हैं। उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो अस्वीकृत हो चुके हैं और कुछ के बारे में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो माननीय सदस्य उससे दिलचस्पी रखते हों वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछें।

एक प्रश्न श्री राजनारायण जी ने अभिसूचित किया है जिसका आवश्यक अंश उद्धृत करके मैं सुनाये दे रहा हूं। बार-बार निवेदन करने पर भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सदन से लाबी का काम लेते हैं। अगर कोई आवश्यक बात करनी हो तो उसी के लिये अध्यक्ष की तरफ से लाबी का प्रबन्ध किया गया है। यहां तो शान्ति से काम लेना चाहिये।

अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ में होने वाली सोशलिस्ट पार्टी की बैठक तथा प्रचार के लिये लाउड स्पीकर प्रयोग करने की आज्ञा न मिलने देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—कल तारीख १३-४-६० को लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से डाक्टर राम मनोहर लोहिया की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया है। सभा तथा सभा के प्रचार के लिये गत ७ अप्रैल को ही सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय मंत्री श्री चन्द्रशेखर मिश्र ने आवेदन-पत्र दिया था, अभी तक सिटी मैजिस्ट्रेट ने सभा तथा प्रचार के लिये लाउड स्पीकर प्रयोग करने की आज्ञा प्रदान नहीं की।

आज १२ तारीख है और कई दिन से यह प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें क्योंकि यह जाहिरा राजनीतिक पार्टियों के संचालन में और उनके कार्यों में बाधक है और संविधान के प्रतिकूल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी बतायें कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ ?

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, ८ अप्रैल १९६० को सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां एक आवेदन-पत्र आया था लेकिन उस पर न तो श्री चन्द्रशेखर मिश्र और न किसी सज्जन के हस्ताक्षर थे। इसलिये स्वीकृति देने में कठिनाई हुई। आज एक दूसरा प्रार्थना-पत्र इस हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है और आज्ञा दे दी गई है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कुछ स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं। आप प्रश्न करना चाहें तो करें।

श्री राजनारायण---आज सुबह जब हम टांडा से लौटे तो हमको प्रांतीय कार्यालय के मंत्री श्री चन्द्रशेखर मिश्र ने बताया कि अभी तक इजाजत नहीं मिली। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट, कारपोरेशन के मेयर और गृह मंत्री जी से संबंध स्थापित किया और निवेदन किया कि आज्ञा नहीं मिली। इसी बीच में . . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह तो वक्तव्य है। आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं ?

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी उस पत्र की प्रतिलिपि सदन में पेश करने की कृपा करेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रतिलिपि आई है उसमें हस्ताक्षर हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि एप्लीकेशन तो पहुंची, लेकिन उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी ने उसको देखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमान्, सिटी मैजिस्ट्रेट लखनऊ, ने हमें सूचना दी है।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी को जानकारी थी कि सिटी मजिस्ट्रेट ने जब हम से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राजनारायण जी, हमारे पास कोई आवेदन-पत्र आया ही नहीं था तो ये सूचनायें उन्होंने कैसे दीं ?

श्री उपाध्यक्ष---उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे, इसलिये उन्होंने उसको ऐसा माना।

श्री राजनारायण---यह कह देते कि हस्ताक्षर नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। किसी तरह से कहा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि नियम ५२ में नोटिस दिया गया इसलिये इजाजत दी गई वरना अन्य सभाओं के बारे में रिफ्यूज कर दिया गया है कि बालकों के इम्तहान हो रहे हैं, इसलिये इजाजत नहीं दी जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी आज्ञा नहीं दी गई, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे आवेदन-पत्र के आधार पर आज्ञा दे दी गई।

माताटीला बांध पर सीमेंट उखड़वा कर टीप कराने आदि से हुई धन हानि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी श्री गोस्वामी द्वारा उठाये गये नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न के सम्बन्ध में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी के नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जा रही है :-

माताटीला बांध पर सड़क के किनारे एक पत्थर का डौला (parapet) बनाया जा रहा है । पत्थर की चुनाई पर स्थानीय इंजीनियर ने प्लास्टर करना आरम्भ किया था किन्तु चीफ इंजिनियर ने अपने निरीक्षण में टीप करने का आदेश दिया । अतएव कुछ भाग में जो प्लास्टर कर दिया गया था उसको हटाकर वहां टीप कराई गई । इसमें लगभग दो हजार पया अतिरिक्त व्यय हुआ न कि पचास हजार पया जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है ।

माताटीला बांध के स्लूश के फाटक मामूली मरम्मत के लिये निकाले जा रहे हैं और पुनः बरसात के पहले ही लगा दिये जायंगे । इस प्रकार की मरम्मत बांधों के स्लूश में गर्मी के दिनों में आमतौर पर आवश्यकतानुसार कराई जाती है जिससे बरसात में वे ठीक से काम कर सकें ।

किसानों में भयंकर चिन्ता की कोई बात नहीं है । यह बात भी सही नहीं है कि हजारों किसानों की कई लाख एकड़ जमीन सूखी रह जायगी और लाखों मन रबी की पैदावार की हानि होगी । उपरोक्त काम से आगे होने वाली सिंचाई में कोई इस प्रकार की देर या अन्तर भी न होगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सलूसों की जगह बल्कहेड गेट लगाये जाने वाले हैं और उनका निर्माण बरेली कृषि वर्कशाप में हो रहा है लेकिन उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह बरसात के पहले इन गेटों को दे देंगे ?

***सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)**---वास्तव में जैसा कि अभी बतलाया सलूश गेटों की मरम्मत की जा रही है । इसके अलावा माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इन गेटों में एक गियर होता है जिसको घुमा कर गेट को ऊपर से नीचे किया जाता है । उसको थोड़ा सा नीचे किया गया है । उसके बाद पलड गेट वगैरह बाद में लगाना है । लेकिन वह बाद की चीज है और उससे जहां तक माताटीला का प्रश्न है कोई असर नहीं पड़ता । ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं ऐसा न हो कि बरसात में सबका सब पानी बह जाय, उसको रोका न जा सके । सलूश गेट की हर साल मरम्मत होती है । वह मरम्मत करके पानी पूरी तरह से रोका जायगा और बाद में काम लिया जायगा । कोई खतरे की बात नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह जो गेट्स लगाये गये, उनको डिजाइन की खराबी की वजह से नीचा करना पड़ रहा है और दूसरे मरम्मत की इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गयी, इन बातों को स्पष्ट करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---इसको बैठ कर सोच लिया कि डिजाइनिंग में खराबी होगी । डिजाइनिंग वगैरह की कोई खराबी नहीं है । मैंने जैसा कि कहा कि हर साल इन गेटों में नीचे कुछ पैड वगैरह दिया करते हैं । बरसात से पहले मरम्मत होती है । कम से कम चेकिंग जरूर हो जाती है और जो कहीं कमी बेशी होती है उसको ठीक करते हैं । उन गेटों को निकाल कर, उनकी मरम्मत करके, १५ जून तक लगाया जायगा । कोई डिजाइनिंग का डिफेक्ट नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध को पहुंचे हुए नुकसान के बारे में सरकार ने एक कमेटी बिठायी थी, उसकी सिपारिशें क्या हैं, और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---नुकसान तो यही है।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके बारे में है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जानते हुए कि पत्थर की दीवार पर सीमट का प्लास्टर नहीं रहता है और जिस वक्त टेंडर हुए थे उसके पहिले भी उच्च इंजीनियर ने उक्त इंजीनियर को यह हिदायत की थी कि प्लास्टर न करवाया जाय, फिर भी क्यों प्लास्टर करवाया गया ?

श्री गिरधारीलाल---जवाब में बताया है कि जो स्थानीय इंजीनियर हैं उसने सोचा कि प्लास्टर करवा दें । वास्तव में जो वहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनकी पिचिंग की गयी है । पत्थर पर अगर टीप कर दी जाय तो अच्छी मालूम होती है, बजाय प्लास्टर के। प्लास्टर अच्छा नहीं मालूम होता । करीब ८--९ हजार स्क्वायर फीट प्लास्टर हुआ था । इस बात को देख कर कि वह अच्छा नहीं मालूम होता, उसको हटवा दिया गया और उसकी जगह पर टीप करवा दी गयी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्थानीय इंजीनियर ने प्लास्टर करवाया, उसकी स्वीकृति डिजाइन में थी या नहीं और बिना चीफ इंजीनियर के पूछे, जो प्लास्टर करवाया जिससे ५० हजार रुपये की क्षति हुई, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल---डिजाइनिंग का प्लास्टर से कोई सम्बन्ध नहीं है । २९ हजार रुपया इस काम के लिए रखा था । इसमें वहां का जो स्थानीय इंजीनियर था उसने समझा कि प्लास्टर ठीक होगा। लेकिन ऐस्थेटिक प्वाइंट आफ व्यू से और वैसे भी मैंने कहा, लाखों मकान ऐसे बनते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी हैं जहां पत्थर वैसे ही दिखलाते हैं, इसलिए वहां पर टीप कराया जा रहा है और टीप कराने में खर्च भी कम पड़ेगा, बल्कि प्लास्टर कराने में थोड़ा सा ज्यादा खर्च बैठता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---उस इंजीनियर के खिलाफ जिसने कि जो अच्छा काम करना टीप करना था, वह न करके प्लास्टर कराना शुरू कर दिया था और जिससे सरकार को इतना नुकसान हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार सरकार का है ?

श्री गिरधारीलाल---मेरा खयाल है कि ऐसी जरूरत तो है नहीं कि इसमें कार्यवाही की जाय ।

शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील में भयानक आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर में अग्निकांड की जो घटना हुई है वह बड़ी दुखद हुई है । उसमें कई व्यक्ति मरे । बड़ी क्षति हुई पशुओं की भी और जायदाद की भी जिसके लिए हमको और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को बड़ा दुख है । उसका विवरण इस प्रकार है :

५ अप्रैल, सन् ६० को दोपहर के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया और सारे जिले में यह तूफान था । लेकिन खासकर तिलहर में बहुत ही उग्र रूप धारण किये था । उस तूफान के सिलसिले में बहुत जगहों पर आग लग गई और उसका विवरण इस प्रकार है :

सदर तहसील में ३ गांवों में ५ आदमियों की मृत्यु हुई, ५६ मवेशी मरे, ९७ घर जले और अनुमानतः १,१७,२०० पये की हानि हुई । जलालाबाद के ८ गांवों में आग लगी, ६ आदमी मरे, २१ मवेशी मरे, २७१ घर जले और २,८१,०२१ पये की अनुमानित हानि हुई । पुवायां में ६ गांवों में आग लगी । १ व्यक्ति मरा, ७९ मवेशी मरे, १७९ घर जले और लगभग ९,०७० पये की हानि हुई । तिलहर के ३३ गांवों में आग लगी । ८२ आदमी मरे, २४८ मवेशी मरे, १,५६७ घर जले और उसके साथ साथ लगभग १३,४६,५४९ रुपये की हानि हुई ।

इस तरह से लगभग ५० गांवों में आग लगी है और ९६ आदमी मरे हैं । ४०० के लगभग मवेशी मरे हैं और २,११४ घर जले । १८,०३,८४० पये की अनुमानित हानि हुई । यह बहुत ही तकलीफदेह बात हुई है । इससे हमारे उस तरफ के भाइयों को बड़ी तकलीफ हुई है ।

जैसे ही खबर मिली सदर में तो एस० डी० ओ० और तहसीलदार मौके पर गये और उन मवाजियात को देखा । मेडिकल हेल्थ आफिसर, सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर ये लोग भी मौके पर गए और जो कुछ हो सका सहायता दी । तिलहर में ५ रिलीफ सेंटर खोल दिये गए हैं । एस० डी० ओ०, डिप्टी कलेक्टर, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० वगैरह के चार्ज में ये रिलीफ सेंटर हैं और और तहसीलों में भी अफसरान को मुकर्रर कर दिया गया है जो अपने चन्द मातहत कर्मचारियों को लेकर ग्रेच्युट्स रिलीफ का कार्य कर रहे हैं । अभी तक जो ग्रेच्युट्स रिलीफ दी गई है कपड़े की शक्ल में, आटा की शक्ल में वह यह है :— ४,०८२ गज कपड़ा दिया गया है, आटा ६०२ मन दिया गया है, पोटैटो १०२ मन २५ सेर दिया गया है, नमक साढ़े १४ मन दिया गया है । इस तरह से २५,८५० रुपया दिया गया है और मकान बनाने के लिए फूस की सामग्री दी जा रही है और २६४ लोग जो जल गए थे उनको फर्स्ट एड दी गई और १८ आदमी अस्पताल में दाखिल किये गये । ७०० पौंड ड्राइ मिल्क वहां पर बांटा गया । पर इस वक्त कलेक्टर के पास ६० हजार रुपया ग्रच्युट्स रिलीफ के बारे में मन्जूर करके भेज दिया गया है और १ ।। लाख रुपया डिस्ट्रैस तकावी के लिये भेज दिया गया है । यह काम वहां पर हो रहा है । जो भी सहायता इस वक्त हम दे सकते हैं, दे के लिये चेष्टा कर रहे हैं । एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि म बहुत जल्द उन मौकों को देखने के लिये जाना चाहता हूं । आज यहां पर यह वक्तव्य देने की वजह से रुक गया । मैं अपनी आंखों से उसको देखना चाहता हूं ताकि जो भी सुविधा हम दे सकें वह दी जाय और जो हम सुविधा या मदद देते हैं, वह जो इसके मुस्तहक हैं, उन तक पहुंचे । यही मुझे निवेदन करना था । मैं समझता हूं जो कुछ कार्यवाही इस वक्त तक की गई है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने उपेक्षा की ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मन्त्री जी स्वयं मौके पर देखने के लिये जायेंगे मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं एक सुझाव उनके सामने रखना चाहता हूं कि यह जो उनके हिसाब से ५० गांवों में आग लगी तो उन गांवों में आग लगन का क्या कारण था इस बात की कोई सरकारी तौर पर विशेष जांच की गई है ? मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार प्रान्तीय स्तर पर किसी विशेषज्ञ के द्वारा इसकी जांच कराये कि वह आग क्यों लगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह आग तूफान आने से लगी ऐसा मालूम होता है । प्रान्तीय स्तर पर जांच-पड़ताल की जरूरत नहीं है । जरूरत इस बात की है कि जो पीड़ित हैं उनको सहायता दी जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या राजस्व मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने स्वयं बताया कि काफी क्षति हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुये जो उन्होंने अहतुक सहायता देने के लिये रुपया मन्जूर किया है, वह बहुत कम है तो उस रकम को बढ़ाने के लिये कुछ आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह नीति नहीं है कि जितना उनका नुकसान हुआ है उस खामी को पूरा किया जाय । उनकी सहायता के लिये हमने इतनी रकम मन्जूर की है । कुछ जरूरत और होगी तो और मन्जूर करेंगे ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब पूर्वी जिलों में ओला पड़ा था तो वह फौरन भागकर गये और यहां इतनी आग लगने पर कह रहे हैं कि शाहजहांपुर जायेंगे, तो क्या वजह है कि उस मौके पर अभी तक जांच करने के लिये नहीं गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर रूमसिंह जी कहें कि हम न जायं तो नहीं जायेंगे ।

श्री रूमसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो तूफान की वजह से २,५०० घरों पर असर पड़ा है, उनकी फसल खराब हो गई है और उनकी झोंपड़ियां भी जल गईं तो मन्त्री जी उनकी सहायता के लिये कुछ सोच रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ कहा है शायद मेरे मित्र सुनते नहीं थे ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जाने का वायदा किया लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सब से ज्यादा मेरे क्षेत्र में हानि हुई है । कम से कम मुझे इसकी इत्तला हो जाय तो बड़ा अच्छा है जब वह वहां पर जायेंगे । जो गांव कतई जल गये हैं और जिनमें कुछ नहीं बचा है तो उनका लगान, आबपाशी और जो सरकार का कर्जा है उसे माफ करने पर विचार किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात मेरे ऊपर तय करने के लिये छोड़ दी जाय ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—इस बात को भी सोचना चाहिये कि देवरिया जिल में भटनी मिल के फाटक पर ५० गन्ने की गाड़ियां जलकर खाक हो गईं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—यह इससे उठता नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिनका आग लगने से सर्वस्व जल गया है उनकी संख्या कितनी है और उनको च्यूरिहैबिलिटेट करने के लिये क्या योजना बन रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्रेच्युट्स रिलीफ की योजना इस वक्त बनी है । उससे उनकी सहायता कर रहे हैं । मकान बनाने के लिये मैटीरियल दे रहे हैं । यह तादाद में इस समय नहीं दे सकता । मकानों की फीगर दी है, गांव की फीगर दी है और जितने मरे हैं उनकी फीगर दी है ।

श्री रूमसिंह—मेरी इस सूचना को सही मान कर कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी वहां के लिये कम से कम २५ लाख रुपया रिलीफ के तौर पर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वे पुनः अपने जीविकोपार्जन में लग सकें और क्या यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मरे हैं उनमें कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मर्द औरतों की तफसील मेरे पास नहीं है और मैं समझता हूं कि समय पाकर वे स्वयं ही अपने को रिहबिलिटेट कर लेंगे, अपनी जीविका चला सकेंगे । कुछ सहायता सरकार की जरूर होगी ।

श्री बालकराम—मैंने वहां जा कर मौका देखा है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये ।

श्री बालकराम—सरकार ने एक खानदान को २ सेर आटा एक रोज दिया तीन दिन के बाद, तो जिस परिवार में ८, १० आदमी हैं उनकी उदरपूर्ति इतने में कैसे होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा स्केल यह है कि ४ आदमियों के परिवार के लिये २० सेर आटा दिया गया है ।

श्री रूमसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि शाहजहांपुर के अधिकांश खलिहान और घरों से छतें उड़ गयीं और बागात टूट गये और छप्पर भी उड़ गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब आंधी आई होगी तो जरूर उड़े होंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुए कि इस भीषण आंधी और तूफान से माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट के अनुसार जब ९६ आदमी मरे हैं और मरे इस से कहीं ज्यादा हैं, तो क्या उन मरने वालों के परिवारों को सरकार कुछ मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कोई तरीका नहीं है । अगर ऐसा हो तो बहुत से लोग मरने लगेंगे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—अहेतुक सहायता देने के लिये इस समय सरकार के पास आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हर एक की जरूरत को देख कर हम सहायता देते हैं । कहीं कांटे से तौला नहीं जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं शाहजहांपुर के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब माननीय मंत्री जी वहां जायं तो उन से मिल कर बात कर लें . . . .

श्री रूमसिंह—वहां बड़ा नुकसान हुआ है । श्रीमन्, थोड़ा सा समय और इस के लिये मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा श्री भजन लाल . . .

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन है कि जिससे ऐसी प्रचंड आंधी और तूफान को रोका जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब हमारे मित्र इधर आयेंगे तो रोक लेंगे, हम तो नहीं रोक सकते ।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर सार्वजनिक संस्थाओं या किन्हीं पार्टियों की ओर से कोई रिलीफ का काम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संस्थाओं के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ दान दिया है ।

श्री रूमसिंह—एक सवाल की उपाध्यक्ष महोदय और आज्ञा प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये ।

श्री रूमसिंह—मेरे पर दया कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बहस मत कीजिये । बैठिये !

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—आइटम ७ के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि सचिव, विधान सभा द्वारा जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० की प्रति सदन में प्रस्तुत की गयी है वह १४ तारीख के कार्यक्रम में लिया जायगा ।

१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि १ मार्च, १९६० को श्री मदन पांडेय द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या ५, उसके अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुछ त्रुटि हो गयी थी । अतः मेरा निवेदन है कि उसमें निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय ।

मूल प्रश्न संख्या ५ था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंडक नदी तथा राप्ती नदी की जलकुंडी योजनाओं के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? इसका उत्तर यह है—अस्थाई प्रस्तावों के आधार पर गंडक नदी योजना का प्रोजेक्ट बनाकर केन्द्रीय सरकार को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है । इस योजना पर विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है ।

बहराइच, गोंडा व बस्ती जिलों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार बढ़ाने के लिये दो वृहत योजनायें जलकुंडी अथवा सरजू नहर प्रस्तावित हैं । दोनों योजनाओं पर सर्वे का कार्य प्रगति पर है । सर्वे का कार्य समाप्त होने पर दोनों योजनाओं में से एक निश्चित की जायगी ।

एक अनुपूरक प्रश्न यह किया गया था—गंडक नहर के सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई रूप रेखा उसकी तैयार हुई है जिसके अनुसार वह किस स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश में आयेगी और किस स्थान से जायगी और रास्ते में कितनी सिंचाई करती जायगी ? इसका उत्तर यह है—जहां तक गंडक योजना का संबंध है वह भारत सरकार के एप्रूवल के लिये भेजी गई है लेकिन यह पच्छिमी गंडक नहर योजना नेपाल, बिहार और उत्तर

प्रदेश के इलाके की सिंचाई के लिये है और जहां तक इसकी आबपाशी का सम्बन्ध है गोरखपुर देवरिया से होकर जायगी और प्रदेश में ११ मील की दूरी तक यह आबपाशी करेगी ।

इस अनुपूरक प्रश्न का संशोधित उत्तर इस प्रकार है---जहां तक गंडक योजना का सम्बन्ध है वह भारत सरकार के एप्रूवल के लिये भेजी गई है लेकिन यह पच्छिमी गंडक नहर योजना नैपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके की सिंचाई के लिये है और जहां तक इसकी आबपाशी का सम्बन्ध है गोरखपुर-देवरिया से होकर जायगी और प्रदेश में ६९ मील की दूरी तक यह आबपाशी करेगी ।

स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्रों में श्री भूपकिशोर, एम० एल० ए० को हरिजन लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामायण संबंधी जो घटना हुई उसके संबंध में मैं आपका कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अंग्रेजी के समाचार पत्रों में, पायनियर तथा नैशनल हेरेल्ड में इस घटना के संबंध में श्री भूपकिशोर के नाम के आगे शब्द "हरिजन" लिखा है । उनको हरिजन शब्द के नाम से प्रकाशित किया गया है जब कि वास्तविकता यह है कि माननीय भूपकिशोर जी हरिजन नहीं हैं । यह घटना जैसी कि प्रकाशित हुई है, पायनियर में, उसकी हेडलाइन्स इस प्रकार से हैं :--

"Ramayan torn on the floor of the House. Harijan M.L.A.'s gesture deeply resented."

इसी प्रकार नैशनल हैरेल्ड में छपा है ---

"Pages from Ramayan torn in Assembly. Harijan Member pulled up for improper action."

तो इस से तमाम हरिजन वर्ग में एक ठेस पहुंची है और यह बहुत प्रभावित करने वाली घटना है । मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन हो जाय तो यह ज्यादा मुनासिब होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं प्रेस प्रतिनिधियों से यह अपील करूंगा कि इस बात का खंडन कर दें और उनके नाम के आगे जो हरिजन लिखा है उसको निकालने के लिये यह संशोधन छाप दें कि वे हरिजन नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदस्य को अपने शब्द वापस लेने की आज्ञा देने पर आपत्ति

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष किसी सदस्य से, अगर वह उनकी रूलिंग के विरोध में सदन त्याग करना चाहता है, और वह ऐसा कह कर वाक आऊट करता है, यह कह सकते हैं कि वे अपने शब्दों को वापस लें ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का इसके लिये अनुगृहीत हूं । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के कन्डक्ट को सब्सटैन्टिव मोशन जिसे उसको पद से हटाने का मोशन कहते हैं, के जरिये से ही डिस्कस किया जा सकता है । वैसे उस पर न हाऊस के अन्दर और न बाहर बहस हो सकती है । अगर कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वे अध्यक्ष की रूलिंग के विरोध में जाना चाहते हैं और इस किस्म के भाव जाहिर करते हैं तो उसके लिये चेयर की तरफ से यह कहा जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०*

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---श्रीमान जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Regulation of building operations(Amendment)Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मन्त्री जरा बैठ जायं । मैं माननीय सदस्यों से जान लूं कि आज तो दो विधेयक लिये जाने वाले हैं इसलिये क्या वे कोई प्रस्ताव करना चाहेंगे कि कितना-कितना समय लिया जाय ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---ये दोनों विधेयक आज ही क्यों लेने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---परामर्शदात्री समिति के प्रस्ताव के बाद सदन ने अपनी स्वीकृति दे रखी है, इसलिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आप देखें कि जो दूसरा विधेयक है यू० पी० नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज वाला, वह एक प्रकार से निर्विवाद सा है और इस पर किसी प्रकार का संशोधन या प्रस्ताव भी नहीं है । तो इस पर मेरा प्रस्ताव है कि आध घंटे का समय दिया जाय और बाकी सारा समय इसी विधेयक के लिये रहे जो मन्त्री जी ने रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ४ से ५ बजे तक वह दूसरा बिल रहे और उससे पहले तक इसी विधेयक पर विचार हो ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---साढ़े ४ बजे के बाद ५ बजे तक ही उसको रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---खैर वह साढ़े ४ से ५ बजे तक हो और साढ़े ४ बजे तक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का बिल चले ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है । श्रीमन्, दफा ५२ के अन्तर्गत जो सवाल माननीय सदस्य देते हैं उस पर क्या माननीय सदस्यों को जानने का अधिकार नहीं है कि वह मंजूर हुआ या नामंजूर हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---एक ले लिया गया था और बाकी अस्वीकृत हो चुके थे । मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके उस पर जानकारी कर लें और उसके ऊपर मैं सरकार से कहूंगा कि शीघ्र उत्तर दिया जाय ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---लेकिन २ ही तो थे आज ।

श्री उपाध्यक्ष---आज तो श्री राजनारायण जी का प्रस्ताव लिया गया जो डाक्टर लोहिया की मीटिंग के लिये लाउड स्पीकर न दिये जाने के सम्बन्ध में था ।

---

*८ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही में छपा है ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० (क्रमागत)

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, राज्य के नगर और ग्राम्यक्षेत्र में बढ़ते हुये अव्यवस्थित और अनियोजित निर्माण कार्यों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम लागू किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत कवाल नगरों, नैनीताल के किछा को, बाजपुर और रुद्रपुर और गाजियाबाद को विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित किया गया है और विनियमित क्षेत्रों में नियंत्रक प्राधिकारियों तथा नियत प्राधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। इन विनियमित क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में कई कठिनाइयों का अनुभव किया गया है और यह देखा गया है कि नियत प्राधिकारियों और नियंत्रक प्राधिकारियों को इन विनियमित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के विनियमन के सम्बन्ध में काफी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है जिससे काम में काफी देरी होती है। मिसाल के तौर पर इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नियत प्राधिकारी अपने अधिकारों को किसी दूसरे को प्रतिनिहित कर सकें। जिसका परिणाम यह होता है कि समस्त काम उसको अपने आप करने पड़ते हैं और काम के जल्दी करने में उसके सामने काफी कठिनाइयां रहती हैं। इस अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था नहीं थी कि नियंत्रक प्राधिकारियों की प्रसारित आज्ञाओं या आदेशों के औचित्य अथवा वैधता के सम्बन्ध में सरकार स्वयं या किसी की प्रार्थना पर रिकर्ड को मांग सके। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि निर्माण कार्यों की अनुज्ञा के लिये जो प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं या जो आलेख्यों या मानचित्रों की प्रतियां प्राप्त की जाती हैं या अपील के ज्ञापन जो दाखिल होते हैं उनके ऊपर कोई फीस ली जा सके। इस अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था नहीं है कि नियत प्राधिकारी स्वयं मुकदमा दायर कर सके, उसकी पैरवी कर सके, वापिस कर सके या उसके बारे में कोई सुलह कर सके। इसमें ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि किसी आज्ञा या आदेश के सम्बन्ध में जो अपराध होते हैं उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सके। तो इन सब चीजों के निराकरण के लिये और उनके प्राविधान के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिससे वे सब कमियां दूर हो सकें और जो अनियोजित निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका ठीक से विनियमन हो सके। इन सब बातों के लिये यह विधेयक लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---व्यवस्था का प्रश्न। प्रक्रिया नियमावली के नियम १२२ में लिखा हुआ है: "विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन--जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा तथा यह भी बताया जायगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की।" आप देखें कि इस विधेयक में कुछ पावर्स को डेलीगेट किया गया है लेकिन ज्ञापन एक भी नहीं है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि इसमें ज्ञापन न होने का कारण क्या है?

श्री जयराम वर्मा---शायद इसमें कुछ भ्रम हो रहा है। माननीय सदस्य ज्ञापन का शायद कुछ दूसरा अर्थ लगा रहे हैं। इसमें ज्ञापन मेमोरेंडम का तर्जुमा किया गया है। जो अपीलें दाखिल होंगी उनके ज्ञापन पर भी शुल्क लिया जा सकता है, इसका जिक्र किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---आप नियम १२२ देखें। यह इस प्रकार से है :-जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायगा तथा यह भी बताया जायगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की।" नियम के अनुसार ज्ञापन होना चाहिये था, यह सब स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिये थीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---तो क्या बिना ज्ञापन के यह विधेयक लिया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी के पास जो सूचना थी वह वे दे चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, उनको तो जानकारी भी नहीं है कि इसके साथ ज्ञापन आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने भविष्य के लिये कह दिया है, सरकार सावधान रहेगी । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आपके अनुग्रहीत होंगे ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे । यह समिति अपनी परिधि भी बढ़ा सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि नत्थी (छ) में आपके केवल तीन संशोधन हैं और वह भी साधारण से और आप परिधि भी बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रवर समिति में भी भेजना चाहते हैं । मैं कोई आधार नहीं समझता कि क्यों न इसको मेम्बर्स की एक डाइ-लेटरी टैक्टिक्स समझी जाय ? आपके केवल तीन संशोधन हैं । अगर सिर्फ बोलने के लिये ऐसा किया गया हो तब तो आप भाषण कर ही रहे हैं । तो क्या वजह है कि इन तीनों संशोधनों को सदन में ही न ले लिया जाय और प्रवर समिति में इसको न भेजा जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--प्रथम तो मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में हूं और उसके कारण मेरे पास हैं, अगर आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा, उसमें मेरा संशोधन है कि परिधि बढ़ाई जाय । मैं चाहूंगा कि निर्माण के सम्बन्ध में यह जो विधेयक है इस पर समिति सर्वांग रूप में विचार करे और परिवर्तन करे ।

श्री उपाध्यक्ष--जिन धाराओं में आप परिधि बढ़ाना चाहते हैं उनको एक, दो, तीन करके आप गिना दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक तो नियत अधिकारी की जो शिकायतें हैं, असीमित शिकायतें हैं उनकी जांच-पड़ताल होनी चाहिये और वह जांच-पड़ताल तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मूल विधेयक को गौर से न देखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक की परिधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--यहां पर जांच-पड़ताल नहीं हो सकती । हम संशोधनों में ही संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं ला सकते । हमारा विचार है कि मूल अधिनियम में भी हमसे संशोधन लिये जा सकें । मिसाल के लिये जैसे कन्ट्रोलिंग अथारिटी है, उसके सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन होने आवश्यक हैं । कन्ट्रोलिंग अथारिटी को सिविल राइट्स दिये हुये हैं जो कि अनुचित नहीं हैं । इसी तरह से अपीलेट अथारिटी को सिविल कोर्ट के अधिकार दिये हुये हैं । तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई साउन्ड प्रस्ताव नहीं मालूम होता । ऐसे प्रस्ताव को लाकर के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर हो जाता है, यह बात जरूर है । आगे इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करनी होगी, इसलिये मैंने निवेदन कर दिया, आप भाषण जारी रखें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर बोलने के लिये भी ऐसी परम्परायें हों तो वह भी ठीक हैं नहीं तो मैं समझता हूं कि बोलने का मौका साल भर भी न मिले ।

श्री उपाध्यक्ष--उसके सम्बन्ध में मैं कल बता चुका हूं कि जो माननीय सदस्य इतनी प्रेस अपने में नहीं रखते कि माननीय अध्यक्ष की नजर उन पर जाकर पड़ जाय तो इसमें उनका नुकसान होता ही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, जो अधिनियम है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़ी सी बातें रखना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कुछ डेलीगेशन्स के लिये और कुछ दिक्कतों को दूर करने के लिये जैसा कि उद्देश्य और कारणों में भी दिया हुआ है, उनके सुधार के रूप में यह विधेयक रखा गया है। मैं अपने संशोधन रखने के साथ-साथ ऐसा भी स्वीकार कर लेता हूं कि इस विधेयक में कुछ बातें सुधार के रूप में लाई गई हैं और सचमुच में यह विधेयक पहले के विधेयकों से कुछ उन्नतिशील है। लेकिन मुझे यह कहने में थोड़ा सा हर्ष है कि इस विधेयक में ऐसे भी स्थल दिखाई पड़ते हैं जो पूर्व कथन के ठीक विपरीत हैं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुये)

एक तरफ तो हमें यह बताया जा रहा है कि ११ तारीख को पार्टी के नेताओं का एक सम्मेलन किया जा रहा है जिसका मुख्य विषय शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करना है। सरकार की ओर से भी यही घोषणा की जाती है कि विकेन्द्रीकरण करना उनका लक्ष्य है लेकिन आज के विधेयक को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें तो विकेन्द्रीकरण के बजाय केन्द्रीयकरण की ओर जाने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से इसमें जो नियंत्रक प्राधिकारी हैं उसके हाथ में सभी शक्ति निहित होगी। क्या यह कदम विकेन्द्रीयकरण की ओर ले जाने वाला है? हम आशा करते थे कि हर विषय के सम्बन्ध में, चाहे वह निर्माण कार्य का ही क्यों न हो, विकेन्द्रीयकरण की ओर ले जाने वाला होगा। लेकिन जो शक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी को दी गयी हैं उनसे तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि निरंकुशता की ओर बढ़ा जा रहा है। पहले विधेयक का जो रूप था उसमें नियंत्रक प्राधिकारी के निर्माण के लिये एक डिवीजनल कमिश्नर या कोई ऐसा अधिकारी हो जो मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न का न हो, ४ नामांकित व्यक्ति, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसिडेंट या म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसिडेंट होना लाजिमी था। ऐसी एक समिति नियंत्रक प्राधिकारी को चुनती। इस प्रकार से ७ आदमी उसमें होते। अब उन ७ आदमियों के स्थान पर ९ आदमी कर दिये गये हैं लेकिन अब वे सब नामांकन के रूप में ही ले लिये गये हैं, उसमें भी कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है। पहले एक बाध्यता थी कि म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, वह भी इसमें नहीं रहा है। अब सरकार ने छूट ले रखी है कि जो समिति नियंत्रक प्राधिकारी बनायेगी उसमें वह किसी प्रकार का कोई आदमी रख सकती है। चुने हुए अधिकारी के रूप में उसमें एक भी सदस्य नहीं बैठ सकेगा। इससे यह साफ मालूम होता है कि सरकार विकेन्द्रीकरण की ओर न बढ़ कर निरंकुशता की ओर बढ़ रही है।

अब इन नये प्राधिकारी को डेलीगेशन की पावर्स भी दी जा रही हैं। उसके बारे में भी कहीं नहीं बताया गया है कि जिस अधिकारी को ये पावर्स डेलिगेट की जायंगी वह किस पात्रता का होगा, किस पद का होगा। इसका होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वह मुकामी रूप से सभी अधिकारों का प्रयोग करता है।

इसके अलावा सरकार ने विशेषरूप से दफा ७ और १० के सम्बन्ध में बहुत से सुधार किये हैं। उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना था कि इस नियंत्रक प्राधिकारी को असीम अधिकार प्रदान किये गये हैं। लोग उसको प्रार्थनापत्र देंगे तथा खंड १० के तहत भवनों को गिरा देने के बारे में नियमों के सम्बन्ध में सभी अपील के अधिकार नियंत्रक प्राधिकारी को दिये गये हैं। और यह नियंत्रक अधिकारी एक निरंकुश अधिकारी सा बन गया है जिसके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो जनता का व्यक्ति कहा जा सके और जिनके द्वारा जनता की आवाज पहुंचायी जा सके। मैं आपका ध्यान खंड ८ में नियंत्रक प्राधिकारी के सम्बन्ध में लिखा हुआ है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि नियंत्रक अधिकारी अधिनियम में विहित कार्यवाही कर सकता है तथा उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। उसे कोई वाद वापस लेने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि नियंत्रक अधिकारी किस प्रकार का होगा, किस कैलिबर का होगा। जब किसी वाद पर समझौता

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वह कर ले, अनुसंधान कर ले तो इसके लिये आवश्यक है कि वह एक ऐसा समुचित अधिकारी होना चाहिये जिसके ऊपर जनता का भी विश्वास हो। यदि वह अधिकारी निरंकुश अधिकारी हुआ तो हो सकता है कि वह गलत व्यक्तियों के द्वारा गलत काम करे।

श्रीमन्, खंड ७ में प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में दिया हुआ है जिसके सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी हमारे लाये गये हैं। पहले यह था कि धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास कार्य न तो आरंभ करेगा और न उसे पूरा करेगा। अब धारा ७ के अनुसार कुछ शब्द इसमें और रख कर इस अधिनियम को और व्यापक-सा बनाया गया है। धारा ७ के अनुसार ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के संबन्ध में अथवा अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, तथा ऐसे आदेशों का ध्यान रखते हुये, या तो ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायं, अनुज्ञा दे देगा अथवा ऐसी अनुज्ञा नहीं देगा।

(३) यदि धारा ५ में उल्लिखित आदेशों के प्रचारित होने के पश्चात् अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो पूर्वोक्त आदेशों के प्रकाशन अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, इनमें से जो भी पश्चात् हो, के ९० दिन के भीतर ऐसे अस्वीकरण के आधार ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रार्थी को संदिष्ट किये जायेंगे....।

एक सदस्य---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य १ बजे और २ बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठायेंगे।

श्री राजनारायण---और यदि कोई उठा दे तो ?

श्री अधिष्ठाता---तो फिर कोरम बेल देनी पड़ेगी।

श्री राजनारायण---तो मैं उसके लिये प्रश्न उठाता हूं।

श्री अधिष्ठाता---इसका मतलब यह कि आप उस प्रथा को तोड़ते हैं।

श्री राजनारायण---आपकी आज्ञा से तोड़ता हूं।

श्री अधिष्ठाता---एक और २ बजे के बीच में अगर कोरम का प्रश्न उठाया जाय तो कनवेन्शन है कि उसके लिये प्रेस नहीं किया जाता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने ही तो कहा है कि वह प्रश्न अवैध है।

श्री अधिष्ठाता---मैंने अवैध नहीं कहा, मैंने कहा था कि यह प्रथा है और उसके अनुसार माननीय सदस्य स्वयं ही इस प्रश्न को न उठावें और अगर उठायेंगे तो नियम के अनुसार मुझे कोरम के लिये बुलाना पड़ेगा। तो क्या आप इस वक्त उस कनवेन्शन को तोड़ना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---मैं चाहता हूं कि सदन को पूरा हक मिले कि वह अपने प्रस्ताव के द्वारा यह करा सके कि वोट न लिया जाय और कोरम का सवाल न उठाया जाय लेकिन चूंकि आपकी अभी रूलिंग हो गई इसलिये मैं उठा रहा हूं। मैं आप की व्यवस्था के सामने ही नतमस्तक हो रहा हूं क्योंकि कभी प्रश्न आया और आप ने कहा कि न उठाया जाय। आपने कहा इसलिये मैं उठा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने यह नहीं कहा कि उठाया जायगा तो लिया ही जायगा, संविधान में आदेश है कि कोरम का जो निर्धारण है उसको कानून बनाकर कम या ज्यादा कर सकते हैं, वह अधिकार संविधान में है लेकिन यह प्रथा जो है वह तो सदन के माननीय सदस्य मानेंगे तभी चलेगी, आप लोग नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगी ।

श्री राजनारायण—मैं आप की आज्ञा स्पष्ट चाहता हूं, आप न देना चाहें तो न दें, मैं आप को प्रेस नहीं करूंगा कि आप जरूर दें, लेकिन मेरा खयाल यह है कि १ और २ के बीच में यह परम्परा चल रही है और यह सदन भी सर्व सम्मत है कि इस समय के बीच में कोरम का सवाल न उठाया जाय लेकिन आप कहते हैं कि अगर प्रश्न उठेगा तो .....

श्री अधिष्ठाता—जब यह प्रश्न उठेगा तब तो सदन को उस प्रश्न पर गौर करना ही पड़ेगा लेकिन माननीय सदस्य स्वयं कनवेन्शन को कायम रखने के लिये संयम रखें तब बात दूसरी है, वरना आप उठायेंगे तो उसे लेना ही पड़ेगा।

श्री राजनारायण—तो मैं उठाता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—तो आप कनवेन्शन तोड़ना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—जी नहीं, कनवेन्शन का तो मैं आदर करता हूं, लेकिन चूंकि आप की व्यवस्था है कि जो उठायेगा तो लेना ही पड़ेगा । और किसी समय पर सवाल उठाना अवैध हो जायगा । इसलिये मैं सहमत नहीं हूं और व्यवधान चाहता हूं कि हो और आइन्दा के लिये इस सम्बन्ध में कोई स्वस्थ रूलिंग हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता—आप बाद में इसको डिस्कस कर लें और अभी जो रूलिंग है उसी पर स्थिर रहें ।

श्री राजनारायण—ठीक है, इसको मैं माने लेता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आप के समक्ष खंड ७ का उपखंड (४) पढ़े देता हूं—इसमें लिखा है कि "यदि उपधारा (३) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की आज्ञा संविष्ट न की जाय तो प्रार्थी लिखित संदेश द्वारा इस अकरण अथवा उपेक्षा की ओर नियत प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसा अकरण अथवा ऐसी उपेक्षा आगे ३० दिन की अवधि पर्यन्त बनी रहती है तो यह समझा जायगा कि नियत प्राधिकारी ने प्रस्तावित कार्य की अनुज्ञा दे दी है"। इसका आशय यह हुआ कि कोई भी प्रार्थना पत्र देने पर उस पर ध्यान न दिया जाय और उस पर ध्यान न दिया जाना जो एक ओमिशन है और उसका जवाब भी न मिले तो समझ लिया जायगा कि दरख्वास्त मंजूर हो गई है । क्या उल्टा नियम है कि प्राधिकारी की तरफ से ध्यान न दिया जाना, उपेक्षा की बात हो तो समझा जायगा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया, यह एक उल्टा तरीका बनाया गया है । मेरी राय में इस तरह की धारा न रखी जाती और इसका कोई और संशोधित रूप सामने आता । इसीलिये मैं इसकी परिधि बढ़ाने के पक्ष में हूं कि इस तरह के अशोभनीय उपखंड को हटा दिया जाय । जो प्राधिकारी जवाब देना पसन्द न करे या उसकी लापरवाही हो कि जवाब तक न दे और उस पर समझा जाय कि दरख्वास्त मंजूर हो गई यह तो सरकार का उल्टा तरीका है ।

अब मैं आपका ध्यान खंड ८ की तरफ आकर्षित करता हूं । इसमें है "नियत प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त प्रवेश करने के लिये अधिकृत कर सकता है—

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप, भू-मापन, अथवा ऐसे स्थल या भवनों के समतल जानने के लिय,

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

(ख) निर्माणाधीन कार्यों के परीक्षण के अथवा मल-निष्कासन अथवा जल निष्कासन प्रणाली का पता लगाने के लिये,

(ग) यह पता लगाने के लिये कि किसी स्थल का विकास अथवा भवन का निर्माण, धारा ५ के अधीन प्रचारित किसी आदेश का उल्लंघन करते हुए अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हुए जिसके अधीन उक्त अनुज्ञा दी गई है, हुआ है अथवा हो रहा है।"

मेरा कहना यह है कि इसमें जो अधिकार दिये हुए हैं कि किसी जगह पर निरीक्षण और सर्वे करना और सब बातों का जानना—ये चीजें उचित हो सकती हैं, लेकिन उल्लंघन हो जाने के बाद जो दंड व्यवस्था है वह ऐसी है कि १ हजार रुपया जुर्माना और ५०० रुपया प्रति दिन तक का जुर्माना है। इतना ही केवल नहीं है बल्कि उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट को इस प्रकार के दण्ड देने का अधिकार दिया गया है, उस मजिस्ट्रेट को यह भी अधिकार है कि वह १८९८ के कानून की धारा ३२ के मुताबिक, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होने के कारण, जो और अधिकार देने की शक्ति है वह भी दे सकेंगे। यानी सजा भी कर सकेंगे। जो अधिकार भवन में प्रवेश आदि करने के लिये दिये जा रहे हैं यदि वह चाहे तो किसी के विरुद्ध अपनी स्वेच्छा से, किसी से बदला लेना हो, किसी को परेशान करना हो या निरंकुशता के आधार पर किसी को तंग करना हो तो बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। तो मेरा मौलिक विरोध इस बात से है कि इन अधिकारों को हम अधिकारियों को देने के पक्ष में इस रूप में कभी नहीं रहे क्योंकि यह अधिकारी आजकल निरंकुश होते जाते हैं और जनता को तंग करते हैं और अपनी हथेली गर्म करने के लिये बहुत से अटपटे काम भी करते हैं। इसलिये मैंने ध्यान आकर्षित किया। लेकिन अब तो कुछ और अधिकार भी दिये गये हैं। जो अधिकार दिया गया है यह तो एक प्रकार से किसी पर वार करने के समान है, अब दूसरा अधिकार पुचकारने का दिया गया है। अब इतना अधिकार हो जाएगा जैसा कि हमारी चौपाई में कहा गया है कि मारिहों कि छाँड़िहों। ठीक इसी प्रकार से नियुक्त अधिकारी को यह सर्वाधिकार देना हमारी चिन्ता के बाहर नहीं है। मैं चाहूंगा कि सभी बातों पर ठंडे दिल से विचार प्रवर समिति में किया जाय।

इसके पहले बिक्री कर बिल, वेट्स एन्ड मेजरमेन्ट बिल तथा धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में जो बिल आया था—उन सब पर मैंने यह विचार व्यक्त किये हैं कि जितने भी विधेयक सरकार के द्वारा लाये जाते हैं उन सब में येन-केन प्रकारेण अधिकारियों को निरंकुश अधिकार दिये जाते हैं। यह अधिकारी जिस प्रकार से भ्रष्ट हैं, अपना पेट भरने के लिये क्या नहीं कर डालते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इनको किंचित मात्र भी अधिक अधिकार देने में हमें शंका होती है क्योंकि सरकार का जो नियंत्रण है इन अधिकारियों पर वह भी हम जानते हैं। किस प्रकार से उनके अधिकार आज बिलकुल निष्फल से हो गये हैं, किसी प्रकार का वे सुधार नहीं कर सकते हैं। हम आये दिन इन भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायतें की ओर ध्यान दिलाते हैं और डी० एस० पी० के पास इन चीजों के पहुंचने के बाद भी सब शिकायतें नाकामयाब होती हैं। निर्माण कार्य के अधीन अधिकार दिये जाने की बात कही जा रही है उससे तो हमें शंका पैदा होती है। इस खंड ९ में जो पेनाल्टीज हैं वे काफी बड़ी हैं और उस हालत में तो दण्ड अच्छा होगा यदि दंड का पात्र ऐसा पुरुष हो जो पैसे के बल से मनमाने तौर पर काम करता हो लेकिन यह दंड अगर किसी ऐसे निर्धन के लिये लगाया जाय जो न्याय पा सकने के लिये अदालत में जाने में असमर्थ हो तो उसके लिये दंड असहनीय हो सकता है।

खंड १० में कुछ तब्दीली करने की बात कही गयी है। इसमें जो अधिकार दिया जा रहा है वह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसमें शब्द "महत्वपूर्ण परिवर्तन" आये हैं। ये शब्द ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट में बहुत विवाद हो सकता है। इनकी कोई विशेष व्याख्या नहीं

है। जहां शब्द परिभाषित हैं उस भाग में इन "महत्वपूर्ण परिवर्तन" शब्दों की परिभाषा होनी चाहिये वरना मुकदमेबाजी ज्यादा बढ़ेगी। किसी भी तब्दीली को बड़ी तब्दीली माना जा सकता है और उसके कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसमें कुछ अपवाद हैं और दफा १७ में कुछ इसके बारे में स्पष्टीकरण किया गया है कि इन-इन चीजों को ले कर कोई परिवर्तन नहीं माना जायगा। इसमें धारा ५, ६ ऐसी रखी गयी हैं जो कुछ थोड़े से परिभाषित शब्दों की व्याख्या करती हैं लेकिन इस व्याख्या के अन्दर कुछ ऐसे लूपहोल्स रह जाते हैं जिनके कारण मेटीरियल चेंजेज को ले कर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है और उससे बड़ी मुकदमेबाजी हो सकती है। इन मेटीरियल चेंजेज का स्पष्टीकरण किया जाता और इन सभी बातों का स्पष्टीकरण हो जाता जिनसे हम स्पष्ट जान लेते कि मेटीरियल चेंजेज क्या-क्या हो सकते हैं।

खंड ७ में ये शब्द जोड़े जा रहे हैं जिनसे लोगों को अधिकार प्राप्त होगा कि वे नियंत्रण अधिकारी के पास कुछ अधिक अपीलें कर सकेंगे। खंड ७ में जो शब्द जोड़े जा रहे हैं उनका अर्थ यह है कि दफा १० के बारे में की गयी आज्ञाओं के बारे में भी वह अपील कर सकेगा। लेकिन अन्ततोगत्वा यह अपील उसी नियन्त्रक प्राधिकारी के पास पहुंचेगी और यह प्राधिकारी हर तरह से अपने को एक महान् शक्तिशाली अधिकारी पायेगा। इस विधेयक की सारी शक्तियां घूम-घूम कर उसके पास पहुंचती हैं। इस नियन्त्रक प्राधिकारी को शक्ति दे देने से इसलिये भय पैदा होता है क्योंकि यह अधिकारी स्वयं इस प्रकार से निर्मित है जिसमें जनता का हाथ कहीं भी नहीं है और ऐसा नियन्त्रक प्राधिकारी जिसमें जनता का कोई हाथ न हो यदि उसको शक्तियां देते ही जायं और उसे एक महाशक्तिशाली निरंकुश शासक बना दें तो वह उलट कर जनता के लिये एक बड़ा भय का कारण हो जायगा।

इसके अतिरिक्त खंड ८ में जो एक नयी धारा जोड़ी जा रही है जिसके द्वारा राज्य सरकार ने फाइनल अपील का अधिकार अपने हाथ में ले रखा है, पुनरीक्षण का अधिकार, इस सम्बन्ध में भी मुझे कहना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि हमारे सामने रेंट कंट्रोल ऐक्ट मौजूद है। मैं उसके ऊपर विशेष नहीं जाना चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा कह देना चाहता हूं कि उसमें कई अथारिटियां हैं। प्रथम तो वह जिसके पास वाद जाता है उसकी अपील कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर की अपील गवर्नमेंट के पास जाती है। तीन स्टेजेज उसके अन्दर हैं। नतीजा यह होता है कि सरकार के पास जब वह अपील जाती है तो मिनिस्टर के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के नोट पर ही फैसला हुआ करता है। अब मिनिस्टर के आफिस सेक्रेटरी या सुपरिंटेंडेंट कितनी लीगल अथारिटी रखते हैं यह हम और आप सब जानते हैं। सेक्रेटरी के पास जो कोई प्राइवेट रूप से जाकर अपनी बात कह सकता है उतनी ही जानकारी उनके पास होती है। पक्ष, विपक्ष की बात जानने का उनको कोई अवसर नहीं क्योंकि वहां कोई कोर्ट तो लगता नहीं है और उसी के आधार पर वे कानूनी चीज का फैसला कर देते हैं। तो सरकार को अधिकार देने का मतलब होता है किसी मिनिस्टर, सेक्रेटरी या आफिस सुपरिंटेंडेन्ट को अधिकार देना। इस तरह से हम एक गुंजायश पैदा करते हैं कि हर आदमी लखनऊ के सेक्रेटेरियट को दौड़ता रहे। यह मैं मानता हूं कि किन्हीं किन्हीं हालतों में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण होना लाभदायक भी हो सकता है लेकिन यह पद्धति इतनी खर्चीली हो चुकी है और जनता को मुकदमेबाजी की तरफ इतना बढ़ाने वाली हो चुकी है कि आज जनता इससे तबाह हो चुकी है। मामूली मामूली मकान जिसकी कीमत मुश्किल से ४ हजार रुपये भी नहीं होगी उसको खाली वगैरह कराने के लिये १०-१० हजार रुपये तक लोगों के खर्च हो जाते हैं और फिर भी खाली नहीं हो पाता। तो ठीक उसी प्रकार से आज यहां भी भवन निर्माण के बारे में पहले तो हम तमाम अधिकार नियन्त्रक अधिकारी को दिये हुए हैं। दरख्वास्त कैसे दें, उनकी जांच कैसे हो, नियमों के मुताबिक निर्माण हो, उसमें जरा भी हेर फेर होने पर उनका निरीक्षण हो और नियमों के विरुद्ध पाये जाने पर गिराने की स्थिति पैदा हो, ऐसा तमाम कार्यक्रम इसके साथ लगा हुआ है। और इन सब के लिये आप ने मुकदमेबाजी और

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अपील का रास्ता बनाया हुआ है और सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले रखा है कि झगड़े आयें तो अंतिम फैसला के लिये लोग हमारे पास आयें। अब चार-पांच जगह बताई गई हैं जहां पर प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने एरिया घोषित किया है। इसमें लखनऊ भी पड़ेगा। इसका नतीजा होगा कि लोगों को लखनऊ देखने को मिलेगा और जो लोग लखनऊ नहीं आ सकते हैं वह भी चाहेंगे कि १०।२०।५० रुपये खर्च करें और किसी सेक्रेटरी से मिलें। श्रीमन्, उनकी पार्टी के लोग जल्दी मिनिस्टर साहब तक पहुंच सकेंगे क्योंकि वह तो उनके ही पक्ष के होंगे लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग होंगे उनके लिये उनके पास जाना कितनी भयानक चीज होगी। हमारा उनके पास जाकर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वैसे वह मंत्री हैं लेकिन उस समय जज बन जायंगे और हम को बहस करने का अधिकार नहीं होगा। अब वह ज्ञान पैदा करने वाली सब चीजों को जान लेने वाले अन्तर्यामी बन जायंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। यह तो हमें कहना पड़ेगा कि माननीय मंत्रियों ने अपने अधिकारों को बनाने के लिये ही ऐसा किया है। वह चाहते हैं कि मुकदमे भी उनके पास आयें, जुडीशियल केसेज भी आयें। यह उनके अधिकार हों। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता हूं लेकिन हमारी गरीब जनता इस काबिल नहीं है कि वह हाईकोर्ट से लेकर मंत्रियों तक के कमरों को झांके और यह उचित भी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में रिवीजन की मांग ठीक हो सकती है लेकिन इसको बढ़ाकर हम खर्चीला कर देंगे और इससे क्या लिटिगेशन की वृत्ति नहीं बढ़ रही है और यह कहां पहुंचेगी इसका भी ध्यान रखिये।

इस तरह से जो संशोधन रखे गये हैं वे या तो अनुचित हैं या नाकाफी हैं। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसकी रिपोर्ट केवल एक सप्ताह में आ जाय। हम विलम्ब के पक्ष में नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जब कोई विधेयक पेश होता है तो विरोधी दल वाले उसको प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव उपस्थित कर देते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप संकुचित दायरे में संशोधन करते हैं और जो त्रुटियां इसमें पहले भरी होती हैं उनको प्रवर समिति में भेजे बिना कैसे देख पायेंगे। आप चाहते हैं कि एक परदा उघड़े और बाकी का ढका रहे लेकिन हम सबको उघाड़ देना चाहते हैं ताकि मालूम हो जाय कि कहां मुर्दा पड़ा सड़ रहा है और दुर्गन्ध दे रहा है। इसीलिये हम प्रवर समिति की बात करते हैं।

कहा यह जाता है कि यह तो एक छोटा सा विधेयक है, बड़ा मासूम है इसलिये इसको जल्दी पास कर दिया जाय। हमने देखा कि रेंट कंट्रोल में पांच साल की मियाद बढ़ाई और जिला परिषद् विधेयक में एक साल के बजाय दो साल की मियाद बढ़ाई गई। कहने को तो एक शब्द का संशोधन है लेकिन जो सारे विधेयक में त्रुटियां भरी हैं वह उसी समय मालूम होती हैं जब सारे विधेयक को देखने का मौका मिलता है। इसीलिये हम प्रवर समिति की बात कहते हैं। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव इसी लक्ष्य से रखा है कि इसमें बहुत सी त्रुटियां आपको देखने को मिलेंगी जब आप इसको प्रवर समिति में ले जायेंगे और मैं चाहूंगा कि सरकार इसको स्वीकार करेगी जिसके आधार पर मैंने इसको रखा है ऐसे तो मैंने बहुत सी त्रुटियां बतायी हैं। उन्हीं को देखकर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये काफी होगी। लेकिन और भी बहुत सी बातें, जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाय तो बतायी जा सकती हैं। मैंने इस प्रस्ताव को जिस दृष्टि से रखा है, सरकार को उसी भावना से इसपर विचार करना चाहिये, न कि इस भावना से कि जो भी सुझाव या प्रस्ताव विपक्ष से आये उसका विरोध करना उनका धर्म है। जो त्रुटियां मैंने उनको बतायी हैं उनको सरकार को मानना चाहिये और अगर वह नहीं मानेंगे तो सारी खराबी का बोझ सरकार पर आयेगा। विपक्ष को बुला कर बिठा लेना, उस पर व्यय करना और फिर उसकी बात न सुनना, यह अनुचित है और यह धन का व्यय उनके कारण होता है जो हमारी अच्छी बातें भी सुनना पसन्द नहीं करते हैं।

मुझे आशा है कि सरकार मेरा प्रवर समिति का प्रस्ताव स्वीकार करेगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव संशोधन के रूप में माननीय मोतीलाल जी ने प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करता हूं और उनके इस संशोधन का भी समर्थन करता हूं कि यह विधेयक ऐसी प्रवर समिति को भेजा जाय जिसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, हम सब को विदित है कि हमारे प्रदेश में इस समय उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य (विनियमन) अधिनियम, १९५८ प्रचलित है। इसमें कुछ कठिनाइयां आयीं, जिनके कारण सरकार ने प्रस्तुत संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं यह आशा करता था कि जिस समय सरकार ने अपनी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया था उसी समय सरकार जनता की भी कठिनाइयों को ध्यान में रखती और उनको भी दूर करने के लिये इस संशोधन विधेयक में उनका स्थान प्रदान करती, लेकिन दुख है कि अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये तो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन जनता को जो कठिनाइयां प्रतीत हो रही हैं उनको दूर करने की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। मान्यवर, इस समय जो अधिनियम प्रचलित है उसके अन्तर्गत जो विनियमित क्षेत्र है वह इतना व्यापक है कि उससे नागरिकों को बड़ी कठिनाई हो रही है। मिसाल के तौर पर लखनऊ शहर को ही लिया जाय। लखनऊ शहर में यह अधिनियम प्रचलित है और इस समय अगर कोई व्यक्ति एक मकान बनाना चाहता है तो उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आवश्यकता इस बात की थी कि यह विनियमित क्षेत्र वहीं तक सीमित रखा जाता जहां पर नयी बस्ती बस रही होती। लेकिन जब बसी हुई बस्ती में मकान बना रहा है तो उस समय उसको विनियमित क्षेत्र में शामिल करने का तात्पर्य होगा कि जो घनी आबादी है, उससे निकलकर जो कोई चाहे मकान बना सकता है, वह बना नहीं सकेगा।

इसके साथ ही साथ जो नया संशोधन विधेयक पेश किया गया है इसमें पुनः कुछ और कठिनाइयां उत्पन्न कर दी गयी हैं। इसके खंड ६ में निर्माण के स्थान पर पुनः निर्माण अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और जोड़ दिया गया है। अभी तक यह विधेयक यह मनाही करता था कि किसी विनियमित क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अब उसकी जगह पर और जोड़ा गया है कि पुनः निर्माण-कार्य नहीं हो सकता है। यह भी नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन भी बिना प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी की स्वीकृति के नहीं कर सकता है। मैं यह समझता हूं कि सरकार इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक नयी कठिनाई उत्पन्न करने जा रही है।

इसके साथ ही साथ इसमें खंड ३ में एक स्पष्टीकरण किया गया है और उसमें यह कहा गया कि इस धारा के प्रयोजन के लिए "प्रेसीडेंट" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी होगा जो यथाशक्ति यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडेंट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो।

हमारे प्रदेश में इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त कर दिये गए हैं। उनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदें काम कर रही हैं। यह भी सबको ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष जिलाधीश हैं लेकिन कहीं-कहीं पर यह भी है कि जिलाधीशों ने अपने अधिकार वाइस प्रेसीडेंट को जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चेयरमैन थे . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर! सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रस्तुत संशोधन विधेयक के खंड ३ में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रेसीडेंट के अन्तर्गत १९२२ के यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट और १९१६ के म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

के प्रेसीडेंट के अधिकार जिनको प्राप्त हैं वह लोग प्रेसीडेंट माने जायेंगे। तो, मान्यवर, इसमें कठिनाई यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हमारे प्रदेश में समाप्त कर दिये गए हैं। उनकी जगह पर अन्तरिम जिला परिषदें काम कर रही हैं। अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समय प्रत्येक जिले के जिलाधीश हैं। लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी पावर्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन को डेलीगेट कर दी हैं, उसे हस्तांतरित कर दिया है। अगर इस संशोधन विधेयक के इस स्पष्टीकरण का कहीं पर प्रयोग हो तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वे उन कमेटियों में या जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता होगी, सम्मिलित किये जायेंगे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन जिनको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी पावर्स डेलीगेट कर रखी हैं, वह इसमें सम्मिलित किये जायेंगे। इस बात की आवश्यकता थी कि जहां पर यह स्पष्टीकरण इसमें सम्मिलित किया गया था वहां पर सरकार इसका और स्पष्टीकरण करती और यह बताती कि इसमें या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही केवल रहेंगे या वह लोग भी सम्मिलित किए जायेंगे। मान्यवर, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन इसमें इस प्रयोजन के लिये सम्मिलित किये जाते हैं तो इसमें मैं आपत्ति करना चाहता हूं। वह इसलिए कि वह एक और डेलीगेटेड पावर्स हो जायेंगी। अब तक जो शक्तियां उनको हस्तान्तरित की गई हैं वह केवल अन्तरिम जिला परिषद का कार्य संचालन करने के लिए हस्तांतरित की गई हैं।

मान्यवर, इस समय जो अधिनियम प्रचलित है उसमें सब से ज्यादा कठिनाई इस बात की है कि जितना अपील की सुनवाई करने का काम है वह सब एक्जिक्यूटिव के लोगों के अधीन है। हमारे प्रदेश में इस बात की आवाज बड़ी बुलन्द हुई है और इस बात की बड़ी चर्चा की जाती है कि हम दिन प्रति दिन एक्जिक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग कर रहे हैं लेकिन इस समय तक जो कानून प्रचलित हैं उनमें इस बात की सदैव कोशिश की गई है कि सारे के सारे अधिकार एक्जिक्यूटिव के ही हाथ में रखे जांय। तो आवश्यकता इस बात की है कि अपील सुनने का सारा काम जुडिशियरी के यानी न्याय विभाग के हाथ में होना चाहिये लेकिन इस समय जो अधिनियम प्रचलित हैं उसमें इस बात की गुंजायश नहीं है। जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें भी इस बात की गुंजायश नहीं रखी गई है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैंने जो विचार उनके सम्मुख प्रस्तुत किये हैं उनको वह स्वीकार करें। साथ ही साथ अवस्थी जी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे और जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि समिति को इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, सब से बड़ी कमी इस विधेयक में जो दिखाई देती है वह यह है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन जैसा कि नियम है और माननीय सदस्यों को अधिकार है, वह नहीं दिया गया है। इससे, श्रीमान्, काफी भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय अवस्थी जी और माननीय विशारद जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसकी गुत्थी को कुछ खोलने का प्रयास किया है। जो उद्देश्य और कारण इस संशोधन विधेयक में दिये गये हैं उससे बिलकुल साफ है और इस बात की जानकारी हो रही है सारे सदन को और सदन द्वारा सारे उत्तर प्रदेश को जानकारी हो जायगी कि जो पहला मूल विधेयक सन् १९५८ में पास हुआ था उस समय हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इसमें जल्दी न कीजिये, यह महत्वपूर्ण विधेयक है, पर सरकार ने उस समय नहीं माना। इसमें शक नहीं है कि सरकार के समक्ष विनियमन के क्षेत्र में, जो म्युनिसिपैलिटी टाउन एरिया के अन्दर है, इसके द्वारा काम होता है।

यह पंचवर्षीय योजना का युग है तो नये क्षेत्रों के विकास के लिये काफी फैलाव हो रहा है, वे क्षेत्र जरूर आयेंगे जो म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के अन्दर नहीं हों । यह प्रश्न उस समय आया था जब कि सन् १९५८ में मूल विधेयक यहां पर आया था । उस समय इतनी जल्दी की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि अब ६० में ही यह विधेयक फिर आया । माननीय मन्त्री जी देखते होंगे कि हाईकोर्ट के माननीय जजों ने काफी इसके सम्बन्ध में कहा है कि यह हेस्टी लेजिस्लेशन है । इस तरह से नहीं होना चाहिये ? मैं सर्व प्रथम यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो हेस्टी लेजिस्लेशन यहां पर पास किया जाता है उससे सदन का समय नष्ट होता है । प्रदेश के टैक्सपेयर का रुपया बरबाद होता है । इसीलिये अवस्थी जी ने इसमें यह संशोधन रखा है कि इसकी परिधि बढ़ाई जाय और इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, यह उचित ही है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि किसी विधेयक में जब किसी अथारिटी को अधिकार दिया जाता है तो उसको अपनी अथारिटी डेलिगेट करने का भी अधिकार दिया गया है । जिलाधीश को अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाया जाता है । यह अधिकार बिलकुल उसमें निहित है कि वह अपना अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारी ए० डी० एम० को डेलीगेट कर सकता है : जो सब से पहले यहां पर विधेयक आया था उसी में यह हो सकता था : इस दूसरे विधेयक के आने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि दूसरे के लिये पावर डेलिगेट करने की आवश्यकता हो तो वह ऐसा कर दे । यदि वह किसी वजह से नहीं जा सकता है तो अपनी जगह पर दूसरे को भेज दे । इसके लिये अपना अधिकार वह दे सकता है । यह ऐसी चीज है कि जो उस समय ही हो सकती थी किन्तु माननीय मन्त्री जी को जल्दी थी और हम बराबर कहते रहे कि इतनी जल्दी में यह विधेयक आया है कि दूसरे दिन इस पर जरूर संशोधन आ जायगा । एक तो इसकी व्यवस्था आप इसमें कर रहे हैं। विशारद जी ने भी कहा कि इस व्यवस्था से काम-काज में सहूलियत हो जायगी । लेकिन जनता को क्या सहूलियत होगी इसे हमें देखना है ।

दूसरे आप विधेयक इसलिये लाये हैं कि समय-समय पर जो नियत प्राधिकारी फैसला करते हैं उस के संबंध में सरकार को क्या अधिकार है, किन परिस्थितियों में सरकार उन के कागजों को मंगा सकती है और अपना निर्णय दे सकती है । तीसरे इसमें शुल्क की व्यवस्था है । इन सब बातों को मूल विधेयक में ही लिया जा सकता था । आप मूल अधिनियम की धारा १० को पढ़ लें । उसमें टिप्पणी में लिखा है कि कुछ दशाओं में भवन गिराने की आज्ञा । इसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि किन-किन दशाओं में सरकार का नियत प्राधिकारी किसी भवन को गिराने की आज्ञा दे सकता है । निर्माण के हेतु जो मकान बनाये गये हैं बिना कायदे-कानून के, उनको वह गिरवा सकता है । मैं नहीं समझ पाया कि यह जनतंत्रीकरण का विधेयक है अथवा सेंट्रलाइजेशन का । इस को देखा जाय ।

मूल अधिनियम में जहां शब्द "निर्माण" आया है उसके साथ आप "पुनर्निर्माण और महत्वपूर्ण परिवर्तन" शब्द जोड़ना चाहते हैं । आप देखें, श्रीमन्, कि अगर किसी मकान मालिक ने वह महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लिया है तो क्या होगा । वह मूल अधिनियम से गवर्न हो जायगा और उसे गिराया जा सकता है । अगर किसी की एक दीवाल टूट गयी है और उसने उसका पुनर्निर्माण करा लिया तो हमारा नियत प्राधिकारी उसको ढहा देगा । पहले विधेयक में भवन को ढहाया जा सकता है, लेकिन अब तो अगर किसी ने एक टूटी दीवाल बनवा ली, कहीं कोई फाटक लगा दिया, झरोखा निकाल लिया, तो वह सब भी गिराया जा सकता है । आप देखें कि महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है । जो विनियमित क्षेत्र

[श्री उग्रसैन]

हो गया है उसमें अगर किसी ने अपने मकान में जंगला निकलवा लिया है, खिड़की निकाल दी है, फाटक बना लिया है तो उसे सब को माननीय मंत्री जी तुड़वा देंगे ताकि कोई गुंजायश सांस लेने की बाकी न रह जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्रीकरण हो रहा है ? माननीय अवस्थी जी ने जो परिधि बढ़ाने की बात कही है उसे माननीय मंत्री जी मानें । जो आम जनता इस क्षेत्र में बसी हुई है, गाजियाबाद में, लखनऊ और दूसरे कबाल टाउन्स में, उनके प्रतिनिधियों को लेकर एक बोर्ड बनाया जाय और वह सोचे कि क्या-क्या होना चाहिये । वह सोचे कि कहां-कहां अपवाद हो सकता है ।

टैक्स आप ले लीजिये, लीजिये में उस के लिये कुछ नहीं कहता, लेकिन इस पर पूरी तरह से विचार हो जाय । आप इस पर ठंडे दिल से प्रवर समिति में जा कर ही विचार कर सकते हैं । यह सरकार तो प्रवर समिति के नाम से भूत की तरह डरती है, जैसे देहातों में ग्वाले का नाम लेते ही गायें भड़कती हैं वैसे यह सरकार प्रवर समिति के नाम से भड़कती है और यहां दो घंटे के अंदर अपना कोई भी बिल पास करा लेना चाहती है । आदरणीय सदन के सदस्य कितना समय इसके लिये दे सकते हैं, कितना समय सदन इस के लिये देगा यह सोचने की बात है । उनको अगर मौका मिलेगा तो वह सोच सकेंगे कि इसमें अपवाद कौन-कौन होने चाहिये । अभी भी सरकार ७ दिन के लिये बैठ जाय, और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं, जो नव निर्माण हो चुका है उसे गिरा देने से सरकार को क्या लाभ होने वाला है । हिन्दुस्तान के नागरिक का नुकसान करने से सरकार को कोई फायदा नहीं । अगर उस ने बिना कानून-कायदे के कुछ निर्माण कर लिया है तो आप जुर्माना कर दें, लेकिन अपनी जिद में पड़ कर अपने प्राधिकारी के हाथ को मजबूत कर के उसको गिरवा देना ठीक नहीं है । यह विधेयक तभी ठीक होगा कि जब आप इसकी परिधि बढ़ाने के विचार से प्रवर समिति में बैठ कर ठंडे दिल से इस पर विचार करेंगे ।

श्रीमन्, एक बात और, यह जो प्राधिकारीगण हैं उनके लिये, मैं जानना चाहता हूं कि कोई नियम बने हैं अथवा नहीं । यह तो खुला हुआ विधेयक है । वे किस प्रारूप में पत्र देंगे और कैसे क्या होगा, इसकी सूचना कृपा कर माननीय मंत्री जी दें । किन नियमों से वह संचालित होंगे, कैसे अपना काम करेंगे, कैसे यह विधेयक अमल में लाया जायगा, इस के लिये कोई नियम होने चाहिये । उनकी इच्छा ही कानून नहीं होना चाहिये । मुगल बादशाहों की तरह उनकी इच्छा ही कानून हो, यह ठीक नहीं है । इसमें शक नहीं कि आज विकास के लिये, नगरमहापालिकाओं में सीवर बनाने के लिये, मजदूरों के क्वार्टर बनाने के लिये या दूसरी जरूरी चीजों के लिये जमीन की आवश्यकता है । इसमें कोई दो रायें भी नहीं है कि इन कामों को पहले होना चाहिये, लेकिन जो शरणार्थी बन कर यहां आये हैं और नगरों में बसे हैं, जिनके घर द्वार नहीं था और जो चिक्की बेचा करते थे, अगर उन्होंने अपना मकान बना लिया है तो उन की बातें कम से कम जरूर सुनी जानी चाहिये । यह ठीक है कि कुछ प्राविधान किया गया है । जो स्वामी होगा उसकी सुनवाई हो लेगी तभी सरकार की कोई आज्ञा होगी, लेकिन वह कहां अपील कर सकता है और कहां तक जा सकता है इस के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो-तीन बातों के लिये जो आप यह विधेयक लाये हैं यह निरर्थक हैं । इनको स्वयं आप उसी समय कर सकते थे । अगर विधेयक वापस लेना है तब तो बात दूसरी है, लेकिन अगर इसी को रखना और पास कराना है तो आप माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव को अवश्य मानें और उसमें जनता का खयाल कर के आप कोई परिवर्तन करें और उसमें जो मकान मालिक है वे भी अपनी बात कह सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस विकास के जमाने में जो बढ़ती हुई कठिनाइयां प्रदेश में अनुभव में आयीं उन के ऊपर नियंत्रण करने के लिये माननीय मंत्री जी ने निर्माण कार्यों पर नियंत्रण करने के लिये १९५८ में एक विधेयक पास कराया। जिस तरह से अपने प्रदेश में दिनों दिन प्रगति हो रही है और गांवों में भी आज पुख्ता मकान बनते जा रहे हैं और वहां पर भी पानी के निकास की, उसके बहाव की या मकान को सड़क की तरफ ले जाने की और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, वह हम लोगों का नित्य का अनुभव है . . .

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा);--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री मदनगोपाल वैद्य--और कस्बों के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं उन की तरफ लोग बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार की बातें दिन प्रति दिन सुनाई पड़ती हैं और ज्यों-ज्यों शहरों और कस्बों की प्रगति होती जाती है इस तरह की घटनायें बढ़ती जाती हैं।

हमें अपने जिले की एक विशेष घटना याद है। वहां महाराजगंज थाने के सामने एक सड़क है और उस सड़क के ऊपर एक महोदय ने अपना मकान बना लिया। तो कानून के अन्दर कोई नियंत्रण न होने के कारण उनके ऊपर भी कोई नियन्त्रण कायम न किया जा सका और सालों तक मुकदमेंबाजी चलती रही। तो नियन्त्रण न होने के कारण इस तरह से मकान बनाने, पानी के निकास आदि के संबंध में, रोशनी के संबंध में, लोग मनमानी करते हैं। इस संबंध में सैकड़ों मुकदमें शहरों और कस्बों के अन्दर हुआ करते हैं। किन्तु गांव के अन्दर जहां पर आये दिन विकास के कार्य हो रहे हैं वहां पर ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। वहां पर जो पुरानी व्यवस्था थी वही है। वहां पर कोई किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। शहरों में म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर कानून बनाकर इस चीज पर नियन्त्रण किया गया है, टाउन एरियाज में भी इस तरह का नियन्त्रण किया जा सकता है, लेकिन गांव के अन्दर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके न होने के कारण लोग अपनी-अपनी सुविधानुसार मकान वगैरह बना लेते हैं। इसलिये इस जमाने के अन्दर इस तरह के नियन्त्रण की बहुत आवश्यकता थी और इसी प्रकार के नियन्त्रण के लिये एक विधेयक बना। इसके लिये जो विधेयक सरकार ने बनाया है वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू है।

म्युनिसिपैलिटीज में तो पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था थी और उसके लिये नियमावली मौजूद है। इस तरह से टाउन एरियाज में भी एक कानून के मातहत वहां के चेयरमैन को एक-आध वर्ष पहले सरकार ने यह अधिकार दिये जिसके द्वारा वे अगर कहीं पर गलत तरीके से मकान बन जायें तो उनको गिरा सकें। यह अधिकार वहां के अध्यक्षों को दिये गये। तो इस तरह से दोहरा नियन्त्रण टाऊन एरियाज और म्युनिसिपैल्टियों के अन्दर दिखाई पड़ता था, लेकिन गांव के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं थी और वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक था। गांव के अन्दर अभी तक बहुत से निर्माण के कार्य गांव पंचायतों की तरफ से हुआ करते थे और वहां की गांव पंचायत भी कभी-कभी एक पक्षीय हुआ करती हैं और अगर गांव में गांव-पंचायत के निर्माण के कार्यों में विरोध हो, ऐसी दशा में काफी झगड़ा उठ खड़ा होता था। इन सब बातों को देखते हुये, इस तरह के विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। अभी तक ऐसा होता है कि म्युनिसिपेलिटियों के अन्दर तो नक्शे आदि दिये जाते हैं लेकिन टाउन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

एरियाज में ऐसा नहीं होता है। टाउन एरियाज में तो मौलिक रूप से ही एक स्वीकृति दे दी जाती है कि वह अपना मकान बना लें। इस प्रकार वह अपना मकान बना तो लेते हैं लेकिन वे अधिक एरिया में अपना मकान बना लेते हैं और उनके पास कोई प्रमाण नहीं रहता है कि उनका इतना क्षेत्र था और इतने क्षेत्र में उनको मकान बनाने की इजाजत दी गयी थी। इसलिये अगर सरकार इस बात की व्यवस्था कर सके कि जो लोग मकान बनवावें वे एक नक्शा भी पेश करें तो वह ज्यादा ठीक होगा और सुविधा जनक होगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर मान चित्र की व्यवस्था की गई है। यह बड़ी उचित बात है लेकिन इसके बनाने का काम विशेषज्ञ ही करते हैं। टाउन एरियाज की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह ऐसे विशेषज्ञ कर्मचारी अपने यहां रख सकें जो मानचित्र बना सकें। इसलिये सरकार को इसके लिये व्यवस्था करना चाहिये और ऐसे अधिकारी रखना चाहिये जो उनको बना सकें।

एक बात यह देखने में आती है कि जब ऐसे लोग प्रार्थना-पत्र देते हैं तो कभी-कभी जो प्रार्थना-पत्र बहुत पहले के दिये हुये होते हैं उनको स्वीकृति बहुत समय बाद मिलती है किन्तु जिनके प्रार्थना-पत्र बाद को आते हैं उनको उनसे पहले स्वीकृति मिल जाती है। इसलिये जिस क्रम में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हों उसी क्रम से उनको स्वीकृति मिलनी चाहिये। इस विधेयक के अन्दर जो पुनर्वीक्षण के अधिकार दिये गये हैं वह बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति को उस अधिकारी के निर्णय से असन्तोष हो तो उसे अपील करने का अधिकार हो, यह सिद्धान्ततः अच्छी बात है किन्तु अब तक जुडिशियरी कायम है तब तक उसके अधिकार सरकार जो अपने हाथ में ले रही है वह उचित बात नहीं है। और यह प्रसन्नता की बात है कि पुनरीक्षण का अधिकार जनता को दिया गया है कि जिनको शिकायत करना हो और पहले फैसले से सन्तोष न हो तो वह अपील कर सकता है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जनता के हित के लिये उसकी व्यवस्था बड़े-बड़े गांवों में जरूर लागू की जायगी।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक जो सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है वह सन् १९५८ के पिछले कानून के अन्दर कुछ खामियों को देखते हुये ही किया गया है। यह बहुत साधारण सा संशोधन विधेयक है, छोटा है और उसको हमारे अवस्थी जी ने बड़े ही गौर से पढ़ा है और एक एक अक्षर को पढ़कर उन्हों ने अपना भाषण दिया है लेकिन हमारा खयाल है कि उनको इस विधेयक में कोई कमी प्रतीत नहीं हुई और इसी कारण कोई खास संशोधन उन्हों ने दिया भी नहीं है। नत्थी जिसमें संशोधनों की सूची दी गई है उसमें केवल मोतीलाल जी अवस्थी के ही तीन संशोधन हैं जो कोई खास महत्व नहीं रखते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी—उन्होंने इनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा है लेकिन मेरा खयाल है कि इनके ऊपर एक ऐसी शक्ति भी है जिसको माननीय मंत्री जी रखते हैं और इन तीनों का कार्य उससे भी पूरा हो जाता है।

हमारे अवस्थी जी को केन्द्रीकरण हर जगह पर दिखाई देता है। हर जगह शासकों की निरंकुशता की गन्ध मिल जाया करती है। वे सरकार की ओर से जरा भी अधिकारियों को शक्तिसम्पन्न करते देखते हैं तो घबड़ा उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सरकार के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारी किन्हीं कानूनों के अन्दर नहीं रखे जाते, या वे प्राचीन काल के राजा बनाये जा रहे हैं या एकतन्त्र शासक बनाये जा रहे हैं और उनके लिये कोई कानून नहीं है, कोई कानून की सीमा नहीं है जिसमें अधिकारियों और उनके अधिकारों की व्याख्या की गई है, इन सारी चीजों को अवस्थी जी भूल जाया करते हैं। लेकिन स्पष्ट बात निकल जाती है। वे जब संशोधन उपस्थित करने के लिये खड़े हो रहे थे तो यह कह बैठे कि उनका मकसद संशोधन देने का यही नहीं होता कि संशोधन पास हो जाये बल्कि यह भी होता है कि बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिये संशोधन देकर ही बोल लिया करते हैं। आज हमारे देश और प्रदेश की विचारधारा ही ऐसी हो गई है कि अखबारों में लोग नाम पढ़ा करते हैं कि किस क्षेत्र के विधायक अधिक बात कहते हैं और जनता जब अपने क्षेत्र के विधायक का नाम अखबार में पढ़ती है तब उसका प्रचार अवश्य होता है कि हमारा प्रतिनिधि गूंगा नहीं है और असेम्बली में जाकर बहुत बोलता है। जैसा कि वकील अदालत में जाकर बहस करना शुरू करते हैं तो एक मुवक्किल जिसका वकील कुछ नहीं बोलता वकील साहब से कहता है कि वकील साहब आप तो कुछ बोलते नहीं, खिलाफ पार्टी का वकील बहुत बहस करता है और टेबुल पर हाथ पीटता है और जज को विवश कर देता है कि वह लाचार होकर उनकी बात को मान ले। तो उन्होंने कहा कि आज देखो तुम्हारे केस में इतनी बहस करूंगा कि जितना शायद किसी वकील ने कभी किसी अदालत में की हो। तो उन्होंने जाकर अदालत में हाथ पीटना शुरू किया और कुछ इधर-उधर का वक्तव्य देना शुरू किया और अदालत घबड़ा उठी कि यह वकील पागल हो गया और अदालत उठकर चली जाती है। तो उनको मुवक्किल जो देखने गया था बहुत प्रसन्न होकर घर आया कि आज तो हमारे वकील साहब ने कानून का मुंह बन्द कर दिया और अदालत को इतना मजबूर कर दिया कि अदालत को उठ कर घर जाना पड़ गया। तो इसी तरीके से हमारे कतिपय सदस्यों को भी कुछ बीमारी है जो अपनी निरीह जनता को अखबारों के द्वारा सुनाने के लिये रोजमर्रा कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जोकि जनता के बीच जाये, जनता उसको देखे और वह समझे....

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के कथन को एक मोटिव दे रहे हैं और उस मोटिव का जो अर्थ हुआ करता है उसको देखते हुये क्या आप यह व्यवस्था नहीं देंगे कि यदि उनकी बात मान ली जाय तो फिर विरोधी पक्ष का यहां पर बोलना ही एक निरर्थक-सा हो जाता है और क्या उनका ऐसा मोटिव जो कि नीचे के स्तर का है वह उनको शोभनीय है? वह भी इसी लिये उत्तर दे रहे हैं कि अखबार में छपे। वह भी उसी नाव पर चल रहे हैं जिसपर कि हम चल रहे हैं। तो क्या उनकी ओर से इस तरह की बात कहना समय का सदुपयोग होगा और व्यवस्था के अन्तर्गत होगा?

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि समय का तो बहुत अच्छा उपयोग नहीं है, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र के अन्दर है और वह इस तरह की बात कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री रामलक्षण तिवारी—मेरी बातें अवस्थी जी को कुछ बुरी लगीं। मैंने उनके मोटिव पर कोई आक्रमण नहीं किया मैंने कहा कि आदमी की कुछ एसी आदतें होती हैं कि वह जनता को प्रभावित करे और उसी दिशा की तरफ वह बढ़े चले जा रहे हैं। जनता को प्लीज करना जरूरी भी होता है क्योंकि जनता राजा है, यहां पर उसको आने का मौका नहीं मिलता, इसलिये केवल वही नहीं, हम में से भी अधिकान्श सदस्य ऐसी कार्यवाही करने की चेष्टा करते हैं, बोलने के लिये वे आतुर रहते हैं। तो इसका कारण अवश्य ही यह रहता है कि यहां पर अपने विचारों को व्यक्त किया जाय।

जहां तक संशोधन का सवाल है, वह इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के लिये है। मैंने कोई भी विधेयक सरकार की ओर से आते हुये ऐसा नहीं देखा जिसपर विरोधी पक्ष की ओर से प्रवर समिति में भेजने का संशोधन न लाया जाय। खासतौर से अवस्थी जी की ओर से

[श्री रामलक्षण तिवारी]

तो जो भी विधेयक आता है, उसपर प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव अवश्य ही होता है, जहां तक कि मैंने देखा है। बहुत सारी बातें जो कि प्रवर समिति में नहीं कह सकते उनसे अधिक का समय वह इस सदन में ही ले लिया करते हैं। एक-एक बात पर न जाने कितने भाषण होते हैं और कितनी बारीकियों को उसमें देखने की कोशिश की जाती है। सरकार और सरकार के चलाने वालों की नीयत और मोटिव्ज पर बार-बार हमले किये जाते हैं और किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर तो यहां तक कह दिया जाता है कि पूंजीपतियों से मिल कर के किसी खास मकसद से यह काम किया जा रहा है, यह सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन मेरी कुछ बातें माननीय अवस्थी जी को बुरी लगीं और उन्होंने कहा कि इधर से नहीं कही जानी चाहिये थीं। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'। एक बात मैंने कही तो बुरी जरूर लगी लेकिन यही बातें रोजाना उधर से रिपीट की जाती हैं, बराबर दुहराई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि जनता की नजरों में दूसरों को गिराया जाय.....

श्री जगन्नाथ लहरी--व्यवस्था का प्रश्न। मैं आप की व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि अगर कई माननीय सदस्य सदन में प्रस्तुत विधेयक के विपरीत इधर-उधर बोलते चलें जायं और विधेयक पर एक शब्द भी न बोलें तो क्या यह सदन के समय का सदुपयोग होगा?

श्री अधिष्ठाता--आपका मतलब यह है कि माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं, उनको विषय पर ही बोलना चाहिये। मैं आपको बतला दूं कि अभी माननीय अवस्थी जी ने एक प्रश्न रेज किया था उसके बारे में ही माननीय सदस्य कुछ चर्चा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि उसके बारे में उसको ज्यादा नहीं कहना चाहिये, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी--वह शुरू से ही विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--एक प्रश्न कोई माननीय सदस्य उठायेगा तो उसका उत्तर दूसरा माननीय सदस्य दे सकता है। लेकिन उसका उचित ही उत्तर देना चाहिये संक्षेप में, बढ़ाकर नहीं देना चाहिये। माननीय सदस्य कृपा करके विषय पर आ जायं।

श्री रामलक्षण तिवारी--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का कोई आधार नहीं है। सन् ५८ में काफी विवाद के बाद यह विधेयक इसी सदन से पास हुआ था। उसमें केवल पावर डेलीगेशन करने के तथा थोड़े से अन्य आवश्यक संशोधन सरकार की ओर से आये हैं। यह दिखाने की चेष्टा करना कि इसके द्वारा प्राधिकारियों को अधिक शक्ति दी जा रही है, उचित नहीं है। वे अधिकारी सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं जो जनता की चुनी हुई है। अगर वे गलत काम करेंगे तो उनको सजा देने का अधिकार सरकार को है और सरकार उस शक्ति को वापस भी ले सकती है। सरकार के यहां अपील की गुंजायश भी रखी गई है।

अवस्थी जी ने कहा कि जैसा एक सुपरिन्टेन्डेन्ट नोट लिख देता है वैसे ही होता चला जाता है और उसी के मुताबिक फैसला होता। हो सकता है कि किसी ऐसे केस में यह हुआ हो जिसमें उनकी दिलचस्पी रही हो और वह सरकारी अधिकारियों की गलती को सरकार को बताने में असमर्थ रहे हों। लेकिन सरकार को चलाने-वाले लोग और उनके सेक्रेटरीज ऐसे नहीं हैं कि किसी चीज का अन्धे की तरह से निर्णय कर दें। किसी को सजा देने के और अपील के नियम हैं और उनके अनुसार कार्य होता है। अगर सरकार गलती करती है तो अवस्थी जी को यह अधिकार भी मिला हुआ है कि उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट पेटीशन कर दें। संसार-के किसी भी देश में नागरिकों को इतना अधिकार नहीं दिया गया है और वह भी इस संक्रमण काल में जबकि राज्य अभी परिवर्तित हुआ है। बहुत से रिट के मामलों में सरकार को झुकना भी पड़ा है। इतना होने पर भी उन्हें निरंकुशता का ही अनुभव होता है और यही फोबिया हर जगह दिखाई देता है।

मैं आशा करता हूं कि अवस्थी जी अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे और सरकार के प्रस्ताव को पास होने देंगे। यह प्रस्ताव बहुत ही सीधा-सादा है और छोटा-सा है, इसमें कोई खास बात नहीं है जिसके लिये उग्रसेन जी ने कहा था कि आप थोड़े दिन बाद पुनः संशोधन लाने के लिये विवश हुए। जब आप यह भी कहते हैं कि उसमें कुछ है भी नहीं तो फिर प्रवर समिति में क्यों भेजना चाहते हैं? अगर कोई खास बात होगी तो यहां भी वह की जा सकती है।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--अधिष्ठाता महोदय, मेरा इस विधेयक पर बोलने का विचार नहीं था लेकिन अवस्थी जी का प्रस्ताव देखने के बाद और तरमीम को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस पर जरूर इजहारे-खयालात करना चाहिये।

अभी तिवारी जी ने अवस्थी जी की समालोचना चाहे की हो लेकिन इस बिल पर निगाह नहीं डाली। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तरमीमें हैं लेकिन उन्हें यह भी खयाल फरमाना चाहिये कि जहर जरा सा ही, कितना खतरनाक होता है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन देखना यह है कि उन सरकारों के कवानीन देश को कितना आगे ले जाने वाले हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी ही थी तो कहा गया था कि जुडीशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होगा, लोकल बाडीज की आटोनामी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिये एक कमेटी भी बैठी थी जिस के सदस्य भारतीय जी भी थे। तो सरकार को समय के साथ चलना होगा--

श्री रामलक्षण तिवारी--जरा साफ बोलिये।

श्री शिवराजबहादुर--सुनिये तो। मैं सबसे पहले धारा ४ के सब-सैक्शन (२) को पढ़ता हूं--

"The Controlling authority shall consist of the following members, namely,"

इससे पहले सन् ५८ में इस सरकार ने जो कानून बनाया उसमें शैल (Shall) का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कौन अथारिटीज होंगी जिनके जरिये बिल्डिंग आपरेशन्स वगैरह का इन्तजाम होगा। उसमें चुंगी के मेम्बर जरूर लिये जावेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनीसीपैलिटी के चेयरमैन लिये जावेंगे। लेकिन आज यह किया जा रहा है कि--

"Controlling authority shall consist of the following members not exceeding 9."

मूल ऐक्ट में कहा है कि गवर्नमेंट के चार नामिनीज होंगे, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं रखी है। कुल ९ होंगे जिनके जरिये से पूरा इन्तजाम होगा यह कहा गया है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है। उसके लिये 'में' लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। यह गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर है। वे उसे रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। लोकल बाडीज के जो चेयरमैन होते हैं वे पब्लिक के नुमाइन्दे होते हैं, उनके लिये इसमें रखा गया है कि उनके लिये जरूरी नहीं है कि उनको इसमें रख ही लिया जाय। लेकिन पहले यह जरूरी था और 'शैल' का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। इस सूरत से बजाय ताकत के बटवारे के और ज्यादा केन्द्रीकरण किया जा रहा है। इसलिये अवस्थी जी ने यह मुनासिब ही कहा कि ७ दिन के लिये बैठ जायं और बैठकर इसे ओरीजिनल ऐक्ट से कंपेयर करें। सरकार उसको जानती है लेकिन वह यह भी जानती है कि अभी कार्पोरेशन्स बने और कई जगहों पर उनकी पार्टी के मेयर नहीं बन सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन ९-१० साल से नहीं हुए, मालूम नहीं हो भी पायेंगे या नहीं। जैसा कि इस वक्त वातावरण है उसमें पता नहीं कि उनकी पार्टी के चेयरमैन

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

वहां चुनकर भी आयेंगे या नहीं। ऐसी सूरत में सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। अगर उनके आदमी चुन कर आये तो म्युनिसिपैलिटी के या डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के प्रेसीडेंट्स को रख लेंगे, वरना नहीं। इससे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिये जरूरी है कि इसको हम सेलेक्ट कमेटी की फिजां में बैठ कर सोचें क्योंकि वहां बहुत सी बातें हल हो जाती हैं।

इसके अलावा सेक्शन ८-ए और बी इसमें शामिल किये गये हैं। उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये लिखा गया है कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसको खत्म कर सकता है, वापस ले सकता है, या सुलह कर सकता है। बड़े भारी अख्तियार दे दिये हैं। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के केसेज कन्ट्रोलिंग अथारिटी के सामने होंगे। कन्ट्रोलिंग अथारिटी में भी सरकारी नामिनीज होंगे जो सरकार के रहमोकरम पर होंगे। मैं यह नहीं कहता कि यह सही होगा या गलत होगा, लेकिन वहां वही लोग होंगे जो सरकारी होंगे, यानी प्रजातंत्र के बेसिस पर वहां कोई मौजूद न होगा। बहुत से केसेज होते हैं जिनमें मुस्तगीस या मुल्जिम चाहता है कि सुलह हो जाय लेकिन हीनियस क्राइम होने की वजह से सुलह नहीं हो सकती। इसलिये ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जिनको वापस लेना मुनासिब नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिये लिखा गया है कि वह कंट्रोलिंग अथारिटी के मशविरे से वह मुकदमा वापस ले सकता है।

आखिर में ज्यादा वक्त न लेकर मैं एक चीज की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेक्शन १५ के जरिये स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपने हाथ में ताकत ली है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अपील के लिये कोई टाइम मुकर्रर होता है। रेगुलेशंस ऐक्ट को आप पढ़ें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो कंट्रोलिंग अथारिटी है उसके सामने ३० दिन के अन्दर अपील हो सकती है, लेकिन इस रिवीजन पावर के लिये कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि रिवीजन १५ साल में हो सकता है, १० साल बाद भी हो सकता है, और ८ दिन बाद भी हो सकता है। यानी यह सरकार की तबियत के ऊपर है, वह जब चाहे किसी चीज में आल्टरेशन कर सकती है और अपनी राय का इजहार कर सकती है। इसीलिये एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपरेशन की मांग की जाती है कि एक्जीक्यूटिव का काम और है और जुडीशियरी का काम और है। अगर एक्जीक्यूटिव मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दे और गवर्नमेंट जुडीशियरी की ताकत को खत्म कर दे, अपीलैंट कोर्ट की ताकत को खत्म कर दे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को खत्म कर दे और सारी ताकत को अपने हाथ में ले ले और चाहे कि सब के साथ इन्साफ कर सके तो मैं कहूंगा कि इस तरह से इन्साफ होने में बड़ी मुश्किल पड़ जायगी। जो जिसका काम है वह उसी के सुपुर्द रहना चाहिये। कंट्रोलिंग अथारिटी की अपील के लिये कोई टाइम लिमिट होना चाहिये। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार जब भी चाहे किसी की इमारत बन रही हो उसे मिसमार करा सकती है, उसे गिरवा सकती है, उसे बनवा सकती है यानी यह सब कुछ सरकार की इच्छा के ऊपर मुनहसर करेगा। मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ है वह रीजनेबिल है और वह बहुत जरूरी है कि यह ताकत सरकार को अपीलेट कोर्ट के हाथ में देनी चाहिये और अपील के लिये कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिये, कोई टाइम तायुन होना चाहिये जिसके अन्दर कि यह पेश किया जा सके।

श्रीमन्, यह जो छोटा सा संशोधन लाया गया है इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है लिहाजा यह आवश्यक है कि इस बिल को फिर एक कमेटी के सुपुर्द किया जाय जहां बैठ कर ठंडे दिल से गौर करें और अवस्थी जी ने जो सदन के सामने टाइम की बात रखी है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक सप्ताह का टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। इससे आपको फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन विधयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अमेंडमेंट बिल सरकार की तरफ से पेश हुआ है, मैं उसको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अवस्थी जी तथा दूसरे सज्जनों ने जो इस संशोधन बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है, उनमें काफी वजह है और काफी सच्चाई है। जो कोई भी बिल या ऐक्ट हाउस के सामने आता है तथा उस पर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है तो यह कहना कि उनमें कोई वजन नहीं है, यह ज्यादा ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि मुझे भी कुछ अनुभव अपने गाजियाबाद का है कि वहां जब यह ऐक्ट दो साल पहले लागू हुआ तो जो रुकावटें लोगों के सामने आयीं, उनको दूर करने के लिये ही यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। वहां लोगों को भवन निर्माण में काफी कठिनाई सामने आयी। गाजियाबाद की हालत है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड है और कलेक्टर उसका ऐडमिनिस्ट्रेटर है। प्रान्त के सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैन भी कलेक्टर्स ही हैं। तो तकरीबन इस ऐक्ट के मुताबिक सारी ताकत इस वक्त कलेक्टरों के हाथ में है और कोई नान-आफिसियल मेम्बर उस बोर्ड में इस वक्त तक लाया नहीं गया है। हो सकता है कि कोई कठिनाई सरकार के सामने हो और २ साल का अरसा हो गया लेकिन वह इस बोर्ड को मुकम्मल न कर सके। जब पहले यह मूल ऐक्ट आया था उस वक्त मैंने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन उस वक्त भी इस खतरे की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया था और अब वह मेरा खयाल सही साबित हुआ। यह जो सरकार लागू कर रही है इसका नतीजा यह होगा कि जितने कांस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वह सब रुक जायंगे और अगर वह बन्द होंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि उससे भट्टे वालों का काम बन्द हो जायगा, बढ़ई बेकार हो जाते हैं, राज मजदूर भी सब बेकार हो जाते हैं और साथ में मकान और बंगलों की समस्या तो बढ़ती ही है। वहां २ साल से कोई न्यु कांस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पा रहा है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि २ साल में भी सरकार ने इस ऐक्ट के अधीन जो रूल्स बनने थे वे नहीं बनाये हैं। पता नहीं कि उसमें सरकार को क्या दिक्कत है और मैंने ध्यान दिलाया कि जब तक रूल्स नहीं बनेंगे उस वक्त तक अधिकारी ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। मैं कोई शिकायत नहीं करता लेकिन जब भी हम उनसे उनके सामने कोई मामला रखते हैं तो वह हम से कहते हैं कि सरदार जी, हमें खुद नहीं मालूम कि हमें इस ऐक्ट के मुताबिक क्या करना है? जब अधिकारियों को खुद ही नहीं पता कि कहां उसे लागू करना है और किस तरह से नकशे मंजूर करने हैं तो वह काम ठीक से कैसे कर सकते हैं? इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर रूल्स भी अभी नहीं बने हैं तो उनको जल्द से जल्द बनाया जाय।

एक और समस्या है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि गाजियाबाद एक बढ़ता हुआ कस्बा है और वहां के भवन निर्माण को रेगुलेट करने के लिये यह बिल लाया गया था, लेकिन अभी तक वहां के लोगों की एक परेशानी यह है कि यह ठीक है कि मकान जो बनें या आबादी जो हो वह ठीक ढंग से बने, लेकिन ऐसा न हो कि उसको ठीक ढंग से रेगुलेट करने में इतना समय लग जाय कि वहां बसने वाले भी कोई न आयें। वहां हालत यह है कि पहले वहां ६ रुपया टोल टैक्स एक ट्रक पर था लेकिन अब उसका रेट ६०० रुपया प्रोपोज किया गया है अधिकारियों के द्वारा। उनका खयाल है कि गाजियाबाद में लोग क्यों कारखाने लगा रहे हैं, वहां कोई मशीनें न लाये। मेरे पास वहां की कांग्रेस कमेटी ने एक पेम्फलेट भेजा है वह यह है। इसमें लिखा है कि कई चीजों पर तो २,००० प्रतिशत ज्यादती की गई है और १,००० प्रतिशत से कम तो किसी चीज पर ज्यादती नहीं की गई है। लोग बसना चाहते हैं लेकिन सरकार की नीति की वजह से कोई बस नहीं रहा है। सरकार की तो अगर कोई कारखाने वगैरह की प्लान होती है तो वह पहले से बनती है, एस्टीमेट बनता है, रुपया मंजूर होता है और आज अगर कोई प्लान मंजूर हो तो वह ६५ में जाकर कहीं कार्यान्वित होती है। लेकिन अगर किसी आदमी ने आज ४ पैसे इकट्ठा कर लिये और वह चाहता है कि गाजियाबाद में एक छोटी सी वर्कशाप लगा लें और अगर वह काम उसका नहीं होता है तो उसका जोश खत्म हो जाता है।

[श्री तेजासिंह]

पहले ६ मास नक्शे में लगें और फिर इतना ही समय सामान मिलने में लगे तो जो आदमी का जोश है, जो उत्साह है वह काम करने का खत्म हो जाता है और फिर वह काम होना मुश्किल हो जाता है।

(इस समय २ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

इस वक्त जब हमारे देश और हमारे प्रान्त में हम इंडस्ट्रिलाइजेशन करना चाहते हैं और देश में प्लान पीरियड चल रहा है तो इस वक्त अगर कोई अपनी इंडस्ट्री कायम कर लेता है तो वह पक्के पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कामयाब होगा। लेकिन अगर कोई यह पीरियड खो बैठता है तो फिर यह मौका नसीब हो या न हो कुछ पता नहीं। अगर आज कोई एक कारखाना खोल लेता है एंजिन बनाने का और दो साल बेच लेता है और बाद में अगर स्लम्प भी आ जाता है तो बजाय एंजिन बनाने के कुछ और कर लेगा। मगर इस वक्त अगर रोक दिया जाय तो जो काम बढ़ रहा है गाजियाबाद में उसको धक्का लगेगा।

हालांकि मकान बनाने की इजाजत नहीं है, जो वहां इंचार्ज हैं वह कुछ हमदर्दी से कानूनों को लागू कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, उन्हें खुद पता नहीं है कि कहां तक उन्हें सख्ती करनी है। मेरा खयाल है कि अगर आप वहां से खबर मंगवाएं तो मालूम होगा कि एक हफ्ते में एक नई वर्कशाप जरूर खुल जाती है। वह भवन में खुले या टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर में खुले, लेकिन एक वर्कशाप छोटी मोटी जरूर खुल जाती है, क्योंकि इस वक्त वहां एंजिनों की बिक्री बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो अधिकारी हैं उनको थोड़ी सी हिदायत करें कि खासकर जब कोई वर्कशाप लगाना चाहे तो उसमें ज्यादा सख्ती से काम न करें। इसमें वर्कशाप लगाने वाले का भी फायदा है, वह अपनी रोजी कमाने के लिये करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें देश की भी भलाई है। वर्कशाप लगती है उसमें कुछ कारीगर और मजदूर काम करते हैं और कुछ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो जो छोटी-छोटी वर्कशाप लगाने की बात है---बड़े कारखानों की बात मैं नहीं कहता जो कि एटमासफियर को दूषित करें, उनको तो चाहे रोका जाय---लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से कोई एक-दो खराद लगा लेता है। अगर उन पर सख्ती की जाय तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा।

इसमें भी ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनकी वजह से काम हो सकता है। जो पहले बोर्ड में मेम्बर थे उसमें एक टाउन प्लानर साहब थे जिन्हें तमाम यू० पी० का काम देखना होता था, एक कमिश्नर साहब थे और एक कलेक्टर साहब थे। रुकावट यह थी कि कलेक्टर साहब को टाइम है तो कमिश्नर साहब को नहीं और उनको है तो टाउन प्लानर साहब को नहीं है। मैं समझता हूं कि रूल्स नहीं बने। उसकी वजह यह है कि वे इकट्ठे बैठकर तय न कर सके। इन अमेन्डमेंट्स से मैं समझता हूं कि पहले से ज्यादा तेजी से काम होने लगेगा।

गाजियाबाद के सिलसिले में एक रुकावट यह भी है कि एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। दो साल हो गये उसको मुकम्मिल नहीं कर पाये हैं। किसी को पता नहीं कि हमको कहां मकान और वर्कशाप बनाने हैं और कब बनाने हैं। इसलिये उस प्लान को भी जल्दी से जल्दी मैटिरियेलाइज किया जाय। रोक लेना किसी काम को तो आसान है, लेकिन उसको फिर चालू करना यह एक बड़ी मुश्किल बात है। वह प्लान बनते-बनते दो साल तो हो गये हैं, लेकिन वह लोगों के सामने नहीं आया है। मैंने सुना है कि किसी हद तक वह मुकम्मिल हो चुका है, लेकिन अभी लोगों के सामने नहीं आया तो उस मास्टर प्लान को जल्दी से जल्दी बनवा कर लोगों को बतलाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि कहां हम कारखाना बनावें और कहां न बनावें। और जब तक सरकार अपना मास्टर प्लान मुकम्मल नहीं करती और कारखाने वालों को जमीन एक्वायर करके नहीं देती है तब तक इन छोटे-मोटे काम करने वालों को न रोका जाय। गाजियाबाद में पिछले ५ साल से इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाया जा रहा है, लेकिन वह आज तक हवा

में है, कोई प्रैक्टिकल शेप उसको नहीं दी गयी। वह इंडस्ट्रियल टाउन है और पंडित जी तक उसकी तारीफ कर चुके हैं लेकिन हमारी सरकार इंडस्ट्रियल स्टेट की वहां घोषणा नहीं कर सकी है। एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी है इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने के लिये। २ हजार रुपये एक शेयर की कीमत रखी गयी है। लेकिन उसके पास कोई जमीन नहीं है, फिर भी ढाई लाख रुपये उसका सरमाया हो गया है। एक महीने के अन्दर इतना अधिक लोग वहां रुपया इंवेस्ट करने के लिये ख्वाहिशमन्द हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई रूपरेखा नहीं बतलाई गयी है।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि मास्टर प्लान वहां जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। वह जो ९ मेम्बर्स का बोर्ड बन रहा है उसे भी जल्दी से जल्दी बनाया जाय। बोर्ड की तरफ से प्रेसीडेंट कलेक्टर ही है और आज भी कलेक्टर हैं। वैसे वह काफी सूझबूझ से काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर्स देना अच्छा नहीं है। इस बोर्ड को मुकम्मल करके नानआफिशियल मेम्बर्स को लिया जाय और जब तक यह नहीं होता तब तक छोटे-मोटे कारीगरों को काम करने दिया जाय और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाय। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वे वापस लें ताकि यह काम जल्दी ही शुरू हो जाय और जो रुकावट उसकी वर्किंग में हो रही है वह खत्म हो जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो विधेयक प्रस्तुत है और उस पर माननीय मोतीलाल अवस्थी ने प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। काफी देर से मैं इस विधेयक से सम्बन्धित पक्ष और विपक्ष में भाषणों को सुन रहा हूं। बार-बार यह कहा जाता है कि एक बहुत साधारण सा यह संशोधन विधेयक है, इसको हमें जल्दी से पास कर देना चाहिये और प्रवर समिति में भेज कर समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जिस संशोधन को साधारण सा संशोधन बतला रहे हैं वह गरीब नागरिकों के लिये जीवनमरण का प्रश्न बन जायगा। आज इस प्रदेश में जब कि निवास-स्थानों की बड़ी कमी है, करोड़ों लोग महल का तो क्या झोपड़ियों के लिये भी तरस रहे हैं, ऐसे समय में किसी अधिकारी को यह अधिकार दे देना कि उसकी आज्ञा के बिना जिन भवनों का निर्माण कर लिया जाय, पुनर्निर्माण कर लिया जाय, या महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लिया जाय तो उस अधिकारी को अधिकार होगा कि उस मकान को धराशायी करा दे और भवन निर्माताओं को खुले आकाश के नीचे धरती पर सोने के लिये विवश होना पड़े। इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है ?

जिस समय १९५८ में यह विधेयक पारित हो रहा था उस समय भी मैंने इस पर अपने विचार प्रकट किये थे। मैंने इसका स्वागत किया था और कहा था कि जिस तरह से शरीर के सफल संचालन के लिये उसकी नसों में रक्त संचार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार किसी नगर की सफाई के लिये उसके मल, मूत्र, पानी आदि को निकालने के लिये ड्रेनेज और रोड्स की आवश्यकता है। योजनाबद्ध मकान बनें और लोग जो जहां चाहते हैं, ऊंचे या नीचे में मकान बना लेते हैं, ऐसे अनियन्त्रित मकानों का बनाना रोकना आवश्यकीय है। योजनाबद्ध मकान तथा उचित मार्ग और ड्रेनेज बनाने के लिये ही नये निर्माण-कार्यों के लिये उस समय प्रतिबन्ध लगाया गया था। लेकिन उस ऐक्ट की धारा १८ में यह साफ लिखा हुआ था कि किसी भवन के रखरखाव, सुधार अथवा अन्य किसी परिवर्तन के निमित्त ऐसे निर्माण-कार्य का किया जाना जिससे केवल भवन के भीतरी भाग पर ही प्रभाव पड़ता हो अथवा उस भवन के बाहरी रूप पर, महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो इस विधेयक की धारायें लागू नहीं होंगी। किन-किन मकानों व निर्माण कार्यों पर यह लागू होगा, इस तरह की कई उपधारायें उसमें जुड़ी हुई हैं। उस समय यह निश्चित हो गया था कि नये मकानों के निर्माण को रोकने के लिये तो यह

[श्री जगन्नाथ लहरी]

विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन मकानों के अन्दर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाय या पुनर्निर्माण किया जाय तो उस पर यह लागू नहीं होगा। मगर आज दो वर्ष के उपरान्त मन्त्री महोदय ने पुनः सदन के सम्मुख जो यह संशोधन पेश किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा १० की तीसरी पंक्ति के शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन" रख दिये जायं और चौथी पंक्ति में दोनों स्थानों से शब्द "निर्माण" निकाल दिया जाय और सातवीं पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण, पुनर्निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन "रख दिये जायं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निर्माण कार्य के लिये आपने एक प्रतिबन्ध लगाया था, लेकिन आज इस संशोधन द्वारा, जिसको इस सदन में बार बार मासूम कह कर दुहाई दी जा रही है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है ? मैं धारा १० को भी आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"यदि धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके जिसके अधीन अनुज्ञा दी गयी हो किसी भवन का निर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण पूर्ण हो चुका हो तो नियत प्राधिकारी किसी ऐसे अभियोजन के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निविष्ट किया जाय यह आज्ञा दे सकता है कि उसका स्वामी ऐसे निर्माण को ऐसी अवधि के भीतर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय और जो किसी दशा में दो मास से अधिक न होगी, गिरा दे और स्वामी द्वारा आज्ञा का पालन न किये जाने पर नियत प्राधिकारी उसे स्वयं गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवाने का व्यय उसके स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा जैसे कि मालगुजारी का बकाया वसूल किया जाता है।"

इसमें साफ लिखा हुआ है कि निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण पूरा हो चुका हो, प्राधिकारी मकान मालिक को यह आज्ञा देगा कि वह उसे गिरा दे और यदि उसकी आज्ञा के दो मास के भीतर निर्माता उस मकान को जिसका निर्माण पूरा हो चुका है या पूरा होना बाकी है नहीं गिरवा देता तो नियन्त्रित अधिकारी को अधिकार होगा कि वह वहां जाकर उसको गिरवा दे और उस मकान के गिराने में जो भी खर्चा होगा वह मालगुजारी की तरह से उससे वसूल किया जायगा। आज हमारा मकान नियंत्रित अधिकारी आज्ञा के अभाव में निर्माण हो गया, उसने उसे गिरा दिया, हमें बरबाद कर दिया, बेघरबार कर दिया और उसके बाद भी यदि हमारे शरीर पर कुछ वस्त्र या घर में बर्तन बाकी रह गये हैं तो उन्हें भी छीनने का अधिकार नियंत्रित अधिकारी को है कि उसको वह गिराने के व्यय के रूप में मालगुजारी की तरह वसूल कर ले। अभी तक तो निर्माण कार्य के लिये आज्ञा दी थी लेकिन इस मासूम विधेयक के द्वारा एक मामूली संशोधन के जरिये यह अधिकार भी पहुंच जाता है, चाहे उसकी आज्ञा के द्वारा ही मकान निर्मित किया गया हो लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्शन हो, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हों (यहां पर महत्वपूर्ण परिवर्तन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है) या मामूली परिवर्तन ही क्यों न हों, उदाहरण के लिये मकान बनाते समय उस व्यक्ति ने रोशनदान या जंगलों को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन जब उसके पास पैसा हो गया तो वह सोचता है कि उसे खुली हवा की जरूरत है और उसने कुछ दीवारों को तुड़वाकर जंगल रोशनदान लगवा लिये तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जायगा और उसके मकान का नक्शा ही बदल जायगा और उसका मकान दूसरा ही दिखने लगेगा। ऐसी हालत में उसको गिरवाया जा सकता है और गिरवाने का खर्चा उससे मालगुजारी की तरह से वसूल किया जा सकता है।

धारा १० में निर्माण कार्य को रोकने के लिये अधिकार दिये गये हैं और धारा १८ में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिये जहां हमें छूट मिली हुई थी, आज इसके द्वारा जनता से वह छूट वापस ली जा रही है और इस नियंत्रित अधिकारी को तानाशाही अधिकार दिये जा रहे हैं कि जिस तरह से चाहे वह जनता के साथ खिलवाड़ करे। इस नियंत्रित एरिया में रहने वाले

नागरिकों के मकान तथा उनके जीवन उस नियंत्रित अधिकारी की दया पर हैं और वह कह सकता है कि मेरी दया पर ही आप जीवित हैं और मेरी दया के साथ ही आपका मकान और आप जीवित रह सकते हैं। जनतंत्र के अन्दर नागरिकों के सुधार की आड़ में किसी व्यक्ति को इस तरह अपरिमित अधिकार दे देना .....

श्री अध्यक्ष---आप जरा अपना भाषण रोक दीजिये। अभी सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जनतंत्र के युग में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किसी अधिकारी को इस तरह के विशेषाधिकार सौंपकर, जनता की पीठ में छुरा भोंकने का कोई अधिकर हमें नहीं है। आज हम लोग यहां पर जनता के प्रतिनिधि व रक्षक के रूप में उपस्थित हैं और हम लोग जनता के भक्षक नहीं हैं। आज जिन लोगों के ऊपर या जिनके भवनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा यद्यपि उन्हें इस विधेयक के बनाते समय इस सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को बोलने का जो अधिकार प्राप्त है और उनके प्रतिनिधियों ने जनता के ऊपर आने वाली विपत्ति के समय यदि अपने मुंहको बन्द रखा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई दूसरा विश्वासघात नहीं हो सकता।

मास्टर प्लान का जिक्र किया गया। फीरोजाबाद नगर, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं वहां पर भी कुछ दिनों पूर्व मास्टर प्लान की स्कीम लागू की गयी है। टाउन प्लानर का आफिस खुल चुका है, लेकिन जनता के मकानों को बनाने के लिए, निर्माण-कार्य करने के लिए जो प्रार्थना-पत्र दिये जा रहे हैं वह नगरपालिका में दिये जाते हैं। परन्तु अब नगरपालिका के भवनों के नकशे पास करने तथा आज्ञा देने का अधिकार नहीं रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र नगरपालिका द्वारा स्थानीय तहसीलदार के यहां भेज देते हैं। तहसीलदार जिलाधीश के यहां भेज देते हैं। जिलाधीश टाउन प्लानर के यहां भेज देते हैं। लेकिन अभी तक जनता के लोगों को, उनके भवन निर्माण की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। बिना किसी आज्ञा के मकान बन रहे हैं अमीरों के जो बड़े-बड़े आलीशान मकान बन रहे हैं उनको रोकने के लिए टाउन प्लानर और नगरपालिका तथा तहसील के कर्मचारी नहीं जाते, लेकिन वह गरीब मजदूर जिसने चन्द पैसे अपना पेट काट कर इकट्ठा करके अपने रहने के लिए दो एक कमरे का मकान बना रहा है उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है तथा निर्माण-कार्य रोकने पहुंच जाते हैं। टाउन प्लानर की एक आज्ञा है, अजीब सी आज्ञा है कि, फीरोजाबाद नगरपालिका के भीतर किसी भी ऐसे मकान की आज्ञा नहीं दी जा सकती जिसका क्षेत्रफल ६० × ६० यानी ३,६०० स्क्वायर फीट से कम हो। फीरोजाबाद नगर के अन्दर मामूली से मामूली, अगर बाउंड्रीज पर जगह तलाश की जाय तो भी एक रुपया स्क्वायर फुट से कम नहीं मिलती है। नगरपालिका की सीमा के भीतर तीन-चार रुपया स्क्वायर फुट में जमीन मिलती है। अगर एक रुपया स्क्वायर फुट भी जमीन का दाम मान लिया जाय तो टाउन प्लानर की नयी आज्ञा के अनुसार मकान की जमीन खरीदने के लिए कम से कम ३,६०० रु० चाहिए। "न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेंगी"। आप खुल्लमखुल्ला क्यों नहीं ऐलान कर देते कि इस प्रदेश की गरीब जनता को, किसान और मजदूर जनता को जीने का कोई अधिकार नहीं है? यदि उसके पास कुबेर का खजाना नहीं है, तो वह इस प्रदेश में कोई मकान नहीं बना सकेगा। ३६ सौ रुपया जमीन के लिए चाहिए और फिर टाउन प्लानर के नकशे के अनुसार मकान बनाने के लिए ३,६०० के आगे एक दो सिफर और बढ़ा दीजिये, तब इंगलैण्ड और अमेरिका की तरह मकान बन सकेगा। जनता के सुधार के नाम पर यह इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? यदि आपको जनता के साथ हमदर्दी है तो कम से कम टाउन प्लानर से यह तो पूछिये कि इस कानून में कहां लिखा है कि ३६ सौ स्क्वायर फीट से कम जमीन पर कोई मकान नहीं बन सकता? क्या आप बता सकते

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हैं कि आप लोगों ने जो लेबर कालोनी और अफसरों के लिए क्वार्टर्स बनाये हैं, हम लोगों के रहने के लिए जो भवन बनाये हैं, उनका रकबा ३,६०० स्क्वायर फीट से कम नहीं है ? किसी का रकबा एक हजार फीट है, किसी का बारह सौ फीट है और किसी का सोलह सौ फीट है। जहां पर लेबर कालोनी है वहां पर एक हजार स्क्वायर फीट में मकान बन सकता है, लेकिन अगर गरीब जनता अपनी संचित कमाई से कोई मकान बनाना चाहे तो ३,६०० स्क्वायर फीट से कम पर आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये हैं टाउन प्लानर की डिक्टेटरशिप के कारनामे। इसलिए मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम जल्दबाजी में इस संशोधन को न करके एक बार मोतीलाल श्रवस्थी जी द्वारा प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करें। कम से कम इस बात की जांच कर ली जाय कि किस प्रकार के कारनामे नियत अधिकारी कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक नयी बात लायी जा रही है। उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट, जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा कोई भाग स्थित हो, आप मेम्बर बनायेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट को, जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को समाप्त हुए इस प्रदेश में दो वर्ष के करीब होने को आये, हमारे इस प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नाम की कोई संस्था अब शेष नहीं रह गई। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्रियाकलाप की कार्यवाही माननीय मंत्री महोदय, आपके आने से पूर्व ही हो चुकी है। उसका आज कोई नामोनिशां बाकी नहीं रहा। आज उसी का प्रेसीडेंट जो बोर्ड बनाया जायगा उसका सदस्य होगा। कितना अच्छा खिलवाड़ है ? जब कानून लागू होगा तो फिर आप सदन के सामने संशोधन लायेंगे और कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह पर जिला परिषद् रख दिया जाय। लेकिन जिला परिषद् रखने के लिए भी आप तैयार क्यों होंगे ? यह कुछ पता नहीं इस प्रदेश की सरकार अब इस प्रदेश की जनता को, इस जिले की जनता को जिला परिषद् के चुनावों का अधिकार कभी देगी भी या नहीं। सन् ४८ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों की बात टल रही है, समय समय पर टलती रही, ५२ में टली, ५७ में विश्वास दिलाया गया, फिर यह कहा गया कि कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण संशोधन करके संशोधित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बनाया गया। लेकिन चुनाव कराने का प्रश्न जब आया तो उसे समाप्त करके अन्तरिम जिला परिषदें आ गईं। उनका समय खत्म हो गया। फिर ६ महीने की मियाद बढ़ाई गई और फिर अभी दिसम्बर तक की मियाद बढ़ाई गई है। जो जिला परिषद् विधेयक है वह एक प्रवर समिति के सुपुर्द था। कुछ समय पूर्व बताया गया कि उसका भाग्य अभी अधर में लटक रहा है और सरकार उसे वापस लेना चाहती है। फिर कोई दूसरा विधेयक आयेगा। तो आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त हो गए हैं। अन्तरिम जिला परिषदें चल रही हैं। जिला परिषदों का कुछ पता नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट आपके इस बोर्ड के सदस्य होंगे। पता नहीं क्या मृतक आत्माओं को आप लायेंगे या क्या करेंगे ! आपका यह कानून खामियों की वजह से जब रद्द होगा, फिर आप संशोधन के लिए भागे आयेंगे सदन के सामने।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। नवीं धारा में कुछ नये संशोधन लाये जा रहे हैं। जब यह मूल अधिनियम बना था सन् ५८ में उस समय जनता को इस नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार था और नक्शे वगैरह मांगने का अधिकार था। उस समय उस पुराने कानून में कहीं भी जनता से शुल्क वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज एक नया संशोधन आ रहा है। वह संशोधन इस तरह से है--

"इस अधिनियम की धारा ५ और १४ में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इसकी धारा ७(१) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र पर, लेख्यों तथा मानचित्रों आदि की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना-पत्र पर तथा अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत अपील के ज्ञापन पर शुल्क लगाना।"

तो आप इसके द्वारा एक नया टैक्सेशन भी करने जा रहे हैं और अदालतों की तरफ से जनता की हर दरख्वास्त पर, हर तरह की दरख्वास्त पर आप एक टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन आप यह जो शुल्क वसूल करेंगे इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की कि उसकी सीमा कहां तक होगी और अपरिमित सीमा वाले शुल्क के लिए कहा नहीं जा सकता है कि जनता के ऊपर वह टैक्स किस रूप में और किस भारी संख्या में आकर पड़े। तो इस मासूम संशोधन के जरिये जहां कांस्ट्रक्शन और रीकांस्ट्रक्शन तथा आलटरेशन (constructions, re-construction and alteration) के लिए आप रोक लगा रहे हैं वहां प्रार्थना-पत्रों आदि पर एक नया टैक्स भी लादने के लिए जा रहे हैं। तो टैक्सेशन का एक नया मार्ग आप इस मामूली संशोधन के जरिये खोल रहे हैं जो कि आपने पहले नहीं बतलाया। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे इस प्रदेश के संचालन के लिए जो इस बजट अधिवेशन में बजट बन रहा था, ३१ मार्च तक बजट पर विवाद चला था, लेकिन बजट में एक भी इस तरह की कोई व्याख्या आपने नहीं की। कभी भी आपने इस तरह का इशारा नहीं किया कि हम नगर निर्माण कार्य विनियमन विधेयक के जरिये जनता के ऊपर कोई नया टैक्स लादने के लिए जा रहे हैं, जिससे सरकार को इतने रुपये की आमदनी होगी जिससे कम से कम हम लोग सचेत हो जाते। आप घोषणा करते हैं कि इस प्रदेश की सरकार अब कोई भी नया टैक्स नहीं लादने जा रही है। लेकिन जैसे ही बजट समाप्त होता है आप विधेयक में संशोधन के जरिये जनता के ऊपर तरह-तरह के टैक्स लाद देते हैं और आज यह संशोधन विधेयक जनता के ऊपर दूसरा टैक्स लादने के लिये लाया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बजट के समय यह सरकार क्यों चुप रह जाती है? यदि सचमुच उसको टैक्स लगाना है तो बजट अधिवेशन के समय केन्द्रीय सरकार की तरह से इस बात की घोषणा करे कि फलां-फलां मद पर नया टैक्स लादने के लिये जा रहे हैं। उस समय हमारे मंत्री महोदय मौन साधे रहते हैं। कैबिनेट के भीतर से ढोल पीट कर यह घोषणा की जाती है कि हमारी सरकार अब प्रदेश के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लादने जा रही है, लेकिन उसके बाद नया टैक्स लाद दिया जाता है। गत वर्ष भी मोटर टैक्स बढ़ाया गया। सिनेमा के मनोरंजन पर कर बढ़ाया गया। रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाया गया और अनेक टैक्सों में परिवर्तन करके करोड़ों रुपये की आमदनी बजट के बाद सरकार ने की। मैं कहता हूं कि इस तरह से निर्माण कार्य विनियमन विधेयक के जरिये से, जिस तानाशाही अधिकार को यह सरकार एक अधिकारी के लिये ले रही है, उसके जरिये से करोड़ों रुपये की आमदनी करने का यह ख्वाब देख रही है। तभी जनता की पीठ में यह छुरा भोंकने की तैयारी की जा रही है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से यह सदन से निवेदन करूंगा कि इस समय यहां से तिवारी जी चले गये, जो अवस्थी जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे कि उनको जोर से बोलने की आदत है और समाचारपत्रों में अवस्थी जी अपना नाम छपवाना चाहते हैं जिससे उनके क्षेत्र की जनता यह जान जाय कि उनका नाम आ गया। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक तौर पर मोतीलाल जी अवस्थी जनता के प्रतिनिधि हैं। वह जनता की बात सदन के सामने रखना चाहते हैं। वह मौन नहीं रहना चाहते हैं। अवस्थी जी सही माने में जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस संशोधन के जरिये से हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मैं अवस्थी जी को बार-बार इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रवर समिति ने भेजने के लिये संशोधन पेश किया। इस संशोधन को अगर वह न रखते तो शायद हम लोगों को इस पर विचार करने का अवसर न मिलता और बहुत जल्दी में मंत्री महोदय इसको पास करा लेते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक बार पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में सभी राजनीतिक पार्टियां तानाशाही को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं, क्योंकि जनतंत्र तभी कायम रह सकता है। अगर जनतन्त्र को जीवित रखना है तो तानाशाही को समाप्त करना पड़ेगा। हमारी सरकार के द्वारा ही इसको बढ़ावा मिले, इससे बढ़कर और खेद की बात नहीं हो सकती।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आइये, जल्द बाजी में इस विधेयक को पास करने की कृपा मत कीजिये। एक बार पुनः इस संशोधन विधेयक को विचार करने के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये जिससे जन प्रतिनिधियों को सही रूप में इसको पढ़ने और समझने का अवसर मिल सके।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने, जो संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। यहां इस बिल पर जो संशोधन आये हैं अगर उनको ही देख लिया जाय तो उसी से यह जाहिर हो जाता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ माननीय अवस्थी जी ने ही तीन संशोधन रखे हैं जिनका निपटारा आसानी से यहां पर हो सकता है। उन संशोधन पर विचार करने के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है और जो समझते हैं कि बगैर प्रवर समिति में गये हुये यहां पर उसका निर्णय नहीं हो सकता है, उन्होंने यह तकलीफ गवारा नहीं की कि इसके बारे में कोई संशोधन देते। उस वक्त यह आवश्यकता प्रकट कर देते कि प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

अब जहां तक प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता के लिये जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं थोड़े शब्दों में उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो इसमें नियंत्रक प्राधिकारी के कांस्टीटयूशन के बारे में एतराज किया गया है और एतराज ऐसा है कि जिसका दूसरे एक माननीय सदस्य विरोध करते हैं, यद्यपि दोनों ही यह कहना चाहते हैं कि यह बड़ा अन्याय हो रहा है और इस तरह की बात करके सारा अधिकार छीना जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगरपालिका के प्रेसीडेंट का इसमें रखा जाना आवश्यक था, लेकिन जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें उनका रखा जाना आवश्यक नहीं रह गया है। "शैल" की जगह पर शब्द "मे" कर दिया गया है। तो एक तो एतराज यह था और अभी जो अन्त में वक्ता महोदय बोले, उनका एतराज इसके खिलाफ था कि यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंटों को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। जो बोर्ड इतने पुराने हो चुके हैं उनको फिर क्यों लाया जा रहा है? यह बात समझ में नहीं आयी कि एक माननीय सदस्य तो चाहते हैं कि उनका रखा जाना आवश्यक है और दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका रखा जाना किसी तरह से भी आवश्यक नहीं है।

जिला परिषदों के चुनाव की बात जो कही गयी कि उनके चुनाव में देरी क्यों की जा रही है और जनता की बात को रोका जा रहा है उसके लिये मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि उस सम्बन्ध में विरोधी दलों के नेताओं से आपस में सलाह मशविरा करने का और थोड़ा काम और करने का काम बाकी रह गया था। माननीय विरोधी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है और मैं समझता हूं कि उनकी सलाह के हिसाब से जल्दी ही व्यवस्था हो जायगी। खयाल तो ऐसा है कि शायद जो यह अन्तरिम जिला परिषद् की व्यवस्था है उसमें भी कोई तब्दीली करने की जरूरत न हो। सरकार की यह नीयत नहीं है कि उसे बेकार में रोक रखा जाय। हम चाहते हैं कि उसमें जल्दी हो, लेकिन जब जिलों के सम्बन्ध में एक ऐसा व्यापक विधेयक बनने जा रहा है जिसमें वहां के नकशे को ही हम बदल देना चाहते हैं तो उस पर जहां तक हो सके अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वहां के लिये जितनी भी जरूरी चीजें हैं वह सब उसमें रख दी जायं। एक तरफ तो कहा जाता है कि जल्दी में विधेयक पास करा लिये जाते हैं और फिर बाद में संशोधन लाये जाते हैं और जनता का पैसा नष्ट किया जाता है और अगर विचार करने के लिये किसी विधेयक में थोड़ी देर होती है और विरोधी दल के नेताओं से मशविरा या जाता है कि

देरी क्यों की जा रही है, जल्दी क्यों नहीं की जा रही है। यह दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं और दोनों को करना संभव नहीं है जिस विधेयक में जितने समय की जरूरत होती है उसे उतना समय दिया जाता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि वह ठीक से, जल्दी से पास हो। जानबूझ कर किसी में देरी नहीं की जाती या ऐसी जल्दी नहीं की जाती कि कोई गलती रह जाय और उसमें फिर दुबारा संशोधन लाना पड़े।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—१२ साल से इस पर विचार हो रहा है।

श्री जयराम वर्मा—इतना होते हुए भी विरोधी दल के नेताओं का कहना है कि अन्तरिम व्यवस्था में किसी प्रकार की तब्दीली की आवश्यकता नहीं है। जो तरमीम की जाय उसके बाद एलेक्शन हो जायंगे वह काफी होगा और इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है।

तो माननीय अवस्थी जी का एतराज नियत प्राधिकारी के संगठन के बारे में यह था कि जनता के अधिकार को छीना जा रहा है, हम केन्द्रीयकरण की तरफ जा रहे हैं, विकेन्द्रीकरण की तरफ से हटते जा रहे हैं। हर बार, हर जगह विकेन्द्रीकरण और केन्द्रीयकरण की बात कह कर यह साबित करने की कोशिश करना कि सरकार केन्द्रीयकरण ही चाहती है, विकेन्द्रीकरण नहीं चाहती, कुछ ज्यादा न्याय की बात नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो, जनता के हाथ में अधिकार पहुंचे, लेकिन उसमें इतनी तेजी नहीं हो सकती कि काम में कोई गड़बड़ी हो जाय और बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाय। यह अधिनियम जो बनाया गया था वह विनियमित क्षेत्रों में जो अव्यवस्थित और अनियोजित निर्माण हो रहे हैं उनको नियमित करने के लिये था, उनको व्यवस्था में लाया जायगा जिससे कि हमारी जो बढ़ती हुई आवश्यकतायें हैं वह पूरी हो सकें और वह अव्यवस्था इतनी न बढ़ जाय कि जिससे हमारा नुकसान हो जाय। उसी के लिये यह अधिनियम बना था। दो वर्ष काम करने के बाद उसमें कुछ कठिनाइयां महसूस हुईं और उनको दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है, ताकि माननीय सदन का जो आदेश है उसको पूरा करने में देरी न हो। माननीय अवस्थी जी ने शुरू-शुरू में बोलते हुये इस विधेयक को प्रगतिशील बताया और यह कहा कि इस विधेयक की आवश्यकता थी, लेकिन कहते कहते वे दूसरी तरफ चले गये और उसके खिलाफ कहने लगे। तो अगर १५ मिनट के बीच में ही एक बात कह कर फिर दूसरी बात उसके खिलाफ कही जाय तो उस पर हमारा अधिकार नहीं है, माननीय वक्ताओं का अपना अधिकार है कि वे जो चाहे कहें। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि हम अधिकारों को छीन रहे हैं। इसमें इस बात की जरूर व्यवस्था है कि नियन्त्रक प्राधिकारी के सदस्यों की संख्या जो निश्चित नहीं की थी, इसमें निश्चित कर दी गयी है। पहले वह लगभग ८ थी और अब ९ से अधिक नहीं होगी। यह बात सही है कि जहां उसमें कुछ लोगों को रखने की पाबन्दी थी, अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह किया गया है कि यह पाबन्दी न रहे। जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट को, नगरपालिका के प्रेसीडेंट को रखा जाना पहले अनिवार्य था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत महसूस की गयी और यह सोच कर कि शायद उन शब्दों को रखने से कोई और दिक्कत पैदा हो यह परिवर्तन किया गया। हम यह नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नागरपालिका का प्रेसीडेंट न रखा जाय, वह रखा जाय, लेकिन उन शब्दों के प्रयोग से दिक्कत हो रही थी, इसलिये इसको बदल कर "शैल" से "मे" ("Shall से May") कर दिया गया है।

मैं दूसरी ओर माननीय अवस्थी जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले इसमें ऐसा था कि नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

"स्थानीय निकायों के कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा

[श्री जयराम वर्मा]

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो। एक तो यह थे और दूसरे राज्य सरकार के ५ नामांकी जिसमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार के टाउन प्लानर अथवा उसके नामांकित होंगे। फिर उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो, और

उस म्युनिसिपैलटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो।"

तो यह सब हैं। यह सम्भव है कि किसी विनियमित क्षेत्र में कई जिलों को थोड़ा-थोड़ा क्षेत्र उसमें हो। ऐसी दशा में हर जिले का प्रेसीडेंट उसमें रखा जाय, यह करना जरूरी हो गया। अगर इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाता है तो यह नियंत्रक प्राधिकारी एक बड़ी बाडी हो जाती है और फिर उसका चलना सम्भव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये कि कोई उसमें रख दिया जायेगा, इसके लिये शब्द "Shall" के स्थान पर शब्द "May" कर दिया गया है। "ग" में लिखा है कि "उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो" इसमें ऐसी बात हो सकती है कि किसी विनियमित क्षेत्र का थोड़ा सा कई नगरपालिकाओं में हिस्सा आ जाय। इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी नोटिफाइड एरिया हो उसका प्रेसीडेंट "शैल" के हिसाब से जरूरी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कई नगरपालिकायें या नोटिफाइड एरियाज हैं तो सबका रखा जाना सम्भव नहीं है। इसीलिये इसमें शब्द "शैल" की जगह पर शब्द "मे" कर दिया गया है।

इसमें एक शिकायत यह की गयी है कि टाउन प्लानर मीटिंगों में नहीं पहुंच सकते हैं उनको इसमें क्यों रखा गया है? काम में कोई दिक्कत न हो इसलिये ऐसे ही अधिकारियों को रखा जाय जिनका रखा जाना जरूरी हो और जो मीटिंगों में आसानी से पहुंच सकें ताकि काम जल्दी से हो सके। इसीलिये इस व्यवस्था को किया गया है।

माननीय तेजा सिंह जी देरी की शिकायत कर रहे थे कि गाजियाबाद में देरी हो रही है। उसको दूर करने के लिये तो यह संशोधन विधेयक है। हां, जो रेगुलेशन्स और डाइरेक्शंस बनाने में देरी हुई है उसके लिये दुख है लेकिन वे भी तैयार हैं। वे जल्दी ही लागू हो जायेंगे। अब इसमें कोई आगे देर नहीं होने वाली है और इस बात की कोशिश की जायगी कि वहां का निर्माण कार्य जल्द हो सके।

दूसरी शिकायत उनकी टोलटैक्स के बारे में थी कि जहां पर ६ रुपये टैक्स था वहां ६ सौ रुपये हो गया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि ६ की जगह ६ सौ हुआ या नहीं लेकिन उनकी शिकायत जो है। जो टोलटैक्स की दरें आयी थीं उनको हमने जब देखा तो हमने पसन्द नहीं किया और उनको फिर से जांच करके और ठीक करके भेजने के लिये वापस कर दिया। हमने कहा है कि जो मडेल दरें बनायी गयी हैं उनको देख कर के ही वे संशोधन करें। वह उसको कर रहे होंगे, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने एतराजात मांगे हों, वह उनको देख करके सरकार के पास भेजेंगे और तब उसको देख कर स्वीकृति दी जायगी। इसीलिये उनसे कहा गया है कि अलीगढ़ में जो दरें हैं उनको देख कर वे संशोधन करें।

कुछ एतराज इस बात का किया गया कि धारा १० में ऐसे सशोधन कर दिये गये हैं जिनसे लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इस अधिनियम की धारा ५ में ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई क्षेत्र विनियमित प्रख्यापित हो तो उस प्रख्यापन के दिनांक से २ वर्ष के अन्दर नियंत्रक प्राधिकारी कुछ आदेश जारी करेंगे वहां के निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में और सड़कों के सम्बन्ध में। इसके अतिरिक्त धारा ६ में यह व्यवस्था है कि आगे जो निर्माण-कार्य होगा वह अनुज्ञा लेकर होगा, लेकिन अगर वह अनुज्ञा नहीं लेते हैं और कार्य को शुरू

कर दिया हो, कर रहे हों या पूरा कर लिये हों, और आज्ञा न लिये हों तो फिर अगर उसका वह मकान गिराया न जाय या उसकी व्यवस्था न की जाय तो फिर यह नियम चलेगा कैसे जो व्यवस्था हम चाहते हैं वह कैसे चल सकेगी ?

एक एतराज यह भी है कि अगर कोई नया निर्माण का कार्य हो रहा हो और नकशे के खिलाफ हो रहा हो तभी गिराया जाय लेकिन अगर पुनःनिर्माण है या मैटीरियल चेंज किया है तो उस पर लागू नहीं होना चाहिये, लेकिन पुनर्निर्माण का भी वही असर पड़ सकता है जो निर्माण का पड़ सकता है और मैटीरियल चेंज का भी जो बिल्डिंग्ज पर होता है, इतना असर पड़ सकता है। अतः जिस दृष्टिकोण से यह अधिनियम बनाया गया है उस परपज को ही वह डिफीट कर सकता है। इसीलिये इसी दृष्टि से पुनर्निर्माण और मैटीरियल चेंज के शब्द भी रखे गये हैं।

एक शंका यह की गयी है कि शब्द "मैटीरियल चेंज" तो रख दिया गया है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गयी है कि मैटीरियल चेंज क्या होगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि जिन माननीय सदस्यों ने यह बात कही है उन्होंने इस अधिनियम को पढ़ा ही नहीं। इसमें एक लम्बी व्याख्या मेटीरियल चेन्ज की की गई है और अगर इतनी लम्बी व्याख्या करने के बाद भी वह न देख सकें और उसको न पढ़ सकें तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, उनकी ही गलती है। इसमें मैटीरियल चेंज की पूरी व्याख्या कर दी गई है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें अर्थ का अनर्थ कर दिया जाय या कोई दूसरी बात कर दी जाय। निर्माण के स्थान पर पुनर्निर्माण और इस तरह के जो दूसरे परिवर्तन किये गये हैं वह इस दृष्टि से किये गये हैं कि जो सचमुच विनियमन हम करना चाहते हैं वह उसी के अनुरूप हो सकें और उनमें देरी न हो।

इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन अनुज्ञा देने या न देने के सम्बन्ध में धारा १५ (२) में अपील की गुंजायश की गई है। अब इस संशोधन विधेयक द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि धारा १० के अन्दर जो मकान गिराने की आज्ञा दी जाय उसके बारे में वह अपील कर सकेंगे। मैं नहीं समझता इसमें कोई शिकायत होनी चाहिये क्योंकि यह तो एक अधिकार दिया गया है। अगर मकान गिराने की आज्ञा हो तो उसकी भी अपील की जा सकती है। उनकी भी बात सुन ली जायगी और उस पर फैसला हो जायगा। यह तो एक प्रकार सुविधा बढ़ाई गई है, कोई सुविधा में कमी नहीं की गई है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा। साथ ही साथ अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापिस ले लें और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो संशोधन दिये हैं उन पर यहां विचार हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह में प्रस्तुत कर देवें। यह समिति अपनी परिधि भी बढ़ा सकेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० (The Uttar Pradesh (Regulation of Building operations) Amendment Bill, 1960, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ का खण्ड (ग) निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में —

(क) वर्तमान उपधारा (२) क स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(२) उपधारा (२-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित नौ से अनधिक सदस्य होंगे ,अर्थात्—

(क) सचिव, स्वायत्त शासन ,या उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद परगना (सब-डिवीजनल) मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो, जो सभापति भी होगा ;

(ख) राज्य सरकार के नामांकी (nominees) जिनमें अन्य के साथ निम्नांकित भी हो सकते हैं ।

(१) उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो;

(२) उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेन्ट, जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विनियमित क्षेत्र एक से अधिक स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर हो तो नियंत्रक-प्राधिकारी ऐसे स्थानीय निकाय/निकायों के किसी किन्हीं अन्य, प्रेसीडेन्ट/प्रेसीडेन्टों को अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है ।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रेसीडेण्ट" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी होगा जो यथास्थिति यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् ऐक्ट १९२२ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट,१९१६ के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडेन्ट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो ।"

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२-क) में बढ़ा दिया गया :—

("२-क) नियंत्रक प्राधिकारी को एक या दो अन्य व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में अनुयुक्त करने का अधिकार होगा ।"

(ग) उपधारा (५) निकाल दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आप कृपा करके अपना एक-एक संशोधन ५-५ मिनट में पेश कर दें क्योंकि विधेयक साढ़े चार बजे तक खत्म होना है ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन इस प्रकार रख रहा हूं। खंड ३ के उपखंड (क) में परिवर्तित रूप के उपखंड (२) (ख) की पंक्ति २ में अन्तिम शब्द 'सकते हैं' के स्थान पर शब्द 'गे' रख दिया जावे ।

क्या मैं इस खंड का दूसरा संशोधन प्रस्तुत कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—कर दीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) में परिवर्तित रूप के उपखंड (२) (ख) (२) की पहली पंक्ति में शब्द "एरिया" व शब्द 'यदि' के बीच शब्द 'पंचायत' बढ़ा दिये जावें ।

श्रीमन् खंड ३ के सम्बन्ध में मेरे दो संशोधन हैं, जिनका मूल अर्थ यह है कि पहले जो नियन्त्रक प्राधिकारी था और अब जो हो रहा है उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन सरकार ने कर दिया है। पहले मैं यह बात बता चुका हूं कि इसके सम्बन्ध में उपमंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ । उन्होंने मेरे मूलभूत भाव को नहीं समझा और तर्कना द्वारा ही अपनी बात स्पष्ट करने की उन्होंने कोशिश की . . .

इस खंड ३ में नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति है और यही नियंत्रक प्राधिकारी अन्त तक सभी बातों का निर्णय करेगा । यह सर्वोच्च संस्था होगी । पहले इसका जो निर्माण था वह कुछ न कुछ विकेन्द्रित रूप में था लेकिन अब उसको सेन्ट्रेलाइज्ड रूप दे दिया गया है। पहले इसका रूप था जो धारा में बताया गया था कि नियंत्रक प्राधिकारी में एक तो डिवीजनल कमिश्नर रहेगा । ४ उसके नामिनीज रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स के एक-एक प्रतिनिधि रहेंगे और उसमें शब्द यह हैं कि इस प्रकार की चीज होगी। लेकिन अब जो शब्द है उसमें यह है कि डिवीजनल कमिश्नर के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नामांकित होंगे जिनमें अन्य के साथ इनका भी नामांकन हो सकता है। अब सरकार के लिये यह पाबंदी नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के नुमायंदों को ले ही। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने केन्द्रीयकरण करने का यह गलत रास्ता क्यों अपनाया है ? जो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने दिया वह विचित्र प्रकार का था। उन्होंने जो काम बताये उनको भी मैंने ध्यान से सुना । कल तक उसने जो काम किये उनको दुहराया गया और यह भी भासित किया कि इसमें जो कुछ असफलता होगी वह येनकेन प्रकारेण विपक्ष के कंधों पर डाली जायगी । अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल कर वे अपने चेहरे को बचा लेना चाहते हैं। लेकिन जनता अब सजग है। वह जानती है कि यह सरकार स्वशासन में कोई भी नयी बात लाना नहीं चाहती । जो कुछ भी प्रयास वह कर रहे हैं उसको भी हम भली भांति जानते हैं । अपने प्रयास से उन्होंने ऐसा जाल बनाया है जैसा मकड़ा बनाता है। लेकिन उस जाल में मकड़ा खुद ही फंस जाता है। आज उसमें स्वशासन की संथाओं में नवजीवन देने की शक्ति नहीं है और न चुनाव कराने की शक्ति है तभी वे ८ साल पुराने चले आ रहे हैं। अब सरकार विरोध पक्ष से सुझाव मांगती है और जो सुझाव दिये जाते हैं वह उनको ग्राह्य नहीं होते । जैसा वह करेंगे वैसा उसके सामने आयेगा ।

श्री अध्यक्ष —सामान्य विवाद खत्म हो चुका है। आप संशोधन तक ही सीमित रहें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा आधार विकेन्द्रीकरण का है और मेरा संशोधन भी विकेन्द्रीकरण के आधार पर आधारित है । यह स्पष्ट है कि बोर्ड के जो नियंत्रक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

प्राधिकारी बनें उसमें निर्वाचन पद्धति से आये हुए लोग हों। मैं चाहता हूं उसमें सरकार को कुछ बाध्यता हो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि उसमें रहें और उसके साथ साथ म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा ग्राम पंचायत, जिसका भी क्षेत्र आता हो, उसके प्रतिनिधि भी उसमें अनिवार्य रूप से रहें। पहले ७ थे अब ९ कर दिये गये हैं। अभी भी बहुत गुंजाइश है। अगर वह क्षेत्र एक से अधिक संख्या के क्षेत्र में पड़ता है तो एक से अधिक भी उसमें बढ़ाया जा सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोआप्शन का भी आपने उसमें अधिकार रखा है। (२-क) में लिखा हुआ है कि "नियंत्रक प्राधिकारी को एक या दो अन्य व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में अनुयुक्त करने का अधिकार होगा।" यानी ९ और २--११ का एक बोर्ड बन सकता है। ऐसी हालत में कि एक या दो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को आप उसमें ले सकते हैं। यह तो होगा नहीं कि दस पांच म्युनिसिपल बोर्ड्स या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का क्षेत्र हो, एक या दो के ही ऐसे क्षेत्र होंगे। इसी तरह से ग्राम पंचायतों में से भी आप दो एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को ले सकते हैं। यह चीज तभी हो सकती है जब कि हमारे संशोधन को मान लिया जाय कि अनिवार्य रूप से उनको लेना होगा। अगर हमारा यह संशोधन नहीं माना जाता तो मैं यही समझूंगा कि सरकार यों तो विकेन्द्रीकरण की बड़ी-बड़ी बातें ऊपर से करती है लेकिन जब वास्तविक रूप में उसका वक्त आता है तो उससे मुकर जाती है। ये जो निर्माण-कार्य हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकती है। ये स्वायत्त संस्थाओं के काम हैं कि वे निर्माण का कार्य करें, लेकिन सरकार यह भी नहीं चाहती कि अपने निर्माण-कार्य को भी ये स्वायत्त संस्थायें स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। वहां भी सरकार अपनी राय सर्वोपरि रखने के ऊपर ही सोचती है। मैं तो यहां तक मिसाल रखता हूं कि पूर्व धारा में यह है कि राज्य सरकार के ४ नामांकी होंगे जिनमें से एक टाउन प्लानर या उनका एक नामांकी होगा। अब सरकार टाउन प्लानर जैसे विशेषज्ञ को भी उसमें नहीं रखना चाहिती है। जब सरकार को अपने विशेषज्ञों पर ही विश्वास नहीं है तो सरकार के ऊपर मैं लांछना लगाना चाहता हूं कि सरकार तो यह चाहती है कि जो हमारे चापलूस हों, चाटुकार और पक्ष के हों उनको ही उसमें रखा जाय। जब सरकार अपने विशेषज्ञों को भी उसमें नहीं लेना चाहती है तो मैं उस बोर्ड से क्या आशा करूं? आगे चलकर आप देखेंगे कि यह जो बोर्ड बना है, नियंत्रक प्राधिकारी ही सारे विधेयक में छाया हुआ है। वही बनाने वाला और वही बिगाड़ने वाला है। जितने भी काम होंगे सब उसी की स्वीकृति से होंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो दंड देने वाला वही होगा, उसी के यहां अपील होगी। इस तरह से आप देखेंगे कि जिस रूप में यह संशोधन बिल रखा गया है उसी रूल में इसे पास करते हैं तो सारा बिल कमजोर सा बन सकता है। क्योंकि यह जो बोर्ड बनेगा एक तरह से उसमें सब सरकारी आदमी ही होंगे। उसमें कोई जनता का आदमी या प्रतिनिध नहीं होगा।

अगर इसी तरह से बोर्ड बनता है जैसा कि सरकार चाहती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। बहुमत का यही काम है कि वह अल्पमत की बात सुन कर समझदारी से, बुद्धिमानी से अपनी राय को बदल दे, लेकिन अगर बहुमत अधिक संख्या में होने की वजह से ही अल्पमत की सही बात को भी नहीं मानता तो अल्पमत के होने के कोई माने नहीं होते। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से वह विकेन्द्रीकरण करने वाली अपनी नीति से स्वयं पीछे हटती है और अपनी ही मूल नीति का विरोध करती है, जब आप मुझसे अपने संशोधन को वापस लेने के लिये कहते हैं।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही क्यों ऐसी तरमीमात की गयीं, इसको स्पष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन माननीय अवस्थी जी उस पर भी सन्तोष नहीं कर रहे हैं। जहां तक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरियाज का संबंध

है उनको कहीं पर हटाया नहीं गया है। सिर्फ यहकर दिया गया है कि जहां उनका होना अनिवार्य था, उस लफज को हटा कर उसकी जगह पर 'हो सकते हैं' ऐसा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम उनको रखेंगे ही नहीं।

लेकिन जो कठिनाई बताई कि ऐसा हो सकता है कि वह विनियमित क्षेत्र कई जिला बोर्डों के क्षेत्र में आता हो और उस दशा में फिर हर जिला बोर्ड का प्रतिनिधित्व करना पड़ता। इसी तरह से कई नगरपालिकाओं का विनियमित क्षेत्र से संलग्न होना या उनके अन्दर विनियमित क्षेत्र के किसी भाग का होना सम्भव हो सकता है और उनका प्रतिनिधित्व भी हर एक का जरूरी हो जाता। इसलिये इस अनिवार्यता को हटाया गया है और 'हो सकते हैं' रखा गया है और 'होंगे' को हटाया गया है। इससे वह दिक्कत न होगी और जिनका रखना जरूरी होगा केवल उन्हीं को रखा जायगा। इसी दिक्कत को दूर करने के लिये ऐसा किया जा रहा है।

टाउन प्लानर को भी उसमें अनिवार्य रूप से न रखने की बात यह है कि दिक्कत यह होती थी कि उनका रहना सब जगह अगर जरूरी कर दिया जाय तो वह हर जगह समय पर पहुंच भी नहीं सकते, एक वक्त में वह दूसरे कामों में भी लगे रहते हैं। अब वह हर एक जगह न पहुंच सकेंगे तो उनके स्थान में दूसरे अधिकारी रखे जा सकते हैं और इस तरह से काम भी डिले न होगा और जो उनकी हाजिरी जरूरी थी वह दिक्कत भी चली जायगी। इसी दृष्टि से अनिवार्य रूप से रखने के बजाय ऐसी व्यवस्था की गई है कि आसानी से काम हो सके और अधिकारियों को रखने में एक फ्रीडम हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की बात सुनने के बाद सरकार पर सीधे-सीधे लांछन लगाता हूं कि जब भी कोई संशोधन लाया जाता है तो उसकी मुखालफत की जाती है। क्या सरकार ने इस बात में कभी कोई दिक्कत महसूस की कि जहां यह शब्द थे 'कि रक्खे जायंगे' जिनके द्वारा रखना अनिवार्य था उसमें क्या हर्ज था? क्यों वह अनिवार्य के बन्धन को तोड़ कर इसको स्वेच्छित बना रहे हैं? टाउन प्लानर के बारे में भी उन्होंने दिक्कत बताई कि इतने ज्यादा निकाय हैं कि वहां उनका सब जगह पचहुंना मुमकिन नहीं है। कौन सी ऐसी दस पांच की तादाद क्षेत्रों की होगी, मुश्किल से कहीं २—३ होंगे जहां वह पहुंच ही सकते हैं। आप ११ का बोर्ड बना रहे हैं ९ के साथ २ तो को-आप्ट होंगे (२—क) में लिखा है कि नियंत्रक प्राधिकारी को एक या दो अन्य व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में अनुयुक्त करने का अधिकार होगा। इस तरह से ९ वह और २ यह ११ होंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि पहले जो स्थिति थी वही रखी जाय। उसमें क्या दिक्कत है और जो पहले अच्छी चीज थी उसको क्यों अस्वीकार करते हैं? जो चीज पहले अनिवार्य थी उसको हटाने की क्या आवश्यकता है, क्या अड़चन है उसको रखने में यह वह नहीं बता सके, जो दलील उन्होंने दी वह लचर है और कहीं टिकती नहीं। यह कोई संशोधन नहीं है बल्कि धन का और समय का अपव्यय है, जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अभी साल भर पहले यह मूल अधिनियम आया था और अब फिर उस में संशोधन लाने की जरूरत हो गई और जो इतना लचर, कमजोर और अनावश्यक है। यह बिलकुल अन्धेर है कि इस तरह के बिल ला कर समय बरबाद किया जाता है। इससे साबित होता है कि उनके सोचने की शक्ति कितनी कमजोर है कि वह इसके कोई ठीक कारण तक न बता सके कि क्यों यह संशोधन आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि.....

श्री जयराम वर्मा—मैं जरा एक विषय में कुछ सफाई करना चाहता हूं ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मैं तो अब राय ले रहा हूं, आप बाद में उठें।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) में परिवर्तित रूप के उपखंड (२) (ख) की पंक्ति २ में अन्तिम शब्द "सकते हैं" के स्थान पर शब्द "गे" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) में परिवर्तित रूप के उपखंड (२) ख (२) की पहली पंक्ति में शब्द "एरिया" व शब्द "यदि" के बीच शब्द "पंचायत" बढ़ा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ६ तथा ७ का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की धारा ६ और धारा ७ की उपधारा (४) के प्रतिबंधात्मक खंड में शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ८-क तथा ८-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"८-क---नियत प्राधिकारी, राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, अपने सभी या किन्हीं अधिकारों और कृत्यों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।"

"८-ख---नियत प्राधिकारी, नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए---

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही निविष्ट कर सकता है, उसका प्रतिवाद कर सकता है या उसे वापस ले सकता है;

(ख) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम अथवा प्रचारित किसी आदेश के अधीन अपराध का अभिसंधान (Compund) कर सकता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।"

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड ५ में वर्णित मूल अधिनियम की धारा ८-क के अन्तिम भाग में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे—

"किन्तु यह अधिकारी या प्राधिकारी किसी भी हालत में परगना (सब-डिवीजन) मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हों।"

श्रीमन्, यह मूल अधिनियम की धारा ८ के सम्बन्ध में है। उसके पहले मूल अधिनियम की धारा ५ गुजर चुकी है उससे इसका सम्बन्ध है . . . .

श्री अध्यक्ष—मूल अधिनियम की धारा ५ में तो आप नहीं ला रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसका हवाला दे रहा हूं। जो हमारा खंड ५ है इसमें मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् ८-क जोड़ी जा रही है जिसमें यह है कि नियत प्राधिकारी, राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, अपने सभी या किन्हीं अधिकारों और कृत्यों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है। फिर इसके बाद ८-ख में यह जोड़ा गया है कि क्या-क्या कार्य करेगा।

मैं थोड़ा सा यह बता देना चाहता हूं कि वह नियंत्रक अधिकारी क्या-क्या अधिकार रखता है जो कि एक नियुक्त प्राधिकारी को देकर उसके द्वारा कार्य कराएगा। उसमें यह लिखा है कि नियंत्रक प्राधिकारी किसी स्थल का भवनों के निर्माण के निमित्त टुकड़ों में विभाजन तथा वह रीति जिसके अनुसार ये टुकड़े भावी क्रेताओं अथवा पट्टेदारों को प्रविष्ट किये जायं, सड़कों खुली जगहों, उद्यानों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि की प्रविष्टि अथवा संरक्षण, किसी स्थल का नगरी अथवा उपनिवेश के रूप में विकास तथा वे निरोध एवं प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास कार्य आरम्भ किया जाय अथवा संपादित हो.....

श्री अध्यक्ष—यह आप क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह बता रहा था कि इस नियंत्रक प्राधिकारी को सभी अधिकार दिये हुए हैं जो कि इतने लम्बे हैं कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी अधिकार उसको हैं और वह सभी अधिकार नियुक्त प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये जा रहे हैं। तो एक इतना वास्ट पावर है जो कि नियंत्रक प्राधिकारी के पास था आप वह किसी को दे दें इस बात के कहने में शंका पैदा होती है। किन अधिकारियों को दें या किन अधिकारों को दें यह नहीं बतलाया गया और यह इसमें खामी है। कितने नियत अधिकारी होंगे और किस-किस श्रेणी के होंगे यह यहां पर स्पष्ट नहीं है। अन्य विधेयकों में इन अधिकारियों की सूची रहती है जिनसे जान सकते हैं कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अधिकारी कौन होता है, उसकी योग्यता को भी हम जान सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है "अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को" तो हम चपरासी को या क्लर्क को भी ले सकते हैं और उसको अपने अधिकार दे सकते हैं और परिभाषा में वह अधिकारी रखा जा सकता है, ये जो खंड ५ में वास्ट पावर्स दी गयी हैं। इसके अलावा खंड ८ में भी काफी अधिकार दिये गये हैं किसी भूमि में जाकर जांच करने के, निरीक्षण करने के . . . .

श्री अध्यक्ष—आप यह चाहते हैं कि वह अधिकारी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से कम का न हो। इतना जिम्मेदार क्यों होना चाहिये यह पहले आप स्पष्ट कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कितनी ऊंची जिम्मेदारी है यही मैं बतला रहा हूं जिस जिम्मेदारी का बैलेंस बिगड़ जाने से जनता पर कितना अन्याय हो सकता है। यह अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ऐसा नहीं है कि किसी भी अधिकारी को दिया जा सके या प्राधिकारी को दिया जा सके। इसमें नियंत्रक अधिकारी जो है वह ३, ४ बातें अपने हाथ में रखता है। एक तो जब किसी को प्रार्थना करनी है उसे वह स्वीकार करे या न करे। फिर भवनों में प्रवेश करने का अधिकार है और उसके लिये वह किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। फिर आगे १० में इन भवनों को गिराने का अधिकार है। ये तीन अधिकार जो धारा ७, ८ और १० में दिये गये हैं और इसके अलावा और भी अधिकार जगह ब जगह पर हैं इन सब अधिकारों का किसी भी अवस्था में उल्लंघन करने पर १ हजार रुपये तक जुर्माने की सजा है और ५०० रुपया जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से है और इसके साथ सजा भी दी जा सकती है। जब हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है और दंड की सजा भी दे सकता है तो उसके लिये अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिये। अगर प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होता है और उसकी किसी से दुश्मनी हो या उसको किसी से लालच हो तो बड़े मजे से वह बदला ले सकता है। सरकार जब इतने अधिकारों को दे तो जरा योग्य अधिकारियों को दे, उसकी परिभाषा बतला दे। बिना परिभाषा किये पावर डेलीगेट करना और अधिकारी नियत करना उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यही है कि प्राधिकारी को जब हम पावर्स डेलीगेट करते हैं तो वह इस योग्यता का होना चाहिये जो मैजिस्ट्रेट के पद से कम का नहीं होना चाहिये। यानी उसमें जुडीशियल कैपेसिटी हो और उसमें किसी चीज के बैलेन्स करने की वृत्ति हो। इन शब्दों से मैं चाहूंगा कि जो बीच की खामी है उसको सरकार पूरा करे और अपने कर्तव्य को निबाहे।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, जहां तक मैं समझ पाया माननीय अवस्थी जी नियत प्राधिकारी और नियन्त्रक प्राधिकारी में कुछ कन्फ्यूजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियत प्राधिकारी को इतना अधिकार क्यों दिया जा रहा है। यह सही है कि नियत प्राधिकारी को भी अधिकार है लेकिन ८ (क) में सिर्फ यह व्यवस्था की गयी है कि नियत प्राधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को अपने अधिकार ट्रांसफर कर सकेगा।

अब माननीय अवस्थी जी की यह आशंका कि चपरासी भी अधिकारी और प्राधिकारी की परिभाषा में आ जायेगा, मैं तो यह नहीं समझ पाता हूं कि चपरासी उसमें कैसे आ जायगा। वह कर्मचारी है लेकिन अधिकारी की डेफिनीशन में नहीं आयेगा। अब अवस्थी जी के कहने के अनुसार उसमें यह शर्त लगा देना कि वह सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से नीचे का अधिकारी नहीं होगा इसमें बहुत दिक्कत है इस वास्ते यह मैं नहीं मान सकता। नियन्त्रक प्राधिकारी का जो कांस्टीट्यूशन है उसमें यह है कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट नियन्त्रक प्राधिकारी का प्रेसीडेंट भी हो सकता है। तो जब नियन्त्रक प्राधिकारी का प्रेसीडेंट पद तक एस० डी० एम० को देने को तैयार हैं तो यह प्रतिबन्ध लगा देने से कि नियत प्राधिकारी उससे नीचे के पद के किसी अधिकारी को अपने अधिकार प्रतिनिहित नहीं कर सकेगा, बड़ी एनामली हो जायगी। इसलिये यह रख देना उचित नहीं होगा। हां, जो उनकी आशंका है कि चपरासी भी हो जायगा तो ऐसा नहीं होगा। नियमों में इसकी व्यवस्था होगी लेकिन यह शर्त लगाना किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा और इससे काम नहीं चल सकेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने जो कुछ कहा उसका जवाब तो हमारे मंत्री जी दे नहीं सके, सिर्फ मेरे एक लफ्ज को पकड़ लिया कि जो मैंने चपरासी कह दिया। लेकिन मैं उनको बहुत ठीक जवाब देना चाहता हूं। आपका ही बनाया हुआ एक्साइज ऐक्ट मौजूद है। उसमें आपने अधिकारी और कर्मचारी में गोलमाल बता कर इसी प्रकार के शब्द रखे हैं और वहां एक चपरासी को अधिकार दे रखा है कि किसी व्यक्ति की तलाशी ले कर, उसे डिटेन करके, उसको गिरफ्तार करके लाक-अप में ले जाय। रोज बड़े-बड़े प्रिंसिपल

और दूसरे लोग रोके जाते हैं और उनकी तलाशी ली ज ती है, मंत्री जी बच गये हों सफेद टोपी की वजह से तो बच गये हों, लेकिन बड़े-बड़े मैन आफ पोजीशन को चपरासी रोक कर उनसे कहता है कि हाथ ऊपर उठाओ और जेबों में हाथ डाल डाल कर देखता है यहां तक कि टुथ ब्रश तक देखता है। तो मुझ से आप क्या कहते हैं, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। जो हालत चपरासी करता है उसके आप भी भुक्तभोगी हुए होते तो आपके कान खड़े होते। यह करता है रोज चपरासी जिसको आपने प्राधिकारी बना रखा है। अगर इसमें भी आप उसे बना देंगे तो कौन-सा बड़ा ताज्जुब होगा। मैं तो भुक्तभोगी बैठा हूं। जरा-सा इशारा आप किसी एक्साइज इंस्पेक्टर को कर दें तो फौरन कहेगा कि टेंट दिखाओ। तो या तो साफ-साफ कहो कि हमारी गलती है। हाई कोर्ट से गलती निकलेगी तो आप मान लेंगे, अभी तो आप मानेंगे नहीं। अभी तो आप चन्द घंटों में पास करवा रहे हैं। इसलिये आप हमारी बात का जवाब न दें, अपनी गलती को मानें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में वर्णित मूल अधिनियम की धारा ८—क के अन्तिम भाग में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये—

"किन्तु यह अधिकारी या प्राधिकारी किसी भी हालत में परगना (सब-डिवीजन) मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६—९

६—मूल अधिनियम की धारा १० की— उ०प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १० का संशोधन।

(क) तीसरी पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण या पुनःनिर्माण अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन" रख दिये जायं और चौथी पंक्ति में दोनों स्थानों से शब्द "निर्माण" निकाल दिया जाय।

(ख) सातवीं पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण, पुनः निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन" रख दिये जायं।

(ग) प्रथम पंक्ति में शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

७—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) की प्रथम पंक्ति में आये हुए शब्द "की आज्ञा" के स्थान पर शब्द "अथवा धारा १० के अधीन किसी निर्माण को गिराने अथवा इस अधिनियम के अधीन दंड्य किसी अपराध का अभियोजन प्रारम्भ करने की आज्ञा" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १५ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १५—क के रूप में बढ़ा दिया जाय : राज्य सरकार का पुनरीक्षण का अधिकार।

"१५—क—राज्य सरकार, किसी भी समय स्वतः या तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर दी गई किसी आज्ञा या प्रचारित आदेश की वैधता अथवा उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है

और वह उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है या आदेश प्रचारित कर सकती है, जो वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

प्रार्थना-पत्रों आदि पर शुल्क लगाया जाना

९—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) में निम्नलिखित नये खंड (छछ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(छछ) इस अधिनियम की धारा ५ और १४ में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इसकी धारा ७ (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र पर, लेख्यों तथा मानचित्रों आदि की प्रतिलिपियों के लिये, प्रार्थना-पत्र पर तथा अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत अपील के ज्ञापन पर शुल्क लगाना।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित किया जाय:

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह कह रहा था कि हमारे पूर्व भाषण में मंत्री जी ने कहा कि आपने स्वयं कहा है कि इसके बहुत से अंश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छे हैं और यह उन्नतिशील है फिर आपने इसकी बुराई क्यों कर दी । जितने अंश इसके अच्छे थे उनकी मैंने तारीफ कर दी और मैं चाहता था कि यह सारे का सारा दुरुस्त हो जाय तो अच्छा है। लेकिन आपको ग्राह्य कहां है ? अगर हम अमृत देंगे तब भी आप अपना मुंह बन्द कर लेंगे क्योंकि विरोधी पक्ष वाले ने दिया है । आपका जहर भी अच्छा है लेकिन हमारा गुड़ भी अच्छा नहीं है । यह विधेयक विष से भरा हुआ है । अतएव मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh (Regulation of building operations) (Amendment) Bill, 1960.] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स, रजिस्ट्रेशन संशोधन, (विधेयक) १९६०

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० [The U. P. Nurses, Midwives, Assistant midwives and Health Visitor's Registration (Amendment) Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में शाब्दिक संशोधन हैं और यह एक बहुत ही छोटा-सा विधेयक है । अगर माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ेंगे तो उससे उनको भली प्रकार विदित हो जायगा कि इसमें शाब्दिक संशोधन ही किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से इस प्रदेश में आक्जीलरी नर्सेज मिडवाइफ के प्रशिक्षण की नई योजना जारी की गई है । इसके तहत में हमारे प्रदेश में अनेकों प्रशिक्षण केन्द्र खुल गये और उन केन्द्रों से सभी कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं। १९३४ के अधिनियम में इन कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्राविधान नहीं है । इसलिये इसमें संशोधन करके उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है । इसलिये मेरा सदन से अनुरोध है कि वह इस छोटे से अधिनियम जिसमें शाब्दिक संशोधन है, पर विचार करके पारित करने की कृपा करे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह मिडवाइव्ज रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक बहुत साधारण सा हमारे सामने है । शाब्दिक परिवर्तन है यह सही है । लेकिन इसके साथ सरकार की एक बड़ी हानिकारक प्रवृति बढ़ती जा रही है। वह प्रवृति यह है कि सरकार अपने पदों में अधिक विभेद करती चली जा रही है, जिससे वे व्यक्ति जो किसी संस्था में नौकर होते हैं उनके पदों में बड़ा अन्तर-सा दिखायी देता है । किसी भी सभ्य देश में किसी कार्य के लिये बहुत ज्यादा पदों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । पदों में जितनी कमी हो, जितने साधारण नाम हों, उतना ही अच्छा काम होता है । उतनी ही सहूलियत होती है । परन्तु सरकार ने इसमें नर्सेज , मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज, आग्जिलिरी मिडवाइव्ज, हेल्थ विजिटर्स, इतनी श्रेणियां एक ही काम के लिये, केवल थोड़ा-सा अन्तर होने पर, खोल रखी हैं। मोटे-तौर से परिचारिकाएं और धात्रियां दो ही वर्ग हैं । उनके लिये पांच-पांच नाम रखे हैं। उससे अच्छी परम्परा नहीं पड़ती । अच्छा होता कि मंत्री जी ऐसा विधेयक लाते जिसमें

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

इस भेद को मिटा कर दो ही वर्ग रखते। नर्सेज और मिडवाइव्ज के दो काम हैं, उन दो कामों को लेकर दो कैडर बना देते। अब जो पांच-पांच वर्ग बना दिये गये हैं उससे सिवा इसके कि उनमें मिथ्याभिमान की भावना बढ़े विभाग का कोई हित होने वाला नहीं है।

एक बात याद आ गयी। इंजीनियरिंग विभाग में ओवरसियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर, एग्जिक्युटिव इंजीनियर आदि कई पद हैं। एक बार एक इंजीनियर साहब के नौकर ने इंजीनियर साहब को बाबू जी, बाबू जी कहकर पुकारा। तो इंजीनियर साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मुझको जब बाबू कहता है तो ओवरसियर को क्या कहेगा तो एक अजीब भावना उठी कि जब ओवरसियर को बाबू कहा जाता है तो अगर इंजीनियर को साहब न कहा जाय तो उनका पद कम हो जायगा। वहां तो इंजीनियरिंग व देखरेख का काम है लेकिन यहां पर काम में थोड़ा-सा विभेद है, कोई ज्यादा विभेद है नहीं। एक नया कैडर ब्लाक डेवलपमेंन्ट में काम करने के लिये तैयार कर दिया। उसका नया नाम रखा। कानून बनाते समय यह देखना चाहिये कि वह कितना सीधा-सादा है, कितना कम विभेद है, कितने सहज रूप से सामान्य जन ग्रहण कर सकता है, जिससे उसको समझने में तकलीफ न हो। जिस देश में १२–१५ प्रतिशत लोग साधारण पढ़े-लिखे हों, वहां नाम सब अंग्रेजी में रखे गये। आग्जिलरी मिडवाइफ के लिये मैं भी सोचता रहा कि यह कैसे जुड़ गया? आग्जिलरी और असिस्टेंट में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। मंत्री जी ने कुछ बताया नहीं। सिर्फ यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने कोई बात कह दी है इसलिये इस सरकार को मक्षिका के स्थान पर मक्षिका रखना है।

श्री अध्यक्ष—फौज में आग्जिलरी फोर्स होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं समझता हूं कि असिस्टेंट में ही आग्जिलरी का सन्निवेश कर दिया जाना चाहिये था। सरकार ने एक नया दरजा कायम करके एक तो बाबू वाला झगड़ा पैदा कर दिया और दूसरे कानून को इतना टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया कि पांच-पांच दर्जे पैदा हो गए। तो मेरा अब यह सुझाव है—उस दिन हमें मालूम नहीं हो पाया—कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव रखा गया था, वह कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया और बीच में मैंने टोका नहीं इसलिये कि आप कहेंगे कि बीच में इंटरप्ट करते हो, तो हम समझ नहीं पाये, अन्यथा हम संशोधन देते कि इस बिल की परिधि बढ़ाकर या मूल रूप से कोई संशोधन लाकर इसका सुधार किया जाय। यह एक शाब्दिक संशोधन दिखाई पड़ता है लेकिन इससे प्रदेश पर बहुत काफी असर पड़ेगा, इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसको तो वह वापस ले लें और कोई ऐसी व्यवस्था अगर हो सके कि एक ही शब्द में इसको ला सकें तो अधिक अच्छा होगा और इस बिल को पास करने में आसानी होगी। असिस्टेन्ट मिडवाइफ और आक्जीलरी मिडवाइफ को सम्मिलित कर दिया जाय, एक ही में कर दिया जाय या असिस्टेन्ट मिडवाइफ ही आक्जीलरी मिडवाइफ को भी समझा जाय, इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाय तो अच्छा है। श्रीमन्, क्या समय हो गया?

श्री अध्यक्ष—बहुत संक्षेप में आप कहें क्योंकि और लोगों को भी बोलना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—दूसरी बात यह है कि सर्विस कंडीशन का इसमें सवाल है। कैडर जो बनेगा .....

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आपके सामने नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह हमने इसलिये कहा कि अलग दर्जा जब बनेगा, ...

श्री अध्यक्ष—वह तो बन चुका। लेकिन आप सर्विस कंडीशन की बात इसमें नहीं ला सकते।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि वह दर्जा समाप्त कर दिया जाय। तो फिर मैं श्रीमन्, इतना ही निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि उसमें कठिनाई होगी और पता नहीं वेतन-क्रम वगैरह जो है उसमें क्या अन्तर पड़े? इसलिये सरकार इसको एक ही शब्द में सन्निहित कर दे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ के मुताबिक विधेयक से संबंधित पत्र मांगने की जो शक्ति है इसके मुताबिक मैं कहना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि प्रशिक्षण की एक नयी योजना चालू की गई है और उसके लिये यह बिल लाना आवश्यक हुआ। तो अभी तक यह जानने को मिला कि वह केन्द्रीय सरकार की योजना थी, लेकिन उसके संबंध के कागजात हमको देखने को नहीं मिले और अभी ८, १० मिनट में यह बिल पास भी हो जायगा। तो कम से कम उस से संबंधित कागज तो टेबिल पर ले किये जाते या आज भी वह मुझे दे दें, इस वक्त भी दे दें। लेकिन वह दे नहीं पायेंगे क्योंकि उनके पास हैं नहीं वह जिन पर कि यह बिल आधारित है।

श्री अध्यक्ष—तो वह अपने भाषण में उसे एक्सप्लेन कर देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वह योजना हमें मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उससे कोई संबंध रजिस्ट्रेशन से है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उस नयी योजना से जो नया केडर बन रहा है, उसी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह उस पर आधारित नहीं है।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो सेवा परिचारिका का कार्य किया करती थी उनकी संख्या बहुत कम थी, उनकी संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एक नये पाठ्यक्रम का श्री गणेश किया। उत्तर प्रदेश में चार वर्ष का कोर्स नर्सेज का चला करता था। चार वर्ष की अवधि काफी लम्बी हुआ करती है और मिडवाइव्ज का एक कोर्स चला करता था जो कि साल भर का हुआ करता था। .....

श्री अध्यक्ष—अवस्थी जी, आप सुन लें, वह बतला रहे हैं। वह वैद्य हैं, उनको ज्यादा इसके बारे में मालूम है।

श्री मदनगोपाल वैद्य—लेकिन फिर भी जितनी संख्या परिचारिकाओं की आवश्यक थी उतनी पूरी नहीं हुआ करती थी। इसमें पहले एट्थ क्लास पास लड़कियों को लिया जाता था। तो गवर्नमेन्ट ने यह सोचा कि कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिये कि जिससे अधिक संख्या उनकी इसमें हो सके। तो उसके लिये एक तो उन्होंने प्रवेश योग्यता को कम करने की बात सोची। आक्जीलरी मिडवाइव्ज की प्रवेश योग्यता कम होती है। सिक्स्थ क्लास पास ही वह ले ली जाती है। गवर्नमेन्ट ने सोचा कि कम योग्यता की लड़कियों को ही भर्ती करेंगे तो ज्यादा मिल जायेंगी और दूसरे यह भी था कि उन्होंने यह भी कोशिश की कि हम अगर लड़कियों की प्रवेश उम्र को बढ़ा दें तो भी वह ज्यादा संख्या में मिल सकती हैं। इसलिये उन्होंने १८ से ३५ वर्ष तक की लड़कियों को प्रवेश की अनुमति दे दी।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

इसके अलावा गवर्नमेन्ट ने एक और अच्छा तरीका सोचा कि नर्स की ट्रेनिंग के लिये ७२ और ८० रुपया वजीफा देना पड़ता है तो एक बीच की श्रेणी कायम करके कम रुपये में काम चलाने की बात सोची और उनको ४० रुपये के लगभग वजीफा दिया जाता है। इस तरह से कम पैसे में और ४ वर्ष के स्थान पर १।। या २ वर्ष के अन्दर शिक्षा देकर एक श्रेणी कायम करने का उन्होंने श्रीगणेश किया जिससे कि अधिक संख्या इसकी बढ़ सके। यह बात सरकार ने अच्छी सोची।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात तो सरकार ने सोची लेकिन इसके अन्दर भारतीय वातावरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आई हैं जिनको सोचा नहीं गया। इस कार्य के लिये काफी लड़कियां उपलब्ध हो सकती हैं लेकिन भारतीय वातावरण का ध्यान न रखने के कारण ऐसी लड़कियों का मिलना कठिन हो जाता है। पहले तो यह कठिनाई है कि जो लड़कियां ८ वीं पास करके भरती की जाती हैं या छठी पास करके आक्जीलरी के लिये भरती की जाती हैं उनके माता-पिता यह सोचते हैं कि अगर हम अपनी लड़की को आठवीं कक्षा के बाद नवीं या दसवीं कक्षा में पढ़ाते हैं तो वे घर पर रह सकती हैं किसी विभाग की तरफ से आपत्ति नहीं की जाती, लेकिन जब वे लड़कियां आक्जीलरी या दूसरी शिक्षा के लिये भरती के लिये आती हैं तो उनको मजबूर किया जाता है कि वे होस्टल में रहें। हिन्दुस्तान के अभिभावक ऐसा समझते हैं कि होस्टल का वातावरण अधिक अच्छा नहीं है। लखनऊ में तो यह रुकावट नहीं है लेकिन फैजाबाद में मैंने देखा है और दूसरी जगह भी ऐसे स्थान हो सकते हैं कि जहां पर उन लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वे होस्टल में रहें। यह भी है कि होस्टल में पीने के पानी का अच्छा प्रबन्ध नहीं है। शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था नहीं है और स्थान रहने का पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी उनको मजबूर किया जाता है कि वे होस्टल में रहें। मुझे फैजाबाद का एक केस मालूम है। फैजाबाद में भी एक सेन्टर है। वहां पर लड़कियों से कहा जाता है कि वे माता-पिता के साथ न रहें, होस्टल में रहें। तो इस प्रकार से एक भारतीय वातावण का खयाल नहीं रखा जाता है। अगर वे लड़कियां नवीं या दसवीं में पढ़ने के लिये स्कूल में जाती हैं तब तो अपने माता पिता के साथ रह सकती हैं लेकिन जब वे आक्जीलरी में भरती की जाती हैं तो उनको उनके माता पिता के साथ रहने में एतराज किया जाता है। यह शोचनीय स्थिति है। दूसरी व्यावहारिक कठिनाई यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर यह जो लड़कियां आती हैं यह गरीब घरों की आती हैं

श्री अध्यक्ष---आप विधेयक पर ही सीमित रहिये। इसको आप व्यापक कर रहे हैं।

श्री मदनगोपाल वैद्य---सरकार का उद्देश्य यह है कि इस कार्य के लिये अधिक संख्या में लड़कियां प्राप्त हो सकें। इसके लिये मैं एक कठिनाई का जिक्र करना चाहता हूं। ये लड़कियां गांव में रहती हैं और केवल ८ वीं पास करके आती हैं। यहां पर मेडिकल विभाग अपने स्टैंडर्ड से सोचता है कि यह जो लड़कियां आती हैं यह सब का छुआ खा सकती हैं। जिस तरह से यहां लोग रहते हैं उसी भावना से उनके लिये सोचते हैं। ये लड़कियां गांव से आती हैं तो उनकी भावना इस तरह की रहती है कि वे सब के साथ बैठकर नहीं खा सकती हैं। अभी कुछ लड़कियों ने इस बात पर एतराज किया था कि हम मांसाहारियों के साथ बैठकर नहीं खा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि आज इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ केसेज की तरफ आकर्षित करना

चाहता हूं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे ५, ६ मिडवाइफों के बारे में जानकारी है जो बहुत समय पहले पूर्वी पाकिस्तान से आकर बनारस में रही थीं। उनके एक केस के बारे में तो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वह १२ साल से काम कर रही है। वह पूर्वी पाकिस्तान की महिला शरणार्थी आई तो रामनगर में मिडवाइफ का काम करने लगी। उसके बाद जब रामनगर स्टेट राज्य में विलीन हो गई तो तब से वह पिंडरा अस्पताल में मिडवाइफ का काम कर रही है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे केसेज और भी हो सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि उनके बारे में इस विधेयक में क्या प्रबन्ध है? जो आपके विभाग में १२, १३ साल से मिडवाइफ का काम कर रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से ऐसी अड़चने हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उन के बारे में आप की क्या व्यवस्था है? मैं आप के द्वारा इसके लिए माननीय मन्त्री जी से सफाई चाहता हूं लेकिन यह जो संशोधन विधेयक उन्होंने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो उद्देश्य और कारण लिखे गये हैं उसको मैंने पूरा पढ़ डाला मगर न इसमें कहीं उद्देश्य मिला न कहीं कारण मिला। मेरी यह समझ में ही नहीं आया कि जो यह ६-७ लाइनें छापने की तकलीफ की गयी है वह क्यों की गयी है? इसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण की एक नयी योजना चालू की गयी है। सिर्फ इतना उद्देश्य और कारण इसमें नजर आया है। तो प्रशिक्षण की नयी योजना चालू की गयी, इसलिए यह बिल लाया गया है। इसमें संशोधन सिर्फ इतना ही है कि शब्द "एन्ड हेल्थ विजिटर्स" (And health visitors) को हटा दिया जाय और उस के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse, midwives and health visitors" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष---यह आप कहां से पढ़ रहे हैं। क्या आप के पास कोई दूसरी कापी तो नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं तो इसी काउन्टर से, श्रीमन्, लाया हूं और अगर यह गलत कापी है तो इस में मेरी कोई खता नहीं है। इस के उद्देश्य और कारण इस प्रकार लिखे हैं---"भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारिवर्ग के, जिसे आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज (सहायक उपचारिका धात्री वर्ग) कहा गया है, प्रशिक्षण की एक नयी योजना चालू की गयी है। यह प्रशिक्षण मिडवाइव्ज (धात्रियों) के प्रशिक्षण के स्थान पर दिया जा रहा है। यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज एन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में इन आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज की रजिस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। इस ऐक्ट में केवल नर्सेज (उपचारिकाओं), मिडवाइव्ज (धात्रियों), असिस्टेंट मिडवाइव्ज (सहायक धात्रियों) तथा हेल्थ विजिटर्स (स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं) की रजिस्ट्री की व्यवस्था है। चूंकि यह इष्टकर है कि आक्जीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज की भी रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाय, इसलिए उक्त ऐक्ट का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।"

सब से नीचे वाली धारा, मूल अधिनियम की, जो है धारा ३३ की है, १७वें आइटम में, उस में लिखा है कि उप-धारा (३) में जहां भी शब्द "And health visitors" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse, midwives and health visitors" रख दिये जायं।

इस सारे बिल में सब जगह यही संशोधन है। इस के अलावा और कोई संशोधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह जो धारा है, मैं समझता हूं कि इस में कुछ मिसप्रिन्ट है। जहां फुल-स्टाप है, वहां पर कामा शायद सही होगा। यानी हैल्थ विजिटर्स की जगह यह रख दिया जाय, ऐसा नहीं है। उनके स्थान पर जहां "हेल्थ विजिटर्स" आया है उस के बाद एक कामा होकर यह होना चाहिए। इस को यदि गलत हो तो दुरुस्त कर दिया जाय, यह प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। (श्री शिवप्रसाद नागर से), आप शब्दों को बहुत परखते हैं।

(हंसी)

श्री शिवप्रसाद नागर---ऐसी बात नहीं है। मैं कभी-कभी शब्दों की लड़ी को पिरोया करता हूं। जैसे माली को अपनी माला की लड़ी में फूलों की पहचान रहती है। मेरे शब्दों की पहचान वैसी ही है।

तो अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने आया है इसमें कुछ नहीं है। माननीय मदन गोपाल वैद्य जब बोलने लगे तो मूरि, मूसली, क्षतावर, पीपरि, मुरैठी, हल्दी की गांठ और न जाने सारी दवाओं का जिक्र कर डाला। लेकिन बात यह है कि ये शिकायत करना चाहते थे फैजाबाद के होस्टल की। वह वे माननीय मन्त्री जी के कमरे में जाकर नहीं कह सके, यहां मौका मिला तो कहने लगे। मेरी यह समझ में नहीं आया कि जब ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य वहां जाकर माननीय मन्त्री जी से कहते घबराते हैं, लेकिन उन को तो कुछ कहने के लिए इस बिल के सम्बन्ध में कहना था।

अब सब से बड़ा प्रश्न यह है कि इस बिल में जो संशोधन लाया गया है उस के लाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस लिए कि इस के ऊपर न कोई रिट ही हुआ है, और न वह अल्ट्रावायरस डिक्लेयर किया गया है। सिर्फ एक शब्द बढ़ गया है और उस डेजिग्नेशन के बढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी, उस के कोई अर्थ भी नहीं निकलते क्योंकि जब मैं तीन वर्ष का विधायक हो गया हूं और ठीक-ठीक इसका उच्चारण नहीं कर पाया तो जहां पर ये पुकारी जायेंगी, जिन माताओं और बहिनों को इनसे काम पड़ेगा और वे ठीक से उच्चारण नहीं कर पायेंगी तो फिर उनको जो काम करना भी होगा वह भी नहीं कर पायेंगी और इस के कारण उन को बजाय नफे के नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसमें जो लम्बा चौड़ा डेजिग्नेशन बना दिया गया है उस को सूक्ष्म और सुगम बनाया जाय जिस से हमारी ग्रामीण मातायें और बहनें सरलता के साथ पुकार सकती हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना लम्बा चौड़ा डेजिग्नेशन लखनऊ से लेकर बनारस तक जुड़ गया है इसको न रख कर के जैसे लखनऊ छोटा-सा नाम है जिस को हर देहाती और शहर वाला कह लेता है ऐसा ही डेजिग्नेशन छोटा-सा सरल-सा रहने देंगे जिससे हमारे देहात की मातायें और बहनें सरलता से पुकार सकें और अपने घर बुला सकें।

श्री बलदेव सिंह आर्य---अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें तो ऐसी कही गयी हैं जिन पर बिल में चर्चा ही नहीं है। अभी पिछले दिनों ही इस सदन ने बजट पास किया है। उस मौके पर वह चीजें यहां पर कही गयी हैं और उन पर कुछ उत्तर भी दिये गये हैं, सरकार की ओर से लेकिन इस विधेयक का तो उद्देश्य बहुत सीधा-सादा है। आक्जीलियरी नरसेज और मिडवाइव्ज जिनका कुछ उल्लेख श्री मदन गोपाल जी ने किया है कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवायें उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं इसलिए प्रशिक्षित कर्मचारिवर्ग की अपने प्रदेश की सेवाओं के लिए आवश्यकता है। इस लिए यह नयी योजना अपने प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है।

मुझे रामस्वरूप जी वर्मा का कथन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनको यह शिकायत है कि यह बहुत सारे नाम क्यों रखे गये हैं। यह एक साधारण सी बात है और मैं समझता हूं कि वह अच्छी तरह से जानते भी हैं कि जितने नाम इस विधेयक में रखे गये हैं उन सब के अलग अलग उनके कर्त्तव्य हैं, वे अलग अलग कार्यों को करते हैं इसलिए उन सब का नाम इस में आना आवश्यक है। इसीलिए आक्जीलियरी नर्सेज, मिडवाइव्ज को इस विधेयक में शामिल करने

की आवश्यकता पड़ी। जिससे उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सके और वे प्रदेश की सेवा में संलग्न हो सकें।

यहां पर ऊदल जी ने शिकायत की है कि बनारस में कोई मिडवाइफ हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यह उनका फर्ज था कि वे लिख कर के सरकार की नोटिस में ले आते और सरकार उस की जांच करती कि किस कारण से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तो बात ठीक थी लेकिन आज इस विधेयक के सिलसिले में उनको रजिस्ट्रेशन की शिकायत हुई।

श्री ऊदल--मैंने शिकायत नहीं की। कुछ पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई हैं उन के बारे में मैंने कहा था।

श्री बलदेवसिंह आर्य--हां, आप लिखकर भेज देंगे तो उस पर सरकार द्वारा अवश्य ही विचार किया जायगा। जो बहिनें मिडवाइफरी पास हैं और जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उन को स्वयं भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और अगर आप उनसे दरख्वास्त दिलवा देते तो अच्छा रहता।

अवस्थी जी ने एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह प्रशिक्षण की योजना के सम्बन्ध में कहने लगे...

श्री अध्यक्ष--वह बात तो खत्म हो गयी थी। वह प्वाइंट आफ आर्डर था जिस को मैंने नहीं मंजूर किया था।

श्री बलदेवसिंह आर्य--वैसे मैं उन से कहता हूं कि वे एक आध प्रशिक्षण के स्थान देख लेते तो उनके सामने पूरी योजना आ जाती। अधिक समय न लेकर मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को शीघ्र ही पारित करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १—१७

१--यह अधिनियम उ० प्र० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम।

२--यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के लम्बे शीर्षक में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ के लम्बे शीर्षक का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की प्रस्तावना का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १ का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २ का संशोधन।

५---मूल अधिनियम की धारा २ में :

(१) खण्ड (j) के अन्त में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय ;

(२) खण्ड (k) के अन्त में आये हुये फुलस्टाप के स्थान पर एक सेमीकोलन तथा शब्द "and" रख दिये जायं; और

(३) खण्ड (k) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (l) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(l) 'auxiliary nurse-midwife' means a person who holds a certificate in auxiliary nurse-midwifery from any institution recognized by the Council in this behalf."

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ४ का संशोधन।

६---मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (b) (v) में शब्द "and assistant midwives" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxliliary nurse-midwives and assistant midwives" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १७ का संशोधन।

७---मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन।

८---मूल अधिनियम की धारा १८ को :

(१) उपधारा (१) में :

(क) शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं, तथा

(ख) शब्द "or health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में शब्द "or health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं।

९--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा २० में शब्द "or health visitors" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २० का संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में: यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २१ का संशोधन।

(१) शब्द "or health visitors" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं; तथा

(२) जहां भी शब्द "or health visitors" आये हों, उन के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं।

१२--मूल अधिनियम की धारा २३ में: यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २३ का संशोधन।

(१) शब्द "and health visitor" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं;

(२) शब्द "or health visitors" के स्थान पर शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं; तथा

(३) शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

१३--मूल अधिनियम की धारा २६ में जहां भी शब्द "or health visitor" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायें। यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २६ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा २८ की: यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २८ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "and health visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं; तथा

(२) उपधारा (२) में जहां भी शब्द "or health visitors" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives or health visitors" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा २९ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "and healh visitors" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors' रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ३१ का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३१ में जहां भी शब्द "or health visitor" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "an auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४ की धारा ३३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ३३ की :

(१) उपधारा (२) में--

(क) जहां भी शब्द "and health visitors" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं ; तथा

(ख) शब्द "or health visitor" के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwife or health visitor" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (३) में जहां भी शब्द "and health visitors" आये हों, उन के स्थान पर एक कामा तथा शब्द "auxiliary nurse-midwives and health visitors" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड १ से लेकर खण्ड १७ तक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४।

कुछ प्रयोजनों के लिए यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने के लिए,

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९३४।

यह स्पष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिए यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस के बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ अप्रैल, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

रिहन्द बांध की डूब में आये ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम		क्षेत्रफल जो प्राप्त किया गया (एकड़ में)	क्रम संख्या	ग्रामों का नाम		क्षेत्रफल जो प्राप्त किया गया (एकड़ में)
१	बदुरा	..	८६४	१२	पथरौडा	..	१९१
२	पिपरी	..	२५६	१३	गजरी	..	४६२
३	पाथर खांड	..	८००	१४	डिघरी खुर्द	..	६६
४	लभरी	..	४८०	१५	मंगुरडीहा	..	१६
५	सेदूर	..	१,४०८	१६	मसौडा	..	१०
६	पंडरी	..	१,३१३	१७	चुरना	..	४६२
७	खैरी	..	१,४५८	१८	बिच्छी	..	६९
८	कुसडया	..	५८०	१९	विश्रामपुर	..	८९
९	बैरिया डीह	..	६५०				
१०	वेंगर	..	७८६		कुल योग	..	१०,३०९
११	कैनेला	..	३४९				

माताटीला बांध की डूब में आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	ग्राम		क्षेत्रफल जो डूब में आया	क्रम-संख्या	ग्राम		क्षेत्रफल जो डूब में आया
१	थाना	..	११८.००	१०	कोटरा	..	२६८६.९८
२	मदौना	..	८७७.८३	११	गूगर	..	१०६३.४८
३	मऊ	..	३१.६३	१२	बुधेरी	..	२६५.९८
४	राजपुर	..	२०१०.९८	१३	कुजंरपुरा	..	१८३.००
५	कपरैल खुर्द	..	१४०८.००	१४	बनगवां	..	१२३०.६१
६	बदौरा	..	८५.१०	१५	कप्रैल कलां	..	१०४२.००
७	रजाबन	..	११९०.६१				
८	धुरबारा	..	२०८.१०		योग	..	१२७४२.२७
९	म्यथो	..	३३९.९७				
					[१६ मुहकमा जंगलात की जमीन जो नोटिफाइड नहीं थी और जिसका लेखा गांवों की जमीन के साथ नहीं किया गया है बल्कि सीधे अलग से ली गयी है	..	७६६.८२
					कुल योग	..	१३५०९.०९

नत्थी 'ख'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१३ पर)

(अ) तहसील आगरा में निम्नलिखित ग्रामों से होकर जल विद्युत के तार जाते हैं:—
जोरावर, गेलना, सरायबाग, नगला अजीता, बोडला माफी, अमरपुर कहवारी, बिलासगढ़ी, नगला अखारी, बिचपुरी, जगरपुर, दयालबाग और स्वामी बाग।

(ब) आगरा तहसील में निम्नलिखित ग्रामों को कृषि और उद्योग के लिये विद्युत दी गई है:—

१—दयालबाग और स्वामी बाग	..	उद्योग तथा रोशनी व पंखों के लिये।
२—बोडला ..	..	उद्योग तथा कृषि।
३—बिचपुरी ..	..	उद्योग तथा कृषि।
४—जगरपुर ..	..	उद्योग तथा कृषि।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

अतरसन ड्रेन पर बनाये जाने वाले चार प्रस्तावित पुलों की सूची

निम्नलिखित स्थानों में अतरसन ड्रेन पर चार पुल प्रस्तावित हैं:—

(१) कदम पुलिया (फुट ब्रिज)—मील ११-३-३३० पर ग्राम अतरसन्ड की सीमा के पास।

(२) कदम पुलिया (फुट ब्रिज)—मील १२-१-१०० पर ग्राम अतरसन्ड के पास।

(३) ग्राम की सड़क पर पुल—मील ७-०-० पर ग्राम सकरी, कान्हूपुर, हरदोई और बारी की सीमा पर; और

(४) जिला बोर्ड की कच्ची सड़क पर पुल—मील ६-०-३३० पर ग्राम बारी के पास।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

तालाबों पर सुधार कार्यों की स्थिति निम्नलिखित है :—

उरवन ताल—स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अभी तक ८४,७०८ रु० व्यय हुआ है।

नत्थी खैरा—स्वीकृत योजना के अनुसार तालाबों की मरम्मत उसको १ १/२ फुट ऊंचा उठाना और पुरानी नहर की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु कृषकों के विरोध के कारण कोई नई नहर नहीं बनाई जा सकी है। इस योजना पर अभी तक १९,०१४ रु० व्यय हुआ है।

जमालपुर ताल—योजना का सर्वेक्षण हो चुका है और अब इसका पूरा तखमीना बनाया जा रहा है। इस योजना पर अभी तक कुछ व्यय नहीं हुआ है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग में गैंग मेट तथा कलेक्शन मेटों से निम्नलिखित कार्य लिया जाता है :—

गैंग मेट—(१) इनका मुख्य कार्य गैंग के काम की देखभाल (supervision) करना है।

(२) ये सड़क की देखभाल करते हैं, सड़क टूटने और पेड़ आदि गिरने पर रुकावट को दूर करते हैं। सड़क की दशा के विषय में आवश्यकतानुसार ओवरसियर को सूचना भी देते हैं।

(३) इसकी भी देख-रेख करते हैं कि कितना रोड मेटीरियल आया तथा भट्ठे ठीक लगे हैं अथवा नहीं तथा मेटीरियल में कोई खराबी तो नहीं है।

कलेक्शन मेट—जहां रोड मेटीरियल (पत्थर-कंकड़ इत्यादि) काफी तादाद में इकट्ठा करना पड़ता है और गैंग का मेट उस कार्य को भलीभांति नहीं देख सकता, वहां आवश्यकता अनुसार कलेक्शन मेट रख लिये जाते हैं। उनका मुख्य कार्य रोड मेटीरियल की देख-भाल है। मेटीरियल की quality तथा quantity की देख-भाल और ठीक चट्टे लगवाना इन की जिम्मेवारी है।

———

नत्थी 'च'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२३ पर)

रेगुलर इस्टेब्लिशमेन्ट

पद	कुल-संख्या	संख्या अनुसूचित जाति की
*आफीसर	५	५
जिलेदार	४	..
फोरमैन डिलर	१	..
डिलर	२	..
ओवरसियर	१६	..
सुपरवाइजर	१२	..
एकाउन्टेन्ट	१	..
मुख्य लिपिक	१	..
लिपिक	२१	..
ड्राफ्टमैन	३	..
ट्रेसर	४	..
अमीन	१४	..
आशुलिपिक	१	..
मुन्शी	११	..
मुख्य मुन्शी	१	..
मिस्त्री	३४	२
दफेदार	४	..
बर्कन्दाज	१३	..
रनर	४१	..
मेट	२८	..
चौकीदार	४	..
मेहतर	१	१
माली	१	..
चपरासी	१०	..
वाटरमैन	१	..
ड्राइवर	६	..
क्लीनर	३	..
कूप चालक	४५१	४८
	६९४	५६
*इक्जीक्यूटिव इंजीनियर	१	..
असिस्टेन्ट इन्जीनियर	३	..
डिप्टी रेवेन्यू आफिसर	१	..
	५	

पद	कुल संख्या	संख्या अनुसूचित जाति की
वर्क चार्ज		
डिलर	२	..
सहायक डिलर	२	..
हेलपर	७	२
मैकेनिक	१	१
चौकीदार	२३	१
टरनर	१	..
मेहतर	२	२
बेलदार	३	..
माली	३	..
मोटर मैकेनिक	१	..
ड्राइवर	२	..
क्लीनर	६	..
पम्प ड्राइवर	४	..
	५७	६

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

पद	कुल संख्या	संख्या अनुसूचित जाति की
इन्जीनियर	४	..
डिप्टी रेवेन्यू आफिसर	१	..
जिलेदार	३	..
एकाउन्टेन्ट	१	..
हेडक्लर्क	१	..
हेड मुन्शी	१	..
ओवरसियर	१८	..
ड्राफ्टसमैन	२	..
ट्रेसर	१	..
क्लर्क	१३	..
मुन्शी	१०	..
स्टेनो	१	..
सिगनलर	१३	..
टेलीफोन मुन्शी	५	..
डाक नवीस	१	..
अमीन	२४	..
पतरौल	९१	६
दफेदार	४	..
बरकन्दाज	१४	..
चौकीदार	४	..
वाटरमैन	१	..
गाज रीडर	१	..
मेट	१४	२
मिस्त्री	१	..
मेहतर	२	२
चपरासी	२२	२
बेलदार	३२	४
टिन्डेल	१५	..
रनर	३९	४
योग ..	३३९	२०

अनुसूचित विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित योजनाएं विचाराधीन हैं :

नहर का नाम		अनुमानित लागत	सिंचन क्षेत्र	प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई	प्रस्तावित नहरों की लम्बाई
		रुपया			मील
१—आता माइनर	..	१५,०००	२१००	५००	२-४-०
२—बैथर माइनर	..	१८,०००	२४००	७००	३-०-०
३—देओभई माइनर	..	१५,०००	१९००	५००	२-४-०
४—गुलरिया माइनर	..	१८,०००	२४००	७००	३-०-०
५—गोरिंदा माइनर	..	१,२५०	१९००	५००	२-३-०
६—पारा माइनर	..	२०,२५०	१८००	५००	३-३-०
७—पश्चिम गांव	..	२०,२५०	१८००	५००	३-३-०
८—मरदानपुर	..	२४,०००	३०००	९००	४-०-०

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज–१'

(देखिये २२–३–६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

बाराबंकी जिले में वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में निर्मित की जाने वाली सड़कों की सूची

क्रम-संख्या	कार्य का विवरण	लम्बाई		
		मील	फर्लांग	गज
१–नवनिर्माण—				
	(१) कोठी से नैपुरा घाट तक लिंक रोड ..	६	४	०
२–पुनर्निर्माण—				
	(१) बाराबंकी-गोंडा सड़क के मील ५–१० तथा १३–१६ का आधुनीकरण	१०	०	०
	(२) बाराबंकी–गोंडा सड़क के मील ३, ४ तथा १७–१९ का आधुनीकरण	५	०	०
	(३) बाराबंकी-हैदरगढ़ सड़क ..	१५	५	४३४
३–सी० सी० ट्रैक तथा पेन्टेड रोड—				
	(१) बाराबंकी-जहांगीराबाद सी० सी० ट्रैक	६	०	०
	(२) बाराबंकी–पादरा	४	०	०
	(३) महादेवा–बनारकी	४	०	०

नत्थी 'झ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

सूची

फर्रुखाबाद जिले में ग्रान्ड ट्रन्क रोड निम्नलिखित ग्रामों के मध्य से गुजरती है:—

१—सरायमीरा
२—मकरन्दनगर
३—गुरसहायगंज
४—इस्माइलपुर
५—सराय दौलत
६—सिकन्दरपुर
७—अकबरपुर
८—छिबरामऊ ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ९९-१०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

सूची संख्या १

अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण-हेतु सिफारिश किये हुए कार्यों की सूची :--

प्रथम प्राथमिकता

सफीपुर तहसील--

१--बांगर मऊ-जगतनगर	.. .. ..	५ मील
२--बांगर मऊ-असीवां-बरी थाना तक	.. ..	१२ मील

उन्नाव तहसील--

१--चकलवन्शी-गंगा घाट	.. .. ..	१३ मील
२--उन्नाव-सिकन्दरपुर	.. .. ..	६ मील

हसनगंज तहसील--

१--हसनगंज-रसूदाबाद	.. .. ..	७ मील
२--मियानगंज-हसनगंज	.. .. ..	९ मील
३--असोवां-बरी थाना	.. .. ..	२ मील

नोट--मियानगंज-असोवां (३ मील) का निर्माण अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा हो रहा है। इस तरह जगतनगर से लखनऊ के लिये सीधा मार्ग हो जाता है।

पुरवा तहसील--

१--बोधापुर-पुरवा	.. .. ..	१० मील
२--पुरवा-कंथ	..	८ मील

श्री मनमोहन वाजपेई ने बोधापुर-पुरवा के बजाय विक्रमपुर-ऊंचागांव सड़क के लिये सिफारिश की है।

द्वितीय प्राथमिकता

(क) पुरवा तहसील--

बिहार भौरवां	.. ..	१० मील

(ख) उन्नाव तहसील--

सिकन्दरपुर परियर	.. ..	९ मील

(ग) शफीपुर तहसील--

ऊगू गौरिया कलां	.. ..	१० मील

(घ) हसनगंज तहसील--

अजगैन मुशीगंज	.. ..	१० मील

सूची संख्या २

उन्नाव जिले के तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा सिफारिश किये हुए कार्यों की सूची।

(क) निर्माण (पक्की करना) के लिये प्रस्तावित सड़कें—

१—कालोमिट्टो-जाजमऊ (फतेहपुर चौरासी होतो हुई) कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण सहित।

२—पुरवा-कन्था-मुसन्ना।

३—हसनगंज-मियांगंज-सफोपुर।

४—पुरवा-बोघापुर।

५—विक्रमपुर-ऊंचागांव।

६—ऊंगू-गौरिया कलां।

७—सफोपुर-परियर।

८—कन्था-असोहा-कलखेड़ा।

९—बांगरमउल-जगतनगर।

१०—अजगैन-रसूलाबाद।

११—अचलगंज-गंगा घाट।

१२—मोरावां-गुलरिया।

१३—मोरावां-हिलौली।

१४—मोरावां-बिहार।

१५—बेठार-कुलवा-गराहा।

१६—बांगरमऊ-रामकोट।

(ख) पुनः निर्माण के लिये प्रस्तावित सड़कें—

१७—मौरावां-जबरैला-मोहनलालगंज।

(ग) आधुनीकरण—

१८—सफोपुर से उन्नाव की सोमा तक उन्नाव-हरदोई सड़क।

१९—बोघापुर से उन्नाव की सोमा तक इलाहाबाद-उन्नाव सड़क।

२०—पुरवा तक उन्नाव-मोरावां सड़क दही को चोकितो पुरवा।

(घ) प्रस्तावित बाई पास—

उन्नाव-हरदोई सड़क के मील ? से छोटा चौरहा।

(ङ) पुल—

उन्नाव शहर के रेलवे लेबिल क्रांसिग पर ओवर ब्रिज।

विधान सभा

सूची संख्या—३

क्रम-संख्या	उपशीर्षक	सड़क का नाम
(क) उन्नाव जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित पूरे हुये कार्य—		
१—पुनः निर्माण	.. ..	इलाहाबाद-उन्नाव सड़क (३२ ३/८ मील)
२—आधुनीकरण	.. ..	इलाहबाद-उन्नाव सड़क (७ मील)
३—आधुनीकरण	.. ..	उन्नाव-हरदोई सड़क (६ मील)
(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्य जो प्रगति पर हैं—		
४—नवनिर्माण	.. ..	चकलबंसी-औरस-संडीला सड़क ।
५—नवनिर्माण	.. ..	टिकुर-परियर सड़क ।
६—नवनिर्माण	.. ..	मोहन-नवलगंज-लखनऊ सड़क ।
७—पुनः निर्माण	.. ..	उन्नाव-मोरावां।
(ग) १९६०-६१ में स्वीकृत कार्य		
८—नवनिर्माण	.. ..	बिहार-भगवन्तनगर-बक्सर ।
९—पुनः निर्माण	.. ..	अजगैन-मोहन-हसनगंज सड़क।
१०—पुनः निर्माण	.. ..	बांगरमऊ-रेलवे फीडर ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

जिला बरेली में तहसीलवार नहरों की लम्बाई निम्नलिखित है :—

	मील	फर्लांग	फीट
१—तहसील बरेली	१९२	७	..
२—तहसील बहेड़ी	२४९	५	..
३—तहसील नवाबगंज	१८२	७	१६५
४—तहसील फरीदपुर	१३९	४	..
५—तहसील आंवला	..	..	..
योग ..	७६४	७	१६५

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

विद्युत विभाग

विविध

लखनऊ, २८ फरवरी, १९५९

सं० ७६२-ई-एल-सी/(५९)२३-पी० बी०-१०६-सी-ई-एल-५८-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यह आज्ञा देते हैं कि--(१) इलाहाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेन्स, १९१४; (२) बनारस सिटी ऐन्ड कैन्टूनमेन्ट इलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९२५; और (३) आगरा सिटी ऐन्ड कैन्टूनमेन्ट इलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९२३ में निर्धारित सप्लाई क्षेत्रों में विद्युत प्रयोजनों के लिये ऊर्जा प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का तुरन्त अनुसरण किया जाय :--

(क) लाइसेंस ग्रहीता आइस कैंडी (ice-candy) के अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोजनों के लिये २ अश्व शक्ति तक के विद्युत कनेक्शन जिसमें २ अश्व शक्ति सम्मिलित है, अबाधरूप से (freely) स्वीकृत करेंगे : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन्हें स्वीकृत भारों (loads) को समामेलित करने का अधिकार न होगा और न ही वे एक व्यक्ति को और/या एक भूगृहादि (premises) में एक से अधिक विद्युत कनेक्शन देंगे।

(ख) २ अश्व शक्ति से अधिक और १५ अश्व शक्ति तक के विद्युत कनेक्शन जिसमें १५ अश्व शक्ति सम्मिलित हैं, जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत किये जायेंगे :--

१--प्रशिक्षण योजनायें,
२--राज्य उद्योग,
३--नलकूप आदि,
४--राज्य सहायता प्राप्त उद्योग,
५--राज्य के लिये विशेष महत्व के उद्योग जैसे खोई आदि से कागज का उत्पादन,
६--अभियान्त्रिक उद्योग,
७--विद्युत उद्योग,
८--रासायनिक उद्योग,
९--अन्य बड़े उद्योग,
१०--शीत संग्रहण तथा प्रशीतन संबंधी संयंत्र,
११--अन्य क्षुद्र उद्योग,

} प्राइवेट

किन्तु जिला मैजिस्ट्रेट आइसकेन्डी (ice-candy), भूसा काटने तथा मुद्रणालयों और आटा, चावल, दाल तेल, बालू तथा पीसने (grinding) की मिलों के लिये विद्युत कनेक्शन स्वीकृत नहीं करेंगे।

(ग) लाइसेंस ग्रहीता तथा जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे विद्युत कनेक्शनों के स्थानान्तरण, पुनर्संयोजन (re-connection) तथा किरायेदारी परिवर्तन संबंधी मामलों का

निस्तारण करेंगे, जिन्हें स्वीकृत करने का उन्हें उपर्युक्त (क) तथा (ख) में प्राधिकार दिया गया है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि (१) स्थानान्तरण के फलस्वरूप एक भूगृहादि में न तो दो या दो से अधिक विद्युत कनेक्शन हों और न ही विद्युत भारों का सम्मेलन हो; और (२) तीन महीने से अधिक अवधि तक उपयोजित (disconnected) विद्युत कनेक्शनों को पुनः संयोजित (reconnect) करने के आवेदन-पत्रों के संबंध में यह समझा जायगा जैसे कि वे नये कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र हों।

(घ) लाइसेंस ग्रहीता तथा जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे विद्युत कनेक्शनों में अतिरिक्त प्रक्रियाओं (processes) को अधिष्ठापित करने को अनुमति देंगे, जिनको उन्हें उपर्युक्त (क) तथा (ख) में स्वीकृत करने का प्राधिकार हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) आइस केन्डी की प्रक्रिया को अनुमति न दी जाय।

(२) संपूर्ण संयोजित भार में अतिरिक्त प्रक्रियाओं के अधिष्ठापन से कोई वृद्धि न हो।

(३) थ्रो ओवर स्विच के प्रयोग को अनुमति न दी जाय।

२—१५ अश्व शक्ति से अधिक के विद्युत कनेक्शन सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

३—वर्तमान तथा भविष्य में दिये जाने वाले संपूर्ण विद्युत कनेक्शनों का कार्य-समय प्रत्येक विद्युत स्टेशन की आवश्यकतानुसार जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा लाइसेंस ग्रहीता के परामर्श से विनियमित किया जायगा।

४—यदि कोई उपभोक्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रक्रिया के लिये विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हुए या अपने विद्युत अधिष्ठापन का प्रयोग उस समय करते हुए, जब कि ऐसा करना जिला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से प्रतिषिद्ध हो या प्राधिकृत क्षमता से अधिक क्षमता के मोटर अधिष्ठापन का प्रयोग करते हुए पाया जाय, तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा ७ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा या उसके किसी सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किये गए आदेशों के अधीन जैसी कि १४ मई, १९५५ के उत्तर प्रदेश गजट, भाग १ के पृष्ठ ६२६ में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० ७८३-ई० एल० बी०/२३ पी०बी०—४७—सी० ई० एल० (६)-५२, दिनांक ५ मई, १९५५ में व्यवस्था की गई है, उसकी सप्लाई अपयोजित (disconnect) की जा सकती है।

५—उपर्युक्त पैराग्राफ १ में वर्णित लाइसेंस ग्रहीता सरकार को एक मासिक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक मास की पहली तारीख को २४ घंटे तथा आफ पीक (off-peak) सप्लाई के लिये उपलब्ध विद्युत शक्ति का ब्योरा दिया जायगा। वह पहले मास में दिये गये विद्युत कनेक्शनों की एक सूची भी प्रस्तुत करेगा। उक्त विवरण-पत्र तथा सूची अगले मास के ७ वें दिनांक तक सरकार के पास पहुंच जानी चाहिये।

आज्ञा से

हबीब अहमद सिद्दीकी,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
विद्युत् विभाग

विविध

लखनऊ, ८ अगस्त, १९५९

सं० १०५१ (डी)/(५९) २३ पी० बी०—३८८ एच–५९—राज्य सरकार की सम्मति में विद्युत का संभरण बनाये रखने तथा इसका समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा इष्टकर है ;

अतएव अब यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९४७ ई०) की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा विज्ञप्ति संख्या १०४४ (डी)/(५८)२३–पी–बी—१६८–एच–५५, दिनांक १६ जून, १९५८ ई० के अतिक्रमण में उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय निम्नलिखित आदेश देते हैं :—

२—यह आदेश सरकारी गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित होगा।

३—यह आदेश उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जहां विद्युत शक्ति निम्नलिखित द्वारा संभरित की जाती हैं :—

(१) अन्तः सम्बद्ध (inter connected) गंगा तथा सारदा जल विद्युत (hydel) ग्रिड।

(२) मैनपुरी ताप जनित (thermal) स्टेशन।

(३) विद्युत वितरण करने वाले लाइसेन्स गृहीता, जिनके पास विद्युत जनन का अपना स्रोत न हो और जो गंगा तथा सारदा जलविद्युत ग्रिडों से बिजली लेते हों, तथा

(४) गंगा तथा सारदा जलविद्युत ग्रिडों के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।

आदेश

१—(क) अब से सभी बिजली के कनेक्शन सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायंगे।

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि रोशनी तथा पंखे और घरेलू प्रयोजनों के लिये (2. .K. w) तक बिजली के कनेक्शन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् या परिषद् के ऐसे अधिकारी, जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और लाइसेंस गृहीताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में दिये जायंगे।

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि विवाहों तथा उत्सवों के संबंध में रोशनी तथा पंखों और ध्वनि विस्तारकों (amplifiers) के हेतु सात दिन से अनधिक अवधि के लिये अस्थायी कनेक्शन सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(ख) लाइसेंस गृहीता अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थान परिवर्तन (shifting) करने, फिर से कनेक्शन देने और रोशनी तथा पंखे और घरेलू बिजली के सर्विस कनेक्शन के संबंध में उपभोक्ताओं के नामों में परिवर्तन करने तथा १५ अश्व-शक्ति (horse-power)

तक के बिजली के कनेक्शनों से संबंधित मामलों का निस्तारण करेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी भूगृहादि में दो या अधिक बिजली के कनेक्शन या बिजली के भारों का समामेलन (amalgamation of power loads) न हो, तथा

(२) बिजली के ऐसे कनेक्शनों के, जो तीन मास से अधिक समय से अपयोजित रहे हों, दिये जाने के प्रार्थना-पत्र नये कनेक्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र समझे जायंगे।

२—उपर्युक्त (ख) में दिये गये अधिकार, परिषद से सीधे बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद या परिषद द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे।

३—समस्त बिजली कनेक्शनों के (घरेलू बिजली को छोड़कर) चालू रहने के घंटे बिजली की उपलब्धता को ध्यान मे रखकर, लाइसेंस गृहीता के परामर्श से जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा और उन बिजली के कनेक्शनों की दशा में जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा सीधे बिजली संभरित की जाती हो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सम्बद्ध अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) के परामर्श से विनियमित किये जायंगे।

४—कोई भी बिजली का उपभोक्ता, जो स्वीकृत प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रक्रिया के लिये विद्युत शक्ति का प्रयोग करते पाया जाय या प्रतिषिद्ध घंटों में कार्य करते पाया जाय या स्वीकृत क्षमता से अधिक मीटर अधिष्ठापन का प्रयोग करते पाया जाय, यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा ७ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक या उसके किसी सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किये गये आदेश के अधीन, जैसा कि उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक १४ मई, १९५५ ई० के भाग १-क के पृष्ठ ३७८ में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० ७८३ ई० एल० बी०/२३ पी बी–४७–सी ई एल० ६–५२, दिनांक ५ मई, १९५५ में व्यवस्थित है, सम्भरण का अपयोजन सहन करेगा।

५—इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक को एक या एक से अधिक वर्ष के वर्तमान बिजली के उपभोक्ता, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपनी मांग भूतकाल में किसी भी समय उपभुक्त अधिक से अधिक बिजली की मात्रा से अधिक नहीं बढ़ायेंगे।

६—बिजली के कनेक्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र दो प्रतियों में विद्युत (ख) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को भेजे जायंगे। एक प्रति लाइसेंस गृहीता और / या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से सरकार को तथा दूसरी प्रति सरकार को सीधे भेजी जायगी।

७—प्रस्तावना के पैरा ३ में उल्लिखित लाइसेंस गृहीता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद या परिषद द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में एक मासिक विवरण तथा पिछले मास में दिये गये बिजली के कनेक्शनों की एक सूची भेजेगा। विवरण तथा सूची राज्य विद्युत परिषद या परिषद द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास उक्त विवरण तथा सूची से संबद्ध मास के बाद के मास के दिनांक ७ तक पहुंच जाने चाहिये।

प्रपत्र

१—सामान्य ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों में सार्थधारिता (firm capacity)।

२—दिन का अद्यावधि अधिकतम भार।

३—एक घंटे से अनधिक अल्पकालीन सायंकाल के शिखरों (peaks) के लिये सार्थधारिता जिसमें ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों में १० प्रतिशत अधिक भार की अनुमति होगी।

४---सायंकाल का अद्यावधि अधिकतम भार।

५--दिन का भार, जो लिया जा सकता है तथा दिन के अधिकतम अद्यावधि भार के बीच अन्तर (margin)।

६--स्वीकृत अद्यावधि भार, जिसका कनेक्शन न दिया गया हो।

७--वर्तमान उपभोक्ताओं को ऐसे भार के संबंध में दिये गये वचन (commitments) जिसका उपयोग उन्होंने अभी तक न किया हो (५०) किलोवाट उपभोक्ता तथा उनसे अधिक।

टिप्पणी---ऐसे उपभोक्ता जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक से कनेक्शन मिला हो, सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी मांग नहीं बढ़ा सकते। ऐसे उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत की जायगी।

८--मांग में प्राक्कलित वार्षिक वृद्धि, जो वर्तमान रोशनी तथा पंखे तथा लघु विद्युत भार के उपभोक्ताओं (५ किलोवाट) तथा इस श्रेणी के नये उपभोक्ताओं में थोड़ी-सी वृद्धि होने के कारण हुई।

	दिन	रात
(१) रोशनी तथा पंखे, तथा		
(२) लघु विद्युत।		

टिप्पणी---इस अनुसूची में किसी भी नयी शिखर-भार औद्योगिक विद्युत शक्ति के लिये व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि शिखर-भार का उद्भरण जिला मैजिस्ट्रेट के समय-समय पर दिये गये नियंत्रण आदेशों के अधीन होगा तथा उक्त समस्त विद्युत शक्ति का उपयोग नयी रोशनी तथा पंखे तथा लघु विद्युत कनेक्शनों द्वारा किया जायगा, जो इन नियंत्रण आदेशों के अधीन उदारतापूर्वक दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

राम सहाय,

सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड़'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

क्रम-संख्या	जिला	जनवरी से दिसम्बर, ५९ तक बने हुए मील	
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क
		मी० फ०	मी० फ०
१	आगरा	८-७	..
२	अलीगढ़	..	..
३	इलाहाबाद	२८-६	..
४	अल्मोड़ा	४९-०	२-४
५	आजमगढ़	..	..
६	बदायूं	१४-७	..
७	बहराइच	१५-१	..
८	बलिया	०-३	..
९	बांदा	२-४	..
१०	बाराबंकी	..	..
११	बरेली	४-६	..
१२	बस्ती	६-६	..
१३	बिजनौर	७-२	..
१४	बुलन्दशहर	६-२	..
१५	देहरादून	..	..
१६	देवरिया	४-७	..
१७	एटा	३-१	..
१८	इटावा	..	..
१९	फैजाबाद	१-६	..
२०	फर्रुखाबाद	..	..
२१	फतेहपुर	..	..
२२	गढ़वाल	६-४	१३-४
२३	गाजीपुर	१-२	..
२४	गोंडा	२३-६	..
२५	गोरखपुर	१३-३	..
२६	हमीरपुर	३-६	..
२७	हरदोई	८-४	..
२८	जौनपुर	२-७	..

क्रम-संख्या	जिला	जनवरी से दिसम्बर, ५९ तक बने हुए मील	
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क
		मी० फ०	मी० फ०
२९	जालौन	०—४	..
३०	झांसी	..	४—०
३१	कानपुर	११—२	..
३२	खीरी	२३—४	..
३३	लखनऊ	०—३	..
३४	मैनपुरी	..	..
३५	मथुरा	..	..
३६	मेरठ	२२—०	..
३७	मिर्जापुर	..	..
३८	मुरादाबाद	९—०	..
३९	मुजफ्फरनगर	१९—६	..
४०	नैनीताल	३५—२	२—४
४१	प्रतापगढ़	७—३	..
४२	पीलीभीत	९—४	..
४३	राय बरेली	..	..
४४	रामपुर	..	..
४५	सहारनपुर	७—१	..
४६	शाहजहांपुर	०—५	..
४७	सीतापुर	१०—०	..
४८	सुल्तानपुर	..	..
४९	टेहरी	१६—४	१०—०
५०	उन्नाव	१३—०	..
५१	वाराणसी	२६—३	..
		४२६—३	३२—४
	यानी ..	४२७	३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

क्षेत्र का नाम	कार्यवाही
१---सुसाड़ी खुर्द व सुसाड़ी कलां ..	दो मील ३ फर्लांग लम्बा नाला श्रमदान से नियोजन विभाग द्वारा बनाने का प्रस्ताव है।
२---हथियाथल	कृषकों को टेक्निकल सलाह दे दी गई थी और श्रमदान द्वारा नाला खोदा गया है।
३---तांसीपुर	राईट सीपेज (Right Seepage) नाला खुदा हुआ है। पानी गड्ढे के कुछ भाग में भरा रहता है जिसको निकालने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इसमें काफी रुपया खर्च होगा।
४---मुडियाकी तथा आसपास के ग्राम ..	इस क्षेत्र में लगभग २०० एकड़ भूमि में पानी भरा रहता है यह तय किया गया है कि नारसन नाला ढाई मील की लम्बाई में और बढ़ाया जाय। नाले की खुदाई श्रमदान द्वारा होगी और खुदाई के बाद पक्के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा बनाये जायंगे।
५---पाड़ली गूजर गनेशपुर ..	इस क्षेत्र का पानी निकालने के लिए सर्वे किया जा रहा है।
६---मंगलौर	इस कस्बे के दक्षिणी भाग को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिये पूर्वी मंगलौर नाले के निर्माण की योजना बनाई गई है, इसका निर्माण जिलाधीश सहारनपुर द्वारा दिए जाने वाले धन से भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर होगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

(क) उन गांवों की सूची जो गत पांच वर्षों में भकला नदी के बहाव के बदलने के कारण कट गये हैं —

१—रमापुर त्रिमोन
२—खजुहा झुनझुनया
३—लालपुर लोहरातारा
४—मनकापुर, (कुछ भाग)
५—कांडरी खुर्द
६—सेमरा दाखली (कल्यानपुर)
७—बेला (भवनगर)
८—बेली (धनगर)।
९—पुरुषोत्तमपुर व उलई पुरवा दाखिली पुरुषोत्तमपुर।
१०—हजरिया व झोलइया दाखली हजरिया

(ख) उन गांवों की सूची जिनके कटने का खतरा है —

१—बेदोरा दाखली (कसियापुर)
२—इसतांपुर दाखली (जरकुसहा)
३—झुनझुनया दाखली (खजुहा झुनझुनया)
४—भगवानपुर दाखली (लखाही खास)
५—विशम्भरपुर दाखली (मक्कापुर)
६—जंबरावल
७—इमलिया
८—लोहरातारा
९—लैबुहवा
१०—जुराम जोत दाखली (भुतहा)

विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

प्राइवेट बिजली कम्पनियों को दिये गये कर्जे की सूची

वर्ष	कम्पनी का नाम	कर्जे की रकम	ब्याज की दर
१९५७–५८	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी ।	४ लाख रुपया	४ १/२ प्रतिशत
१९५८–५९	(१) झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी ।	२ लाख रुपया	५ प्रतिशत ।
	(२) यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, लखनऊ/इलाहाबाद ।	१५ लाख पया	५ १/४ प्रतिशत २१ साल तक। इस अवधि के बाद ब्याज की दर सरकार द्वारा निश्चित होगी और जिस दर पर सरकार को कर्जा मिलेगा उससे १ प्रतिशत अधिक होगी।
	(३) बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी।	१० लाख रुपया	,, ,, ,,
	(४) आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा।	१७ लाख पया	,, ,, ,,
१९५९–६०	(१) यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ/इलाहाबाद ।	५ लाख रुपया	,, ,, ,,
	(२) आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा।	२३ लाख रुपया	,, ,, ,,

गिरधारी लाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'थ'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

१९५९–६० में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नगरों में विद्युतीकरण के लिये प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की सूची

जिला	नगर
आगरा ..	१—फतहाबाद
	२—शमशाबाद
अलीगढ़ ..	१—पुरदिलनगर
बहराइच ..	१—मिहीनपुरवा
	२—मटेराबाजार
	३—भिंगरा
बाराबंकी ..	१—रामनगर
	२—बिलथरारोड
बस्ती ..	१—बांसी
बदायूं ..	१—ककरेला
देहरादून ..	१—रोघरवाला
	२—चकराता/केलाना
देवरिया ..	१—बरहज
एटा ..	१—अमनापुर
फैजाबाद	१—दर्शननगर
	२—टांडा
गढ़वाल ..	१—रुद्र प्रयाग
	२—देव प्रयाग
गोंडा	१—खडगपुर
गोरखपुर ..	१—नौतनवा
	२—कूडाघाट
	३—फरेंदा
गाजियाबाद ..	१—सुन्दरपुर
	२—भरतनगर
जालौन ..	१—कोंच
झांसी ..	१—समथर
	२—मऊरानीपुर
	३—माथे (Mathe)
	४—ललितपुर
कानपुर ..	१—नबोली
	२—जिनदारा
	३—मोघटा
	४—जलालपुर
	५—सीधम।
मैनपुरी ..	१—फरेह
	२—कुरावली
	३—बेबर
नैनीताल ..	१—ज्योलीकोट
पीलीभीत ..	१—पूरनपुर
रायबरेली ..	१—लालगंज
सहारनपुर ..	१—लक्ष्मणझूला
सीतापुर ..	१—साहेबनगर
	२—परसेंडी
	३—तालगांव
वाराणसी ..	१—सैयद रजा

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'द'

(देखिये २२-३-६० के स्थगित तारांकित प्रश्न १६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

विवरण

सन् १९५८ में ३९,५७४ ड्रम कोलतार २३,०७,१०५ रु० के खरीदे गये ।

सन् १९५९ में २६,०८० ड्रम कोलतार १७,५३,८५८ रु० के खरीदे गये ।

उक्त दोनों वर्षों में २,३०४ खाली ड्रमों का विक्रय किया गया जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है:—

खाली ड्रमों की संख्या	विक्रय का भाव
१,१२३	१० रु० प्रति ड्रम
१००	८ रु० ६ आने प्रति ड्रम
१७०	८ रु० ४ आने प्रति ड्रम
१०८	८ रु० प्रति ड्रम
४९०	६ रु० प्रति ड्रम
२५८	५ रु० ४ आने प्रति ड्रम
५५	५ रु० प्रति ड्रम
२,३०४	

विधान सभा सचिवालय, पटना

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर)

ब्रीचेज की सूची

क्रम-संख्या	नहर का नाम	ब्रीच का स्थान मी०	फ०	फी०
	हैडवर्क्स डिवीजन			
१	बेनीपुर माईनर	४	४	२०
२	बेनीपुर माईनर	३	५	२०
३	शिवपुर माईनर	३	२	०
४	शिवपुर माईनर	१	१	१०
	रुहेलखन्ड कैनाल डिवीजन			
५	कैलाश रजबहा	१६	०	३००
	शाहजहांपुर डिवीजन			
६	मटेयोरा माईनर	०	४	०
७	फतेहगंज रजबहा	१५	०	४००
८	शिवपुर माईनर	२	१	३००
	सीतापुर डिवीजन			
९	संसारपुर रजबहा	१	१	०
१०	संसारपुर रजबहा	७	१	१००
११	बिनौरा माईनर	१	४	२०
१२	कुतुबनगर माईनर	४	४	५५०
१३	महमदाबाद माईनर	१	१	४००
१४	तिन्दुआ माईनर	६	५	६००
१५	बकारनगर माईनर	१	१	१०
	बाराबंकी डिवीजन			
१६	तिवारीपुर माईनर	२	३	५७०
	उन्नाव डिवीजन			
१७	बारीथाना माईनर	०	४	५१०
१८	पाटन रजबहा	७	४	०
१९	जैतीपुर रजबहा	१	६	६५०
	लखनऊ डिवीजन			
२०	देवकली माईनर	३	६	१००
२१	काकोरी रजबहा	४	२	०
२२	काकोरी रजबहा	४	१	३३०
२३	शिवगढ़ रजबहा	९	६	६००
२४	शिवगढ़ रजबहा	९	६	६००
२५	लाही रजबहा	०	५	३००
२६	किशनी माईनर	१	३	०
२७	इन्हौना रजबहा	३	६	४३०
२८	इन्हौनी रजबहा	२२	७	३०
२९	सेन्दवा रजबहा	३	१	६००
३०	सुबहा रजबहा	११	५	७०
३१	सुबहा रजबहा	१०	१	६००
३२	सुबहा रजबहा	१५	७	०
३३	अमौसी रजबहा	१५	४	६००
३४	राजापुर रजबहा	१०	५	५०
	प्रतापगढ़ डिवीजन			
३५	रामगंज रजबहा	२२	६	०
३६	रामगंज रजबहा	१३	२	३३०
३७	रामगंज रजबहा	१५	७	५००
३८	अमेटी रजबहा	११	३	५२०
३९	चिलबिला रजबहा	९	६	१५०
	रायबरेली डिवीजन			
४०	बड़गांव माईनर	१	०	५५०
४१	जरियारी माईनर	१	२	४५४
४२	धोबहा माईनर	१	१	४००
४३	कुसुम्भी माईनर	१	२	०
४४	जाजपुर माईनर	२	२	५६०
४५	सची माईनर	१	३	२२०
४६	ऊमरी माईनर	२	१	०
४७	रहवा माईनर	३	६	०
४८	देवा माईनर	१	३	२०६
४९	सोरवा रजबहा	१६	४	३३०
५०	रायपुर रजबहा	११	२	०
५१	" "	११	५	३३०
५२	" "	११	३	३३०
५३	" "	११	६	७०
५४	सोरवा रजबहा	१६	७	३३०
५५	जगतपुर रजबहा	६	५	३१४
	मढ़ियावां ब्रांच			
५६	नसीरपुर रजबहा	०	७	०
५७	शाहपुर माइनर	०	४	५००
५८	कुंवरपुर रजबहा	७	२	६००
५९	किराकत रजबहा	१४	२	३३०
६०	" "	६	५	२१०
६१	" "	२१	२	५००

क्रम-संख्या	नहर का नाम	ब्रांच का स्थान मी०	फ०	फी०
६२	किराकत रजबहा	१६	४	५८०
६३	,, ,,	९	७	४००
६४	,, ,,	२०	७	०
६५	,, ,,	१२	४	१००
६६	,, ,,	१६	२	३००
६७	,, ,,	६	५	२००
६८	,, ,,	१६	२	२३०
६९	,, ,,	१४	६	०
७०	चोलापुर रजबहा	४	२	०
७१	किराकत रजबहा	१५	१	५८०
७२	मरियाह ब्रांच	६४	६	२००
७३	मढ़ियाह ब्रांच	६४	४	२५०
७४	,, ,,	६३	०	४००
७५	,, ,,	४१	३	३००
७६	कुंवरपुर रजबहा	६	४	३००
७७	झासापुर माईनर	१	७	३३०
७८	झासनपुर माईनर	२	०	३३०
७९	कुंवरपुर रजबहा	७	२	०
८०	किराकत रजबहा	१२	२	०
८१	भढ़ियाह ब्रांच	६०	४	३००
८२	अलीपुर माईनर	१	३	०
८३	कुम्बी माईनर	३	०	३३०
८४	,, ,,	२	४	६००
८५	रामनगर माइनर	२	४	५
८६	कुंवरपुर रजबहा	६	४	३३०
८७	मढ़ियाह ब्रांच	६७	५	५००
८८	मढ़ियाह ब्रांच	५८	५	५४५
८९	किराकत रजबहा	७	२	२४०
९०	,, ,,	७	७	०
९१	,, ,,	१३	२	४६०
९२	,, ,,	१५	६	४००
९३	,, ,,	१३	७	०
९४	,, ,,	१९	०	०
९५	,, ,,	१३	१	६००
९६	,, ,,	२१	३	०
९७	मढ़ियाह ब्रांच	२०	१	१५०
९८	कुंवरपुर रजबहा	४	५	४६०

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

१—हाफिजगंज
२—फतेहगंज (पश्चिमी)
३—भोजीपुरा
४—सेन्थल
५—फतहगंज (पूर्वी)
६—रेठौरा
७—शाही
८—कलट्टरबक गंज
९—बहेरी
१०—नवाबगंज
११—फरीदपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४३ पर)

क्रम-संख्या	मिल का नाम	शहर	साल	बकाया धनराशि
१	२	३	४	५
				रु० न० पै०
१	सर्वश्री गनेश शुगर मिल्स, आनन्द नगर।	गोरखपुर	१९५५–५६	११,०६२.०६
२	सर्वश्री जानकी शुगर मिल्स, डोईवाला।	देहरादून	१९५६–५७	२१,४२६.२५
			१९५७–५८	१,०५,९५१.५०
३	सर्वश्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद।	बस्ती	१९५५–५६	२६६.४४
			१९५६–५७	५,६२५.७५
४	सर्वश्री कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, मसौधा।	फैजाबाद	१९५६–५७	४२,५३९.७८
५	सर्वश्री बस्ती शुगर मिल्स, वाल्टरगंज	बस्ती	१९५५–५६	६६२.९१
			१९५६–५७	७९६.४३
			१९५७–५८	३११.०४
६	सर्वश्री बलरामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर।	बस्ती	१९५५–५६	३,२२०.१९
			१९५६–५७	१०,७१६.५०
			१९५७–५८	१०,६५८.४४
७	सर्वश्री तुलसीपुर शुगर कम्पनी, तुलसीपुर।	बस्ती	१९५५–५६	५२९.८४
			१९५६–५७	१,०१४.३७
			१९५७–५८	१,७३९.०८
८	सर्वश्री नवाबगंज शुगर मिल्स, नवाबगंज।	गोंडा	१९५७–५८	३६,५३३.६४
९	सर्वश्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स, मोद्दौली।	सीतापुर	१९५७–५८	१,२२,१७०.००
१०	सर्वश्री लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आइल मिल्स, हरदोई।	हरदोई	१९५५–५६	५,९९८.५५
११	सर्वश्री कोआपरेटिव शुगर मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग फैक्टरी, घोसी।	आजमगढ़	१९५६–५७	४३२.६६
१२	सर्वश्री पदरौना राज किशाना शुगर वर्क्स, पडरौना।	देवरिया	१९५५–५६	२७,०११.५८
१३	सर्वश्री रामचन्द शुगर मिल्स, बाराबंकी।	बाराबंकी	१९५७–५८	७१,४४६.८१
१४	सर्वश्री बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर।	नैनीताल	१९५९–६० (पहली और दूसरी तिमाही)	३०५.६८

क्रम-संख्या	मिल का नाम	शहर	साल	बकाया धनराशि
१	२	३	४	५
				रु० न० पैं०
१५	सर्वश्री महाबीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार।	गोरखपुर	१९५९–६०	३,३१२.५०
१६	सर्वश्री पंजाब शुगर मिल्स, घुगली	गोरखपुर	१९५५–५६	००.०६
१७	एम० एम० शुगर मिल्स, मुन्द्रावा	बस्ती	१९५७–५८ (सेन्ट्रल)	२२,९८७.१९
१८	सर्वश्री गंगा शुगर कारपोरेशन, देवबन्द।	सहारनपुर	१९५५–५६	५२,९५९.९२
१९	सर्वश्री लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स,	सहारनपुर	१९५५–५६	१५,३२९.७५
			१९५६–५७	२,६७३.००
		योग ..		५,७७,६८१.९२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

विवरण पत्र

मांग	कार्रवाई
१--पेन्शन के विवादग्रस्त मामलों का निपटारा करने के लिये पेन्शन ट्रिब्युनल की स्थापना की जाय।	पेन्शन ट्रिब्युनल स्थापित करने से कोई लाभ न होगा। सेवा काल की जांच वास्तविकता का प्रश्न है, विवाद का नहीं।
२--अगर पेन्शनर चाहे तो पोस्ट आफिस द्वारा पेन्शन के भुगतान का प्रबन्ध किया जाय क्योंकि पेन्शन पाने के लिये ट्रेजरी तथा बैंक जाने में असुविधा होती है।	इस समय भी १०० रु० प्रतिमास तक की पेन्शनें मनीआर्डर से प्राप्त की जा सकती हैं।
३--महंगाई भत्ते की दरों को बढ़ा कर कम से कम पंजाब तथा राजस्थान राज्यों द्वारा दी गई स्थायी वृद्धि के बराबर कर दिया जाय।	सरकार ने पहले ही १ अप्रैल, १९४७ से पेन्शन में अस्थायी वृद्धि की दरों को ३ और ४ रुपये से बढ़ा कर क्रमशः ५ और ६ रु० कर दिया था। सरकार १ अप्रैल, १९५५ से महंगाई भत्ते का कुछ भाग पेंशन के लिये दिये जाने का भी आदेश दे चुकी है। और १ अप्रैल, १९५९ से पूरा बेसिक महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया गया है। इन आदेशों के परिणामस्वरूप पेन्शन की दरों में अपने आप वृद्धि हो जायेगी।
४--पेन्शन पाने वालों को चिकित्सा सम्बन्धी वही सुविधाएं दी जायं जो सरकारी नौकरों को मिलती हैं।	पेन्शन पाने वालों को चिकित्सा की वही सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, देना सम्भव नहीं है।
५--१०० रु० प्रतिमाह तक पेंशन पाने वालों के बच्चों का पूरा तथा २०० रुपया प्रतिमास पाने वालों के बच्चों का आधा शिक्षा शुल्क माफ कर दिया जाय।	पेन्शन पाने वालों को इस सम्बन्ध में कोई विशेष रियायत देना सम्भव नहीं है।
६--मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ पेन्शनरों को सामाजिक, कल्याण एवं शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य एवं जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाय।	उपयुक्त समझे जाने पर पेन्शन पाने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्त किये जाते हैं। उन्हें जन सेवा करने में कोई रोक भी नहीं है।

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

खरीफ तथा रबी १३६४, १३६५ और १३६६ फसली सिंचाई के आंकड़े

सन् १३६४ फसली		सन् १३६५ फसली		सन् १३६६ फसली	
खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
६४	१६७	५४	२५९	५	२१७

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४७ पर)

बिजली प्राप्त करने के निमित्त निम्नलिखित ग्रामों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए :

१—जैराजपुर	..	१०—करेला
२—विन्दवल	..	११—मदीर
३—जीयन	..	१२—अलीपुट्टी
४—धरसन	..	१३—खिल्लूपट्टी
५—कन्हारपुर	..	१४—पटवन्ध
६—लुचूई	..	१५—माहुला
७—छपरा सुल्तानपुर	..	१६—मालटारी
८—सराय काजी	..	१७—रामपुर
९—खांड	..	१८—हरैंया

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'म'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६५१ पर)

उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड डिवीजन में कतिपय विधियों को प्रवृत्त रखने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के जिलों से युक्त उत्तराखण्ड नाम का एक नया डिवीजन २४ फरवरी, १९६० से बनाया गया है;

और उत्तराखण्ड डिवीजन बनाये जाने के ठीक पहले के दिनांक को प्रचलित कतिपय विधियों के उस क्षेत्र पर, जो अब उक्त डिवीजन का भाग बन गया है, प्रवृत्त बने रहने के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया है और ऐसे समस्त सन्देह को दूर करना इष्टकर है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

(२) यह २४ फरवरी, १९६० से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

(क) "कुमायूं डिवीजन" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो विज्ञप्ति संख्या ९१०/आई० सी०, दिनांक २४ फरवरी, १९६० के जारी होने के ठीक पहले के दिनांक को कुमायूं डिवीजन का भाग था ;

(ख) "विधि" का तात्पर्य किसी ऐसी अधिनियमित, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम या विज्ञप्ति से हैं, जो ऐसे विधान-मण्डल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाई या जारी की गयी हो, जिसे वह अधिनियमिति, आदेश, उप-विधि, नियम या विनियम बनाने या वह विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार हो ;

(ग) "उत्तराखण्ड डिवीजन" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो विज्ञप्ति संख्या ९१०/आई० सी०, दिनांक २४ फरवरी, १९६० द्वारा बनाये गये पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के जिलों में सम्मिलित है ।

कतिपय विधियों का उत्तराखण्ड डिवीजन में प्रचलित बने रहना ।

३—उन क्षेत्रों में से जो कुमायूं डिवीजन के भाग थे, उत्तराखण्ड डिवीजन बनाये जाने पर भी, विज्ञप्ति संख्या ९१०/आई० सी०, दिनांक २४ फरवरी, १९६० के जारी होने के ठीक पहले दिन कुमायूं डिवीजन या उसके किसी भाग में प्रचलित, या उस पर प्रवृत्त समस्त विधियां उन क्षेत्रों में, जो उत्तराखण्ड डिवीजन के भाग हैं, पहले की भांति प्रचलित तथा उन पर प्रवृत्त बनी रहेंगी ।

४--किसी ऐसे न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष, जिसका क्षेत्राधिकार कुमायूं डिवीजन के क्षेत्र के उस भाग पर हो जो अब उत्तराखण्ड डिवीजन में सम्मिलित है, २३ फरवरी, १९६० को जितने वाद, मामले या अन्य कार्यवाहियां संस्थित की गयी हों (instituted), प्रारम्भ की गयी हों या विचाराधीन हों, उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे २४ फरवरी, १९६० से, यथास्थित उस न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उत्तराखण्ड डिवीजन के उस क्षेत्र पर हो, संक्रमित कर दी गई हैं और वे उनकी सुनवाई जारी रखेंगे और उनकी निस्तारण करेंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके प्रतिकूल कोई बात हो। विचाराधीन वाद इत्यादि का निस्तारण

उद्देश्य और कारण

उत्तराखण्ड डिवीजन बनाये जाने के ठीक पहले दिनांक को प्रचलित कतिपय विधियों के उस क्षेत्र पर, जो अब उक्त डिवीजन का भाग बन गया है, प्रवृत बने रहने के सम्बन्ध में कतिपय क्षेत्रों में संदेह प्रकट किया गया है। अतः इस विधेयक के द्वारा ऐसे समस्त सन्देहों को दूर करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--३२ एल० ए०--१९६०--८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा